



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23092025-266306
CG-DL-E-23092025-266306

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 251]
No. 251]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 19, 2025/भाद्र 28, 1947
NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 19, 2025/BHADRA 28, 1947

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)
(व्यापार उपचार महानिदेशालय)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 19 सितम्बर, 2025
अंतिम जांच परिणाम
मामला सं. एडी (ओआई)-19/2024

विषय: चीन जन. गण. और रूस के मूल के अथवा वहां से निर्यातित “पॉली टेट्रा फ्लुओरो एथिलीन (पीटीएफई)” के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच के अंतिम जांच परिणाम ।

फा. सं. 6/21/2024-डीजीटीआर: - यह समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और उसकी समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तु की पहचान उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए:

क. मामले की पृष्ठभूमि

1. यतः गुजरात फ्लोरो केमिकल्स लिमिटेड (जिसे आगे "आवेदक" कहा गया है) ने अधिनियम और नियमावली के अनुसार, "घरेलू उद्योग" की ओर से, चीन जन. गण. और रूस (जिन्हें आगे "संबद्ध देश" कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "पॉली टेट्रा फ्लोरो एथिलीन" (जिसे आगे "पीटीएफई" या "संबद्ध वस्तु" कहा गया है) के आयात के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरुआत करने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे "प्राधिकारी" भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन दायर किया है और पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया है।
2. और यतः, प्राधिकारी ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर, अधिसूचना संख्या 6/21/2024-डीजीटीआर दिनांक 30 सितंबर 2024 के तहत एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया, जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-I खंड I में प्रकाशित किया गया, जिसमें सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9ए के साथ पठित नियम 5 के अनुसार उक्त विषयगत देशों में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित विषयगत वस्तुओं के कथित डंपिंग के अस्तित्व, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण करने के लिए, तथा एंटी-डंपिंग शुल्क की राशि की सिफारिश करने के लिए एंटी-डंपिंग जांच शुरू की गई, जो यदि लगाया जाता है, तो घरेलू उद्योग को कथित क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा।

ख. प्रक्रिया

3. इस जाँच के संबंध में नीचे वर्णित प्रक्रिया का पालन किया गया है:
- s
- i. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 5(5) के अनुसार जाँच की शुरुआत करने से पहले भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों को वर्तमान आवेदन की प्राप्ति के बारे में सूचित किया।
 - ii. प्राधिकारी ने दिनांक 30 सितंबर, 2024 को एक अधिसूचना जारी की, जो भारत के राजपत्र असाधारण के भाग-I खंड-I में प्रकाशित हुई, जिसमें संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों के संबंध में जांच की शुरुआत की गई।
 - iii. नियम 6(2) के अनुसार, प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों और संबद्ध देशों के ज्ञात उत्पादकों एवं निर्यातकों को जांच की शुरुआत अधिसूचना की एक प्रति भेजी।
 - iv. प्राधिकारी ने भारत में ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं जो संबद्ध वस्तु से संबंधित माने जाते हैं, को जांच शुरुआत अधिसूचना की एक प्रति भेजी और उनसे निर्धारित समय-सीमा के भीतर लिखित रूप में अपने विचारों से अवगत कराने का अनुरोध किया।
 - v. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार, ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों और भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों को आवेदन के अगोपनीय अंश की एक प्रति भी भेजी। आवेदन के अगोपनीय अंश की एक प्रति अन्य हितबद्ध पक्षकारों को भी भेजी गई।
 - vi. भारत स्थित संबद्ध देशों के दूतावासों से भी अनुरोध किया गया है कि वे अपने देश के उत्पादकों/निर्यातकों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने का निर्देश

- दैं। उत्पादकों/निर्यातकों को भेजे गए पत्र और प्रश्नावली की एक प्रति संबद्ध देशों के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों के नाम और पते सहित दूतावासों को भी भेजी गई।
- vii. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक जानकारी मांगते हुए संबद्ध देशों के निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को प्रश्नावलियां भेजीं।

क. चांगझोउ जियांगटोंग केमिकल कंपनी लिमिटेड, चीन, जन. गण.
 ख. ड्यूपॉन्ट (चांगशू) फ्लोरो टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड, चीन, जन. गण.
 ग. फुक्सिन हेंगटोंग फ्लोरीन, चीन, जन. गण.
 घ. हेलो पॉलिमर, रूस
 ङ. जुहुआ ग्रुप कॉर्पोरेशन, चीन, जन. गण.
 च. जिआंगसू मीलान केमिकल कंपनी लिमिटेड, चीन, जन. गण.
 छ. किरोवो-चेपेत्स्की खिमिचस्की कोम्बिनेट, रूस
 ज. शांदोंग डोंगयू केमिकल कंपनी लिमिटेड, चीन, जन. गण.
 झ. शांदोंग डोंगयू पॉलिमर मटेरियल कंपनी लिमिटेड, चीन, जन. गण.
 ञ. सिचुआन चेंगुआंग इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल इंडस्ट्री, चीन, जन. गण.
 ट. ताइझोउ मीलान रेजिन प्रोसेस कंपनी, चीन, जन. गण.
 ठ. झोंगक्सिन फ्लोरोकार्बन्स, चीन, जन. गण.

- viii. संबद्ध जाँच की जांच शुरुआत अधिसूचना के उत्तर में, चीन जन. गण. के निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने हितबद्ध पक्षकार के रूप में पंजीकरण कराया है और प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत करके प्रतिक्रिया दी है:

क. जिहुआ योंगहे फ्लोरोकेमिकल कंपनी लिमिटेड
 ख. शांदोंग डोंगयू पॉलिमर मटेरियल कंपनी लिमिटेड
 ग. शाओवु योंगहे जिंटांग न्यू मटेरियल कंपनी लिमिटेड
 घ. द केमर्स (चांगशू) फ्लोरो टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड
 ङ. झोंगहाओ चेंगुआंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड

- ix. संबद्ध जाँच की जांच शुरुआत अधिसूचना के उत्तर में हेलो पॉलिमर ग्रुप, रूस, जिसमें हेलो पॉलिमर पर्म जेएससी (विनिर्माता/निर्यातक, रूस), हेलो पॉलिमर किरोवो-चेपेत्स्क, (निर्यातक/व्यापारी, रूस), हेलो पॉलिमर ट्रेडिंग इंक (निर्यातक/व्यापारी, अमेरिका) और हेलो पॉलिमर एलएलसी (निर्यातक/व्यापारी, रूस) शामिल हैं, ने वर्तमान जाँच में भाग लिया है और लिखित अनुरोध किए हैं, लेकिन प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत नहीं किए हैं।
- x. प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध वस्तु के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं को प्रश्नावली भेजकर नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक जानकारी मंगाई।

क. गोल्डसील-सारगुम्मी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
 ख. जे डी जोन्स एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
 ग. एंड्रयू टेलीकम्युनिकेशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

- घ. गारलॉक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
 ड. हीट एंड कंट्रोल साउथ एशिया प्राइवेट लिमिटेड
 च. ल्यूमिनस पावर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
 छ. इंसुलेशन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड
 ज. वारी एनर्जीज लिमिटेड
 झ. मानेक फ्लोरो पॉलिमर्स प्राइवेट लिमिटेड
 ञ. अराफलेक्स गैस्केट्स एंड जॉइंटिंग्स प्राइवेट लिमिटेड
 ट. बिहार इंसुलेशन हाउस
 ठ. ट्रिटान
 ड. गिंडवेल नॉर्टन लिमिटेड
 ढ. जेम्स वॉकर इनमार्को इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
 ण. इंसुलेशन सॉल्यूशंस
 त. राज एस्बेस्टस कंपनी
 थ. केफ्लॉन फाइन प्रोडक्ट्स
 द. मेहर सोलर टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड
 ध. माइक्रोलिट
 न. जे के ओवरसियर्स
 प. श्रीनार इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड
 फ. न्यू टेक मेडिकल डिवाइसेस
 ब. श्री जी फ्लूरोपॉलिमर्स प्राइवेट लिमिटेड
 भ. संघवी टेक्नो प्रोडक्ट्स
 म. फ्रैंक फैबर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
 य. फ्लोजेट इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड
 कक. अंकुर ट्रेडर्स एंड इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड
 खख. स्वदेशी मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
 गग. लैबोटेक माइक्रोस्कोप्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
 घघ. बिहार मीका हाउस
 डड. कोट्टई शूज
 चच. एनके सोलर पावर एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड
 छछ. पश्चिम बंगाल ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन
 जज. फ्यूचर ग्लास वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड
 झझ. विमल इंटरनेशनल
 ञञ. इंडीग्रीन टेक प्राइवेट लिमिटेड
 टट. मोडर्न इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
 ठठ. कोहली एंटरप्राइजेज
 डड. रेजोन ग्रीन एनर्जीज
 ढढ. श्री श्याम इंटरनेशनल
 णण. लैबोर्टॉन इंस्ट्रूमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
 तत. आइकॉन सोलर पावर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड

थथ. मेहर सोलर टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड
 दद. इमेज लेबल्स प्राइवेट लिमिटेड
 धध. पतंजलि रिन्यूएबल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड
 नन. जेनेसिस कॉमट्रेड प्राइवेट लिमिटेड
 पप. पायनियर मिल स्टोर्स कंपनी
 फफ. प्रीमियर एनर्जीज लिमिटेड
 बब. प्रीमियर सोलर सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड
 भभ. गुप्ता एच सी ओवरसीज (आई) प्राइवेट लिमिटेड
 मम. रायपुर सीजी इम्पेक्स
 यय. रेक्टस गैस्केट एमएफजी
 ककक. राइन सोलर लिमिटेड
 खखख. पॉल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
 गगग. सेसारे बोनेट्टी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
 घघघ. सोलर सॉल्यूशंस इंडिया
 डडड. एचआर सोलर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड
 चचच. विसाका इंडस्ट्रीज लिमिटेड
 छछछ. दीपक इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज
 जजज. टीएडिट पैकिंग एंड गैस्केट्स प्राइवेट लिमिटेड
 झझझ. जय इंटरनेशनल
 जत्रत्र. खुशालदास एंड कंपनी (एसपीडी)
 टटट. जेएमडी इंटरनेशनल
 ठठठ. आरके एक्जिम
 डडड. एशियन इंटरनेशनल कंपनी
 ढढढ. फिलिप्स इंडिया लिमिटेड
 णणण. स्पेक्ट्रोकेम प्राइवेट लिमिटेड
 ततत. आरजी टेक्नो इंडस्ट्रियल
 थथथ. यू डब्ल्यू ए एंटरप्राइजेज
 ददद. ईजीफलो पॉलिमर इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड
 धधध. रोज़ ट्रेडिंग कंपनी
 ननन. फेरी इंटरनेशनल
 पपप. एन एम इम्पेक्स
 फफफ. सीलमैक्स
 बबब. मिलाप ट्रेडर्स
 भभभ. इंटरनेशनल टूल्स कंपनी
 ममम. आकाश केडिया
 ययय. धर्म एक्जिम
 कककक. तानी एंटरप्राइजेज
 खखखख. विराज ट्रेडर्स
 गगगग. श्रीजी ट्रेडर्स

घघघघ. लीना हार्डवेयर्स प्राइवेट लिमिटेड
डडडड. वी आर एसोसिएट्स

- xi. निम्नलिखित आयातकों/प्रयोक्ताओं ने प्राधिकारी को प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत किए हैं:
- क. केमर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
ख. ग्वारनिफ्लोन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
ग. ओमेगा इंडस्ट्रीज
- xii. प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों और संबंधित मंत्रालय को आर्थिक हित प्रश्नावली (ईआईक्यू) जारी की है। ईआईक्यू के उत्तर निम्नलिखित पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए थे:
- क. गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स लिमिटेड
ख. शाओवु योंगहे जिनतांग न्यू मटेरियल कंपनी लिमिटेड
ग. जिन्हूआ योंगहे फ्लोरोकेमिकल कंपनी लिमिटेड
घ. अंगना इंटरनेशनल
ड. ओमेगा इंडस्ट्रीज
- xiii. वर्तमान जाँच के प्रयोजनार्थ जाँच की अवधि (पीओआई) 1 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024 (12 महीने) की है। क्षति जाँच अवधि में 1 अप्रैल, 2020 - 31 मार्च, 2021, 1 अप्रैल, 2021 - 31 मार्च, 2022, 1 अप्रैल, 2022 - 31 मार्च, 2023 की अवधि और जाँच की अवधि शामिल है।
- xiv. डीजी सिस्टम से क्षति अवधि के लिए संबद्ध वस्तु के आयातों का सौदावार विवरण प्रदान करने का अनुरोध किया गया था। वर्तमान अंतिम निष्कर्ष के प्रयोजनार्थ, प्राधिकारी ने डीजी सिस्टम के आयात आंकड़ों पर भरोसा किया है।
- xv. प्राधिकारी ने 30 सितंबर, 2024 की जांच शुरुआत अधिसूचना के पैरा 6 के अंतर्गत हितबद्ध पक्षकारों को जांच शुरुआत के 15 दिनों के भीतर विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) के दायरे के संबंध में अपनी टिप्पणियाँ प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया। विचाराधीन उत्पाद के दायरे या पीसीएन के निर्माण के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत सभी अनुरोधों, जो इस समयावधि के भीतर प्राप्त हुईं, पर विचार किया गया था। प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद और पीसीएन पर चर्चा करने के लिए 21 नवंबर, 2024 को सभी हितबद्ध पक्षकारों के साथ चर्चा आयोजित की। हितबद्ध पक्षकारों से सूचना प्राप्त करने के बाद, प्राधिकारी ने 4 दिसंबर, 2024 की अधिसूचना के माध्यम से पीयूसी और पीसीएन पद्धति के दायरे को स्पष्ट किया।
- xvi. आवेदक से आवश्यक समझी गई सीमा तक अतिरिक्त जानकारी मांगी गई थी। घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों का सत्यापन वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ आवश्यक समझी गई सीमा तक किया गया।
- xvii. प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए अनुरोधों का अगोपनीय अंश उपलब्ध कराया। सभी हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची डीजीटीआर की वेबसाइट पर अपलोड की गई और साथ ही उन सभी से अनुरोध किया गया कि वे अपने अनुरोधों के अगोपनीय अंश अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को ईमेल के माध्यम से भेज दें।

- xviii. नियमावली के नियम 6(6) के अनुसार, प्राधिकारी ने 19 फरवरी, 2025 को एक सार्वजनिक सुनवाई के माध्यम से संबद्ध जांच के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों को मौखिक रूप से अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया। मौखिक सुनवाई में अपने विचार प्रस्तुत करने वाले हितबद्ध पक्षकारों से अनुरोध किया गया कि वे मौखिक रूप से व्यक्त किए गए विचारों का लिखित अनुरोध प्रस्तुत करें, उसके बाद प्रत्युत्तर यदि कोई हो, तो प्रस्तुत करें। हितबद्ध पक्षकारों को लिखित अनुरोधों का अगोपनीय अंश अन्य हितबद्ध पक्षकारों के साथ साझा करने का भी निर्देश दिया गया था।
- xix. निर्दिष्ट प्राधिकारी के परिवर्तन के कारण, 2 जुलाई, 2025 को एक नई मौखिक सुनवाई आयोजित की गई, जिसमें सभी हितबद्ध पक्षकारों को अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया। हितबद्ध पक्षकारों से अनुरोध किया गया कि वे अपने लिखित अनुरोध और प्रत्युत्तर अनुरोध, यदि कोई हों, प्रस्तुत करें।
- xx. क्षतिरहित कीमत (जिसे आगे 'एनआईपी' कहा गया है) का निर्धारण, सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) और पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अनुबंध III के आधार पर घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर भारत में संबद्ध वस्तु के लिए उत्पादन लागत और नियोजित पूंजी पर उचित आय के अनुसार किया गया है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से कम पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा।
- xxi. प्राधिकारी ने इस स्तर पर सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिए गए सभी तर्कों और प्रदान की गई सूचना पर, उस सीमा तक विचार किया है, जहां तक वे साक्ष्यों द्वारा समर्थित हैं और वर्तमान जांच के लिए संगत माने जाते हैं।
- xxii. जहां कहीं भी किसी हितबद्ध पक्षकार ने वर्तमान जांच की प्रक्रिया के दौरान आवश्यक सूचना देने से मना किया है या अन्यथा उसे उपलब्ध नहीं कराया है अथवा जांच में अत्यधिक बाधा डाली है, वहां प्राधिकारी ने ऐसे पक्षकारों को असहयोगी माना है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अंतिम निष्कर्ष दर्ज किया है।
- xxiii. उपर्युक्त नियमावली के नियम 16 के अनुसार, जांच के अनिवार्य तथ्य ज्ञात हितबद्ध पक्षकारों को दिनांक 25 अगस्त, 2025 के प्रकटन विवरण के माध्यम से प्रकट किए गए थे और उन पर प्राप्त टिप्पणियाँ, जिन्हें प्राधिकारी द्वारा संगत माना गया था, पर इन अंतिम जांच परिणाम में ध्यान दिया गया है।
- xxiv. इन अंतिम जांच परिणामों में '***' किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदान की गई और पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 7 के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा गोपनीय मानी गई सूचना को दर्शाता है।
- xxv. प्राधिकारी द्वारा संबद्ध जांच के लिए अपनाई गई विनिमय दर 1 अमेरिकी डॉलर = 83.69 रुपये है।

ग. विचाराधीन उत्पाद

4. जांच शुरुआत के समय यथापरिभाषित विचाराधीन उत्पाद (जिसे आगे "पीयूसी " भी कहा गया है) निम्नानुसार था:

“3. वर्तमान आवेदन में विचाराधीन उत्पाद पॉली टेटरा फ्लुओरो एथिलीन (पीटीएफई) है। पीयूसी का उपयोग मुख्यतः इलेक्ट्रॉनिक, यांत्रिक और रासायनिक उद्योगों में इसकी अद्वितीय विशेषताओं, जैसे रासायनिक निष्क्रियता, विद्युत और तापीय रोधन, कम घर्षण गुणांक, गैर-विषाक्त, गैर-ज्वलनशील, विकिरण प्रतिरोध, निम्न स्तर का स्थैतिक और गतिशील घर्षण और विस्तृत आवृत्ति रेंज में उत्कृष्ट विद्युत गुणों के कारण किया जाता है।

4. विचाराधीन उत्पाद को सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय 39 के अंतर्गत उप-शीर्ष 39046100 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

5. आवेदक ने दायर आवेदन में निम्नलिखित उत्पाद नियंत्रण संख्याएं (पीसीएन) प्रस्तावित की हैं:

क्र.सं.	मापदंड	आधार	पूरा नाम
i.	ए-पीटीएफई	ए-पीटीएफई	एक्वश डिस्पर्सन पी.टी.एफ.ई
ii.	सी-पीटीएफई	सी-पीटीएफई	फिल्ड कंपाउंड पी.टी.एफ.ई
iii.	डी-पीटीएफई	डी-पीटीएफई	फाइन पाउडर पी.टी.एफ.ई
iv.	पीटीएफई	पीटीएफई	दानेदार पी.टी.एफ.ई (सस्पेंशन ग्रेड)
v.	पीटी-पीटीएफई	पीटी-पीटीएफई	दानेदार मोडिफाइड पी.टी.एफ.ई (मोल्डिंग ग्रेड / लो फ्लो वर्जिन ग्रेड / फ्री फ्लो वर्जिन ग्रेड)

ग.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

5. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने विचाराधीन उत्पाद के दायरे और समान वस्तु के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- ए-पीटीएफई को जांच से बाहर रखा जाना चाहिए क्योंकि आवेदक का उत्पाद आयातित वस्तु के मानक से मेल नहीं खाता है और आयातित वस्तु की तुलना में इसके उपभोग मानदंड अधिक हैं, जिससे यह महंगा है और तापमान में उतार-चढ़ाव को सहन नहीं कर सकता।
- आवेदक सी-पीटीएफई का उत्पादन नहीं करता है, बल्कि केवल इसके निर्माण की क्षमता रखता है और इसके अलावा उसके पास पीईईके पीटीएफई, स्टेनलेस स्टील पीटीएफई, पॉलियामाइड पीटीएफई, फिल्ड एल्युमिना (एआई203) पीटीएफई, कैल्शियम फ्लोराइड पीटीएफ, फिल्ड पॉलीमर पीटीएफई, अभ्रक पीटीएफई, बोरम नाइट्रेट फिल्ड पीटीएफई और कोबाल्ट एल्युमिनेट फिल्ड पीटीएफई के उत्पादन के लिए आवश्यक मशीनरी नहीं है और इसलिए, इन ग्रेडों को पीयूसी के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए।

- iii. आवेदक द्वारा उत्पादित डी-पीटीएफई में प्रसंस्करणकर्ताओं द्वारा अपेक्षित तकनीकी और गुणवत्ता मानक नहीं हैं और आयातित डी-पीटीएफई बेहतर है, इसलिए इसे जांच से बाहर रखा जाना चाहिए।
- iv. आवेदक फिल्ड ग्रेड रैम एक्सट्रूज़न ग्रेड (मोल्डिंग ग्रेड)/प्री-सिंटर्ड पाउडर का उत्पादन नहीं करता है। वह केवल ग्रैन्युलर मॉडिफाइड पीटीएफई (जिसमें मोल्डिंग ग्रेड/लो वर्जिन ग्रेड/फ्री फ्लो वर्जिन ग्रेड शामिल है) का उत्पादन करता है। भारत में किसी भी उत्पादक या प्रसंस्करणकर्ता के पास प्री-सिंटर्ड फिल्ड ग्रेड और फ्री फ्लो ग्रेड का उत्पादन करने की तकनीक नहीं है, जिन्हें जांच से बाहर रखा जाना चाहिए और ग्रेडों की सूची नीचे दी गई है:
- प्री-सिंटर और फ्री फ्लो कार्बन फिल्ड पीटीएफई
 - प्री-सिंटर और फ्री फ्लो ग्लास फिल्ड पीटीएफई
 - प्री-सिंटर और फ्री फ्लो ब्रॉन्ज़ फिल्ड पीटीएफई
 - प्री-सिंटर और फ्री फ्लो ग्रेफाइट फिल्ड पीटीएफई
 - प्री-सिंटर और फ्री फ्लो स्टेनलेस स्टील फिल्ड पीटीएफई
 - प्री-सिंटर और फ्री फ्लो एमओएस2 फिल्ड पीटीएफई
 - प्री-सिंटर और फ्री फ्लो पॉलियामाइड पीटीएफई
 - प्री-सिंटर और फ्री फ्लो एल्युमिनियम ऑक्साइड
 - प्री-सिंटर और फ्री फ्लो पीईईके पीटीएफई
 - प्री-सिंटर और फ्री फ्लो कैल्शियम फ्लोराइड (सीएफ2) पीटीएफई ।
 - पीटीएफई में प्री-सिंटर और फ्री-फ्लो फिल्ड पॉलीमर
 - पीटीएफई में प्री-सिंटर और फ्री-फ्लो माइका
 - प्री-सिंटर और फ्री-फ्लो बोरम नाइट्रेट फिल्ड पीटीएफई
 - प्री-सिंटर और फ्री-फ्लो कोबाल्ट एल्युमिनेट फिल्ड पीटीएफई
- v. आवेदक, जांच शुरुआत की सूचना में यथाउल्लिखित सभी पीयूसी के ग्रेडों का उत्पादन नहीं करता है।
- vi. आवेदक, फाइन पाउडर (डी-पीटीएफई) रेज़िन ग्रेड 640सी के समान कोई वस्तु नहीं बेचता है। आवेदक का ग्रेड इनफ्लोन जीएन7500 तकनीकी, भौतिक और अंतिम उपयोग के पहलुओं में भिन्न है।
- vii. जीएन7500 और फाइन पाउडर (डी-पीटीएफई) रेज़िन ग्रेड 640सी का एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग नहीं किया जा सकता है क्योंकि दोनों का अपचयन अनुपात भिन्न होता है और बाद वाले का अनुपात उच्चतर होता है।
- viii. बाज़ार आसूचना के अनुसार, आवेदक के उत्पाद को दोपहिया वाहनों के ब्रेक होज़ के लिए छोटे ट्यूब अनुप्रयोग हेतु अनुमोदित नहीं किया गया है, जिसके लिए उच्च न्यूनीकरण अनुपात की आवश्यकता होती है, जिसकी पूर्ति केमर्स समूह करता है। अतः, ये तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय नहीं हैं।

ग.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

6. घरेलू उद्योग ने विचाराधीन उत्पाद के दायरे और समान वस्तु के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:
 - i. आवेदक विचाराधीन उत्पाद के सभी ग्रेडों का उत्पादन करता है, जैसा कि जांच शुरूआत अधिसूचना में उल्लिखित है।
 - ii. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित डी-पीटीएफई उपभोक्तों द्वारा अपेक्षित गुणवत्ता और तकनीकी विशेषताओं का पालन करता है।
 - iii. जीएन7500, जो आवेदक का उत्पाद है, गुणों के संदर्भ में फाइन पाउडर डी-पीटीएफई रेज़िन ग्रेड 640सी के विनिर्देशनों से मेल खाता है।
 - iv. जीएन7500 विशेष रूप से उच्च अपचयन अनुपात अनुप्रयोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो 4000:1 तक के अपचयन अनुपात का समर्थन करता है, जो ट्यूबिंग और नली प्रसंस्करण के लिए उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप है।
 - v. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित ए-पीटीएफई गुणवत्ता मानकों को पूरा करता है, जैसा कि प्रस्तुत किए गए एफडीए अनुपालन प्रमाण पत्र से प्रमाणित होता है।
 - vi. उल्लिखित प्रकार के सी-पीटीएफई का संबद्ध देशों से कोई आयात नहीं हुआ है। इसके बावजूद, आवेदक ने अनुरोध किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा जांच की अवधि के दौरान सी-पीटीएफई फिल्ड ग्रेड बेचे गए हैं, जैसा कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत सूचना से भी सत्यापित किया जा सकता है।
 - vii. आवेदक मानक फिल्ड ए-पीटीएफई ग्रेडों की एक श्रृंखला का निर्माण करता है, जिसमें ग्लास- फिल्ड पीटीएफई, कार्बन- फिल्ड पीटीएफई, ब्रांज - फिल्ड पीटीएफई, एमओएस₂- फिल्ड पीटीएफई, और विभिन्न अन्य फिलर संयोजन शामिल हैं।
 - viii. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उल्लिखित सी-पीटीएफई के फिल्ड ग्रेड आवेदक द्वारा निर्मित किए जा सकते हैं। इन उत्पादों की मांग काफी कम रही है और ये ग्रेड अत्यधिक अनुकूलित उत्पाद हैं जो ऑर्डर के अनुसार उत्पादित किए जाते हैं।
 - ix. उपभोक्तों ने सी-पीटीएफई के फिल्ड ग्रेडों के लिए कोई अपेक्षा नहीं बताई है और यदि आवश्यकता उत्पन्न होती है, तो आवेदक इसे प्रदान करने के लिए तैयार है।
 - x. आवेदक द्वारा उत्पादित डी-पीटीएफई गुणवत्ता और तकनीकी मानकों का पालन करता है और घरेलू उद्योग द्वारा उच्च कमी अनुपात प्राप्त किया जाता है। आवेदक का उत्पाद जीएन7300 2500:1 का न्यूनीकरण अनुपात प्राप्त करता है और इसे निर्यात भी किया जाता है तथा घरेलू एवं वैश्विक दोनों उपभोक्तों द्वारा अच्छी तरह से स्वीकार किया जाता है।
 - xi. आवेदक का वह ग्रेड जिसकी तुलना प्री-सिन्टर्ड पीटीएफई से की जा सकती है, इनोफ्लोन 510 है, जो पीटी - पीटीएफई का एक भाग है और आरएएम एक्सट्रूज़न अनुप्रयोगों के लिए उपयोग किया जाता है।

- xii. किसी विशेष उत्पाद प्रकार के आयात का अभाव उक्त उत्पाद प्रकार को जांच से बाहर करने का आधार नहीं हो सकता है, जैसा कि प्राधिकारी ने आइसोब्यूटिलीन-आइसोप्रीन रबड़ (आईआईआर) के अंतिम जांच परिणामों में माना था।

ग.3. प्राधिकारी द्वारा जाँच

7. वर्तमान जाँच में विचाराधीन उत्पाद "पॉली टेट्रा फ्लुओरो एथिलीन" (जिसे "पीटीएफई" भी कहा गया है) है।
8. पीटीएफई मुख्य रूप से विद्युत, इलेक्ट्रॉनिक, यांत्रिक, और रासायनिक उद्योगों में इसकी अनूठी विशेषताओं के लिए उपयोग किया जाता है जो रासायनिक जड़ता, विद्युत और थर्मल इन्सुलेशन, घर्षण का कम गुणांक, गैर विषैले, गैर-ज्वलनशील, विकिरण के प्रतिरोध, स्थिर और गतिशील घर्षण के निम्न स्तर, और एक विस्तृत आवृत्ति रेंज पर उत्कृष्ट विद्युत गुण हैं।
9. यह उत्पाद सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के सीमा शुल्क उप-शीर्ष 3904 6100 के अंतर्गत वर्गीकृत है। तथापि, यह वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर किसी भी तरह से बाध्यकारी नहीं है।
10. प्राधिकारी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए मुद्दों/बाहर करने संबंधी अनुरोधों पर निम्नलिखित विचार करते हैं:

क. ए-पीटीएफई: अन्य हितबद्ध पक्षकारों के इस तर्क के संबंध में कि ए-पीटीएफई को जांच से बाहर किया जाना चाहिए क्योंकि आवेदक का उत्पाद गुणवत्ता मानकों के अनुरूप नहीं है, तापमान में उतार-चढ़ाव को सहन कर सकता है और महंगा है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक उपभोक्ताओं को ए-पीटीएफई की आपूर्ति करता है जैसा कि उत्पादन और बिक्री की मात्रा और रिकॉर्ड में रखे गए चालानों से प्रमाणित होता है। घरेलू उद्योग ने जांच अवधि के दौरान *** मीट्रिक टन ए-पीटीएफई का उत्पादन किया और यह उसके कुल उत्पादन का ***% था। यह देखा गया है कि 2022-23 तक ए-पीटीएफई का आयात काफी कम था और जांच अवधि में इसमें तेजी से वृद्धि हुई है। परिणामस्वरूप, जांच अवधि में घरेलू उद्योग की बिक्री में उल्लेखनीय गिरावट आई है। इसके अलावा, यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग के पास ए-पीटीएफई के लिए एफडीए अनुपालन प्रमाण पत्र है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि ए-पीटीएफई के लिए आवेदक का टीडीएस सेवा तापमान सीमा जैसी विशिष्टताओं को दर्शाता है, जो दर्शाता है कि उत्पाद तापमान में उतार-चढ़ाव को सहन कर सकता है। अतः, प्राधिकारी इस उत्पाद को जांच से बाहर रखने की मांग से असहमत हैं।

ख. सी-पीटीएफई: घरेलू उद्योग द्वारा सी-पीटीएफई का उत्पादन नहीं किए जाने का आरोप लगाने वाले अनुरोधों के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक द्वारा रिकार्ड पर उपलब्ध कराई गई जानकारी दर्शाती है कि आवेदक ने क्षति अवधि के दौरान सी-पीटीएफई

का उत्पादन और बिक्री की है। पीईईके पीटीएफई, स्टेनलेस स्टील पीटीएफई, पॉलियामाइड पीटीएफई, फिल्ड एल्युमिना (एआई203) पीटीएफई, कैल्शियम फ्लोराइड पीटीएफई, पीटीएफई में फिल्ड पॉलिमर, पीटीएफई में अभ्रक, बोरम नाइट्रेट फिल्ड पीटीएफई और कोबाल्ट एल्युमिनेट फिल्ड पीटीएफई फिल्ड ग्रेड संबंधी तर्क के बारे में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि ये विभिन्न प्रकार के फिल्ड सी-पीटीएफई हैं। आवेदक विभिन्न प्रकार के मानक फिल्ड सी-पीटीएफई ग्रेड का उत्पादन करता है। तथापि, इन ग्रेडों की मांग काफी कम है, जो इस तथ्य से और भी स्पष्ट होता है कि इन ग्रेडों का आयात नगण्य है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग आयातित सी-पीटीएफई के बराबर मात्रा में उत्पादन करता है। प्राधिकारी ने मौके पर सत्यापन के समय उत्पादन प्रक्रिया और विनिर्माण सुविधाओं का सत्यापन किया है। प्राधिकारी ने यह भी नोट किया है कि इन उत्पादों की अत्यधिक सीमित माँग के कारण, इन ग्रेडों का उत्पादन विशिष्ट आदेशों के आधार पर किया जाता है। आवेदक ने एक घोषणा प्रस्तुत की है कि वह फिल्ड ग्रेड सी-पीटीएफई का उत्पादन कर सकता है और उसके पास इसके लिए सभी आवश्यक उत्पादन सुविधाएँ हैं। इस प्रकार, इन अनुरोधों के आलोक में, प्राधिकारी का मानना है कि सभी फिल्ड सी-पीटीएफई ग्रेड विचाराधीन उत्पाद के दायरे में शामिल हैं।

- ग. आरएएम एक्सडूज़न ग्रेड/प्री-सिंटेड पीटीएफई पाउडर: अन्य हितबद्ध पक्षकारों के इस अनुरोध के संबंध में कि आवेदक फिल्ड आरएएम एक्सडूज़न ग्रेड/प्री-सिंटेड पीटीएफई पाउडर, विशेष रूप से प्री सिंटर ग्लास फिल्ड पीटीएफई, प्री सिंटर ब्रांच फिल्ड पीटीएफई, प्री सिंटर ग्रेफाइट फिल्ड पीटीएफई, प्री सिंटर स्टेनलेस स्टील फिल्ड पीटीएफई, प्री सिंटर एमओएस2 फिल्ड पीटीएफई, प्री सिंटर पॉलियामाइड पीटीएफई, प्री सिंटर एल्युमिनियम ऑक्साइड, प्री सिंटर पीईईके पीटीएफई, प्री सिंटर कैल्शियम फ्लोराइड (सीएफ2) पीटीएफई, पीटीएफई में प्री सिंटर फिल्ड पॉलिमर, पीटीएफई में प्री सिंटर माइका, प्री सिंटर बोरम नाइट्रेट फिल्ड पीटीएफई, प्री सिंटर कोबाल्ट एल्युमिनेट फिल्ड पीटीएफई, प्री फ्लो कार्बन फिल्ड पीटीएफई, प्री फ्लो ग्लास फिल्ड पीटीएफई, प्री फ्लो ब्रांच फिल्ड पीटीएफई, प्री फ्लो ग्रेफाइट फिल्ड पीटीएफई, प्री फ्लो स्टेनलेस स्टील फिल्ड पीटीएफई, प्री फ्लो एमओएस2 फिल्ड पीटीएफई, प्री फ्लो पॉलियामाइड पीटीएफई, प्री फ्लो एल्युमिनियम ऑक्साइड, प्री फ्लो पीईईके पीटीएफई, प्री फ्लो कैल्शियम फ्लोराइड (सीएफ2) पीटीएफई, पीटीएफई में प्री फ्लो फिल्ड पॉलीमर, पीटीएफई में प्री फ्लो माइका, प्री फ्लो बोरम नाइट्रेट फिल्ड पीटीएफई, प्री फ्लो कोबाल्ट एलुमिनेट फिल्ड पीटीएफई का उत्पादन नहीं करता है, यह नोट किया जाता है कि इन ग्रेडों को भी संबद्ध देशों से आयात नहीं किया जाता है। किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने इस अवधि के दौरान उत्पाद का कोई आयात नहीं दर्शाया है। इसके अलावा, आवेदक ने यह दर्शाते हुए साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं और रिकॉर्ड पर रखे हैं कि इसका उत्पाद "इनफ्लोन 510" प्री-सिन्टरड पीटीएफई के समतुल्य है और इसका उपयोग आरएएम एक्सडूज़न अनुप्रयोगों के लिए किया जा रहा है। आवेदक द्वारा यह अनुरोध किया गया है कि आरएएम एक्सडूज़न ग्रेड / प्री-सिन्टरड पीटीएफई पाउडर में अनिवार्य रूप से पीटीएफई के समान उत्पाद विशेषताएं हैं। उत्पादक की विशेषताओं में सूक्ष्म अंतरों से ये अलग-अलग उत्पाद नहीं हो जाते। ये उत्पाद विचाराधीन उत्पाद के समान वस्तु बने रहेंगे। आवेदक ने यह अनुरोध किया है कि प्री-

सिंटर्ड फिल्ड ग्रेड्स के उत्पादन के लिए किसी अतिरिक्त विनिर्माण सुविधा, तकनीक या उत्पादन कौशल की आवश्यकता नहीं होती है। अतः, इन अनुरोधों के आलोक में, प्राधिकारी का मानना है कि सभी फिल्ड प्री-सिंटर्ड फिल्ड ग्रेड्स विचाराधीन उत्पाद के दायरे के भीतर शामिल हैं।

घ. डी-पीटीएफई: हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया है कि आवेदक द्वारा उत्पादित डी-पीटीएफई तकनीकी मानदंडों के आधार पर आयातित उत्पाद से भिन्न है। इस संबंध में, आवेदक ने अनुरोध किया है कि उसका उत्पाद उन्हीं गुणवत्ता और तकनीकी मानकों को पूरा करता है जिनका आरोप हितबद्ध पक्षकार ने लगाया है। यह देखा गया है कि क्षति अवधि के दौरान चीन से डी-पीटीएफई का सकल आयात लगभग 2000 मीट्रिक टन था, जबकि घरेलू उद्योग ने क्षति अवधि के दौरान *** मीट्रिक टन डी-पीटीएफई का उत्पादन किया है। आवेदक ने अपने उपभोक्तों को डी-पीटीएफई की बिक्री के साक्ष्य प्रदान किए और आवेदक के उत्पाद के टीडीएस से यह देखा गया है कि इनोफ्लोन जीएन7300 में 2500:1 का कटौती अनुपात प्राप्त किया गया है, जो आवेदक का उत्पाद है, जिसे घरेलू और वैश्विक दोनों स्तरों पर बेचा जाता है। अतः, प्राधिकारी जांच से बाहर रखने के अनुरोध से असहमत हैं। सत्यापन के बाद, प्राधिकारी संतुष्ट हैं कि आवेदक का उत्पाद आयातित वस्तु की अपेक्षाओं और मानदंडों को पूरा करता है और इसलिए जांच से बाहर रखने के अनुरोध से असहमत हैं।

ड. फाइन पाउडर डी-पीटीएफई रेजिन ग्रेड 640सी और दोपहिया ब्रेक होज में इसका अनुप्रयोग: अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने यह अनुरोध किया है कि आवेदक फाइन पाउडर डी-पीटीएफई रेजिन ग्रेड 640सी के समान वस्तु की बिक्री नहीं करता है। आवेदक ने तर्क दिया है कि उसका ग्रेड इनोफ्लोन जीएन7500, 640सी के समतुल्य ग्रेड है। आवेदक ने जीएन7500 और 640सी, दोनों के विशिष्ट गुणों की तुलना भी प्रस्तुत की है। प्राधिकारी ने नोट किया है कि तकनीकी गुणों के आधार पर दोनों ग्रेड तुलनीय हैं।

11. उपरोक्त के मद्देनजर, प्राधिकारी विचाराधीन उत्पाद और उत्पाद नियंत्रण संख्या (पीसीएन) को निम्नानुसार मानते हैं:

“3. वर्तमान आवेदन में विचाराधीन उत्पाद पॉली टेटरा फ्लुओरो एथिलीन (पीटीएफई) है। इस पीयूसी का प्रयोग मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक, यांत्रिक और रासायनिक उद्योगों में इसकी अद्वितीय विशेषताओं जैसे रासायनिक निष्क्रियता, विद्युत और तापीय रोधन, कम घर्षण गुणांक, गैर-विषाक्त, गैर-ज्वलनशील, विकिरण प्रतिरोध, स्थैतिक और गतिशील घर्षण के निम्न स्तर और विस्तृत आवृत्ति रेंज में उत्कृष्ट विद्युत गुणों के कारण किया जाता है।

4. विचाराधीन उत्पाद को सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय 39 के अंतर्गत उप-शीर्ष 39046100 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

5. आवेदक ने प्रस्तुत आवेदन में निम्नलिखित उत्पाद नियंत्रण संख्याएं (पीसीएन) प्रस्तावित की हैं:

क्र.सं.	मापदंड	आधार	पूरा नाम
i.	ए-पीटीएफई	ए-पीटीएफई	एक्वश डिस्पर्सन पी.टी.एफ.ई
ii.	सी-पीटीएफई	सी-पीटीएफई	फिल्ड कंपाउंड पी.टी.एफ.ई
iii.	डी-पीटीएफई	डी-पीटीएफई	फाइन पाउडर पी.टी.एफ.ई
iv.	पीटीएफई	पीटीएफई	दानेदार पी.टी.एफ.ई (सस्पेंशन ग्रेड)
v.	पीटी-पीटीएफई	पीटी-पीटीएफई	दानेदार मोडिफाइड पी.टी.एफ.ई (मोल्डिंग ग्रेड / लो फ्लो वर्जिन ग्रेड / फ्री फ्लो वर्जिन ग्रेड)"

12. प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक द्वारा उत्पादित उत्पाद और संबद्ध देशों से आयातित विचाराधीन उत्पाद, भौतिक एवं रासायनिक विशेषताओं, कार्य एवं प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशनों, कीमत निर्धारण, वितरण एवं विपणन तथा वस्तु के टैरिफ वर्गीकरण की दृष्टि से तुलनीय हैं। प्राधिकारी का मानना है कि आवेदक द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु, पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(घ) के दायरे और अर्थ के भीतर संबद्ध देशों से आयातित विचाराधीन उत्पाद के समान वस्तु हैं।

घ. घरेलू उद्योग का दायरा एवं स्थिति

घ.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

13. घरेलू उद्योग के दायरे और उसकी स्थिति के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा कोई अनुरोध नहीं किए गए हैं।

घ.2. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

14. आवेदक ने घरेलू उद्योग के दायरे और उसकी स्थिति के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- आवेदन गुजरात फ्लोरो केमिकल्स लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है।
- आवेदक जांच अवधि में विचाराधीन उत्पाद के विनिर्माण में शामिल एकमात्र उत्पादक है। आवेदक ने न तो संबद्ध वस्तु का आयात किया है और न ही किसी आयातक या निर्यातक से संबंधित है।
- एकमात्र अन्य ज्ञात उत्पादक, हिंदुस्तान फ्लोरो कार्बन्स लिमिटेड ने क्षति अवधि के पिछले दो वर्षों में कोई उत्पादन नहीं किया है, जैसा कि उनकी वार्षिक रिपोर्ट से देखा जा सकता है।
- एसआरएफ लिमिटेड ने विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन हेतु क्षमताएँ स्थापित कर ली हैं और वाणिज्यिक रूप से उत्पादन शुरू कर देगा तथा आवेदन का समर्थन किया है।

- v. आवेदक द्वारा किया गया उत्पादन कुल भारतीय उत्पादन का एक 'प्रमुख हिस्सा' है और पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) और नियम 5(3) की अपेक्षाओं को पूरा करता है।

घ.3. प्राधिकारी द्वारा जाँच

15. नियमावली का 2(ख) घरेलू उद्योग को निम्नानुसार परिभाषित करता है: -
“(ख) ‘घरेलू उद्योग’ का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा उन उत्पादकों से हैं, जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा बनता है, परन्तु जब ऐसे उत्पादक कथित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं या वे स्वयं उसके आयातक होते हैं। ऐसे मामले ‘घरेलू उद्योग’ शेष उत्पादकों को समझा जाएगा।
16. वर्तमान आवेदन गुजरात फ्लोरो केमिकल्स लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। आवेदक देश में जाँच की अवधि में संबद्ध वस्तु का एकमात्र कार्यशील उत्पादक है। हिंदुस्तान फ्लोरो कार्बन लिमिटेड पहले संबद्ध वस्तु का उत्पादन कर रहा था। आवेदक ने हिंदुस्तान फ्लोरो कार्बन लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट इस बात के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत की है कि जाँच की अवधि के दौरान कोई उत्पादन नहीं हुआ है। जाँच अवधि में संबद्ध वस्तु का कोई अन्य घरेलू उत्पादक नहीं है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि एक नया उत्पादक, एसआरएफ लिमिटेड है जिसने संबद्ध वस्तु के उत्पादन के लिए *** मीट्रिक टन की क्षमता स्थापित की है। कंपनी ने अक्टूबर, 2023 में वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया है, जैसा कि एसआरएफ लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत समर्थन पत्र से देखा जा सकता है।
17. आवेदक ने संबद्ध वस्तु का आयात नहीं किया है और वह संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के किसी आयातक या निर्यातक से संबंधित नहीं है। रिकॉर्ड में उपलब्ध जानकारी दर्शाती है कि आवेदक का जाँच की अवधि में भारतीय उत्पादन का 100 प्रतिशत हिस्सा बनता है। अतः, प्राधिकारी आवेदक को पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के अनुसार पात्र घरेलू उद्योग मानते हैं और आवेदन नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार स्थिति संबंधी मानदंडों को पूरा करता है।

ड. गोपनीयता

ड.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

18. गोपनीयता के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- i. घरेलू उद्योग ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 7 और दिनांक 9 दिसंबर, 2013 के व्यापार सूचना 1/2013 और दिनांक 7 सितंबर, 2018 के 10/2018 का उल्लंघन करते हुए अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है। आवेदन व्यापार सूचना के पूर्णतः अनुरूप नहीं है क्योंकि इसमें व्यापक चरणबद्ध विनिर्माण प्रक्रिया और पीयूसी उत्पादन में प्रयुक्त

- प्रमुख कच्ची सामग्री के नामों के बारे में कोई जानकारी या गैर-प्रकटन का औचित्य प्रदान नहीं किया गया है।
- ii. अन्य उत्पादकों के उत्पादन की मात्रा और मूल्य, रूस का सामान्य मूल्य, निर्यात आँकड़ों के लिए प्रति इकाई बिक्री लागत, एनआईपी गणना, क्षति मार्जिन जैसे प्रमुख आँकड़े प्रकट नहीं किए गए हैं और प्रकटन नहीं करने का औचित्य नहीं बताया गया है।
 - iii. घरेलू उद्योग द्वारा कीमत कटौती संबंधी जानकारी प्रदान नहीं की गई है।

ड.2. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

19. गोपनीयता के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- i. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा सूचीबद्ध मापदंडों के लिए वास्तविक जानकारी के प्रकटन से तत्काल जाँच में एकमात्र घरेलू उत्पादक के गोपनीय आँकड़े प्रकटन हो जाएगा।
- ii. कीमत कटौती अनिवार्य निर्धारित जानकारी का हिस्सा नहीं है और व्यापार सूचना संख्या 10/2018 में इसका उल्लेख नहीं है।
- iii. प्रतिवादी निर्यातकों ने अपने उत्तरों के सार्वजनिक अंश में अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है, जिसमें शेयरधारकों के नाम, कंपनी और संबद्ध कंपनियों का विवरण, शेयरधारिता प्रतिशत, कंपनी, संबद्ध कंपनियों का विवरण और साथ ही संबंधित कंपनियों की गतिविधियों जैसी सूचना गोपनीय बताई गई है।
- iv. नमूना घरेलू और निर्यात बिक्री दस्तावेजों का प्रकटन नहीं किया गया है। यद्यपि दस्तावेज स्वयं गोपनीय हो सकते हैं, तथापि प्रस्तुत दस्तावेजों की सूची का प्रकटन नहीं किया गया है।

ड.3. प्राधिकारी द्वारा जाँच

20. प्राधिकारी ने नियम 6(7) के अनुसार विभिन्न पक्षकारों द्वारा प्रदान की गई जानकारी का अगोपनीय अंश सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराया था।
21. सूचना की गोपनीयता के संबंध में पाटन-रोधी नियमावली के नियम-7 में निम्नानुसार व्यवस्था है:-

“7. गोपनीय सूचना:

(1) नियम 6 के उपनियमावली (2), (3) और (7), नियम 12 के उपनियम (2), नियम 15 के उपनियम (4) और नियम 17 के उपनियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जाँच की प्रक्रिया में नियम 5 के उपनियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना

देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी किसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।

(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करेगा कि सारांश करना संभव क्यों नहीं है।

(3) उप नियम (2) में किसी बात के होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध अनावश्यक है या सूचना देने वाला या तो सूचना को सार्वजनिक नहीं करना चाहता है या उसकी सामान्य रूप में या सारांश रूप में प्रकटन नहीं करना चाहता है तो वह ऐसी सूचना पर ध्यान नहीं दे सकते हैं।

22. प्राधिकारी, किए गए दावे के अनुसार, घरेलू उद्योग द्वारा बिक्री कीमत, उत्पादन लागत, लाभ, नकद लाभ, निवेश पर आय, उपभोक्ता का नाम, बिक्री/खरीद बीज तथा इन सूचनाओं के समर्थन में या इन सूचनाओं से संबंधित दस्तावेजों/सूचनाओं जैसी सूचनाओं पर गोपनीयता के दावों को स्वीकार करते हैं। इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी किए गए दावे के अनुसार, निर्यातकों/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा विभिन्न निष्पादन संकेतकों, बिक्री मात्राओं एवं मूल्यों, कीमत समायोजनों तथा इनके समर्थन में या इनसे संबंधित विभिन्न सूचनाओं एवं दस्तावेजों जैसी सूचनाओं पर गोपनीयता के दावों की अनुमति देते हैं। प्राधिकारी का मानना है कि यह सूचना स्वाभाविक रूप से गोपनीय है और वास्तविक आधार पर इन सूचनाओं एवं दस्तावेजों का प्रकटन संबंधित पक्षकार पर काफी प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है तथा प्रतिस्पर्धियों और विरोधी हितों वाले पक्षकारों को अनुचित प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्रदान कर सकता है।

23. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदान की गई सूचना की ऐसे दावों की पर्याप्तता के संबंध में जाँच की गई थी। संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी, जहाँ कहीं भी आवश्यक हो, गोपनीयता के दावों को स्वीकार करते हैं और ऐसी सूचना को गोपनीय माना गया है तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को इसका प्रकटन नहीं किया गया है। जहाँ तक संभव हो, गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले पक्षकारों को गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना का पर्याप्त अगोपनीय अंश प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि सभी हितबद्ध पक्षकारों ने अपने व्यवसाय से संबंधित संवेदनशील सूचना को गोपनीय बताया है और इसे उचित माना गया है।

च. विविध मुद्दे

च.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

24. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- i. वित्त मंत्रालय ने 2022 में शुल्क लगाने की सिफारिशों को अस्वीकार कर दिया था, जिसे घरेलू उद्योग ने दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। घरेलू उद्योग ने आवेदन प्रस्तुत करते समय जानबूझकर यह जानकारी छिपाई थी, जिसका प्रकटन होने पर जाँच की शुरुआत नहीं हो पाती। घरेलू उद्योग फोरम शॉपिंग में लिप्त है।
- ii. यदि उच्च न्यायालय घरेलू उद्योग के पक्ष में निर्णय देता है और यदि वर्तमान जाँच के परिणामस्वरूप शुल्क लगाया जाता है, तो इससे दोहरे उपचार की स्थिति उत्पन्न होगी। वर्तमान जाँच दिल्ली उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश के महत्व को कम करेगी।
- iii. वित्त मंत्रालय ने पिछले पाटनरोधी शुल्क को पाँच वर्षों के लिए लागू करने से मना कर दिया था और इसलिए अगला अनुरोध पाँच वर्षों के बाद ही किया जाना चाहिए।
- iv. घरेलू उद्योग उपायों के इतिहास से अवगत रहा है और उसे लंबे समय तक संरक्षण प्राप्त रहा है, जिससे एकाधिकार और असाधारण लाभ का सृजन हुआ है। उसे विभिन्न पाटनरोधी उपायों के माध्यम से पीटीएफई के अलावा, एफकेएम, मेथिलीन डाई क्लोराइड और कास्टिक सोडा जैसे अनेक उत्पादों पर भी संरक्षण प्राप्त है, जिससे घरेलू उद्योग को घरेलू बाजार में एक प्रमुख और लगभग एकाधिकार वाली स्थिति बनाए रखने में मदद मिलती है।

च.2. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

25. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- i. वर्तमान जाँच एक नई जाँच है और लगाए गए कोई भी उपाय पूर्ण और गहन जाँच के आधार पर होंगे।
- ii. यद्यपि शुल्क लंबे समय से लागू थे, तथापि वे पूरी अवधि के लिए पूरी तरह से प्रभावी नहीं थे क्योंकि पाटित संबद्ध आयातों ने बाजार में एक महत्वपूर्ण उपस्थिति बनाए रखी, जिससे ऐसे उपायों के उपचारात्मक प्रभाव कम हो गए।
- iii. घरेलू उद्योग ने एकाधिकार नहीं बनाया है या असामान्य लाभ अर्जित नहीं किया है। इसके विपरीत, घरेलू उद्योग को पहले से मौजूद शुल्कों के समाप्त होने के बाद से जांच की अवधि में लाभ की हानि हुई है।
- iv. घरेलू उद्योग की कीमतें पूरी क्षति अवधि के दौरान यूरोपीय संघ और अमेरिका दोनों से कम रही हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि घरेलू उद्योग लगातार प्रतिस्पर्धी रहा है और उसने कभी भी अपनी कीमतों में असामान्य वृद्धि नहीं की है। अतः, घरेलू उद्योग ने कभी भी कोई एकाधिकारवादी प्रवृत्ति नहीं दिखाई है।
- v. घरेलू उद्योग ने सेस्टेट के आदेशों से उत्पन्न डब्ल्यू.पी.(सी) 10641/2022 से संबंधित अपने अधिकारों को वापस ले लिया है, जिसका निपटारा भी दिल्ली उच्च न्यायालय ने 13 फरवरी, 2025 के आदेश के अंतर्गत किया था।
- vi. घरेलू उद्योग ने वित्त मंत्रालय के 18 जुलाई, 2022 के कार्यालय ज्ञापन को चुनौती देते हुए डब्ल्यू.पी.(सी) संख्या 13928/2022 दायर की थी, जिसमें पाटनरोधी उपाय लागू करने की प्राधिकारी की सिफारिश को स्वीकार करने से इंकार कर दिया गया था। न्यायालय ने दिनांक 12 मार्च, 2025 के आदेश द्वारा इस मामले का निपटान कर दिया है।

- vii. घरेलू उद्योग ने फोरम शॉपिंग में भाग नहीं लिया था और न ही ऐसा करने का इरादा रखता था, बल्कि वह केवल अनुचित आयातों से स्वयं को बचाने का प्रयास कर रहा था। न्यायालय ने दोनों याचिकाओं का निपटान कर दिया है।
- viii. इस दावे का कोई कानूनी आधार नहीं है कि केवल इसलिए कि वित्त मंत्रालय ने प्राधिकारी की सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया, अगले पाँच वर्षों तक कोई शुल्क नहीं लगना चाहिए।

च.3. प्राधिकारी द्वारा जाँच

- 26. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग ने उच्च न्यायालय के समक्ष चल रही याचिकाओं के संबंध में प्राधिकारी को सूचित नहीं किया है। यह भी तर्क दिया गया है कि यदि ऐसी जानकारी प्रकट की गई होती, तो जाँच शुरू ही नहीं की गई होती। घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि उसने इन कार्यवाहियों में अपने अधिकार वापस ले लिए हैं और दोनों याचिकाओं का निपटान कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, यह भी नोट किया गया है कि उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत याचिकाओं का निपटान कर दिया गया है, जिससे यह संकेत मिलता है कि घरेलू उद्योग किसी अन्य मंच से कोई अन्य उपचार नहीं ले रहा है।
- 27. इसके अतिरिक्त, इस तर्क के संबंध में कि वित्त मंत्रालय द्वारा पिछली सिफारिशों को अस्वीकार किए जाने के कारण पाटनरोधी उपायों के लिए अगला अनुरोध पाँच वर्ष बाद ही किया जाना चाहिए, प्राधिकारी को इस दावे का कोई कानूनी आधार नहीं मिलता है। ऐसा कोई कानूनी प्रावधान नहीं है जो घरेलू उद्योग पर केवल इसलिए पाटनरोधी शुल्क (एडीडी) मांगने पर रोक लगाता हो क्योंकि पिछली सिफारिश को वित्त मंत्रालय द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। वर्तमान जाँच की शुरुआत मामले के तथ्यों से प्राधिकारी की प्रथमदृष्टया संतुष्टि के बाद की गई है, जो पूर्ववर्ती मामले से भिन्न जाँच अवधि से संबंधित हैं।

छ. बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार, सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण

छ.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

- 28. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के बारे में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:
 - i. चीन की बाजार अर्थव्यवस्था के विकास के आधार पर चीन जन. गण. को बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा दिया जाना चाहिए। चीन के एक्सेसन प्रोटोकॉल का अनुच्छेद 15(क)(ii) 11 दिसंबर, 2016 को समाप्त हो गया था।
 - ii. 11 दिसंबर, 2016 के बाद पाटनरोधी विनियम में चीन के निर्यातक उत्पादकों के लिए उनके घरेलू कीमतों और लागतों के अलावा किसी अन्य आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित करने की अनुमति देने वाला कोई प्रावधान नहीं हो सकता।

- iii. विश्व व्यापार संगठन समझौते के अंतर्गत भारत के पास गैर-बाजार अर्थव्यवस्था पद्धति का उपयोग करके चीन जन. गण. के उत्पादों के लिए पाटनरोधी जाँच में सामान्य मूल्य की गणना करने का कोई कानूनी आधार नहीं है। भारत द्वारा की गई ऐसी कोई भी कार्रवाई जीएटीटी के अनुच्छेद VI के कार्यान्वयन संबंधी करार की अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं होगी।
- iv. सामान्य मूल्य की गणना में प्रतिनिधि देश पद्धति अब लागू नहीं होती, भले ही चीन जन.गण. को करार के पालन करने के सिद्धांत के कारण बाजार अर्थव्यवस्था माना जाए, विश्व व्यापार संगठन में चीन के एक्सेसन प्रोटोकॉल की धारा 15 और चीन जन. गण. द्वारा शुरू की गई ईसी-फास्टनर्स संबंधी अपीलीय निकाय की रिपोर्ट के कारण बाजार अर्थव्यवस्था माना जाता हो या नहीं।
- v. विश्व व्यापार संगठन में चीन के एक्सेसन प्रोटोकॉल के अनुसार चीन जन. गण. को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था नहीं माना जाना चाहिए, इसकी पुष्टि विश्व व्यापार संगठन के अपीलीय निकाय ने "ईसी-फास्टनर्स" प्रकटन मामले में भी की थी। अमेरिका और यूरोपीय संघ ने चीन जन. गण. के साथ अपने-अपने द्विपक्षीय करार में चीन के विश्व व्यापार संगठन में प्रवेश के 15 वर्ष बाद गैर-बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा समाप्त होने का भी उल्लेख किया था।
- vi. यूरोपीय संघ की कीमत के साथ तुलना के कारण चीन की सामान्य मूल्य गणना गलत है, जैसा कि जांच शुरूआत सूचना में नोट किया गया है। सामान्य मूल्य अत्यधिक बढ़ा-चढ़ाकर बताया गया है।
- vii. आवेदक द्वारा दावा किया गया 40-70% का पाटन मार्जिन, आवेदक की लागत पर आधारित उच्च सामान्य मूल्य के उपयोग के कारण बढ़ा-चढ़ाकर बताया गया है, जिसमें अत्यधिक लागतों को दूर करने के लिए समायोजन नहीं किए गए हैं। प्राधिकारी रूस के लिए सामान्य मूल्य के परिकलन हेतु केवल सामान्य लागत का उपयोग कर सकते हैं।

छ.2. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

29. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में घरेलू उद्योग निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:
 - i. चीन को एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माना जाना चाहिए और चीन जन. गण. के उत्पादकों/निर्यातकों के मामले में सामान्य मूल्य का निर्धारण पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध I के पैरा 8(2) और 8(3) के साथ पठित पैरा 7 के अनुसार किया जाना चाहिए। पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध I के पैरा 8 के अनुसार, यह माना जाता है कि चीन जन. गण. में संबद्ध वस्तु के उत्पादक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था की परिस्थितियों में प्रचालन कर रहे हैं। अतः, चीन जन. गण. में संबद्ध वस्तु के सामान्य मूल्य का अनुमान पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध I के पैरा 7 के अनुसार लगाया गया है।

- ii. प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15(घ) के अनुसार, 15(क)(ii) का प्रावधान दिसंबर, 2016 अर्थात् डब्ल्यूटीओ में चीन जन. गण. के शामिल होने के 15 वर्ष के बाद, समाप्त हो गया है। तथापि, अनुच्छेद 15(क)(i), जो चीन जन. गण. के लिए गैर-बाजार अर्थव्यवस्था की धारणा प्रदान करता है, अभी भी लागू है। अतः, एक वैध धारणा मौजूद है कि पाटनरोधी जांच के लिए चीन जन. गण. एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश है।
- iii. प्राधिकारी को सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए अनुबंध I के पैरा 1-6 का पालन तभी करना चाहिए जब प्रतिवादी चीन की कंपनियां यह सिद्ध कर दें कि उनकी लागत और कीमत संबंधी जानकारी ऐसी है कि अलग-अलग सामान्य मूल्य और पाटन मार्जिन निर्धारित किया जा सकता है। यदि चीन की प्रतिवादी कंपनियां यह दर्शाने में सक्षम नहीं हैं कि उनकी लागत और कीमत संबंधी जानकारी को अपनाया जा सकता है, तो प्राधिकारी को अलग-अलग पाटन मार्जिन के दावे को अस्वीकार कर देना चाहिए।
- iv. नियमावली के अनुबंध I के पैराग्राफ 1 से 6, चीन जन. गण. से आयात के सामान्य मूल्य की गणना के लिए लागू नहीं होते, जब तक कि कोई उत्पादक/निर्यातक पर्याप्त साक्ष्य के साथ यह न दर्शाए कि वह बाजार अर्थव्यवस्था की परिस्थितियों में प्रचालन कर रहा है। परिणामस्वरूप, चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य नियमावली के अनुबंध I के पैराग्राफ 7 के अनुसार, निर्धारित करना होगा।
- v. घरेलू उद्योग ने चीन जन. गण. के संबंध में सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए यूरोपीय संघ से भारत में आयात पर विचार किया है।
- vi. घरेलू उद्योग रूस के घरेलू बाजारों में संबद्ध वस्तु की कीमतों के बारे में जानकारी एकत्र करने में सक्षम नहीं था। अतः, घरेलू उद्योग ने भारत में उत्पादन लागत को ध्यान में रखते हुए, बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्ययों और उचित लाभ को उचित रूप से जोड़ने के बाद, रूस के लिए सामान्य मूल्य निर्धारित किया है।

छ.3. प्राधिकारी द्वारा जाँच

30. धारा 9(1)(ग) के अधीन, किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का तात्पर्य है:

- (i) व्यापार की सामान्य प्रक्रिया के समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप नियम (6) के तहत बनाए गए नियमावली के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा
- (ii) जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा:

(क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमावली के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो, अथवा

(ख) उपधारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमावली के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उदगम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत:

परंतु यदि उक्त वस्तु का आयात उदगम वाले देश से भिन्न किसी देश से किया गया है और जहां उक्त वस्तु को निर्यात के देश से होकर केवल स्थानांतरण किया गया है अथवा ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यात के देश में नहीं होता है, अथवा निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण उदगम वाले देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा।

31. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों के साथ-साथ भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों को प्रश्नावलियां भेजीं, जिसमें उन्हें विहित समय-सीमा के भीतर प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप और तरीके से सूचना उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। प्राधिकारी को निम्नलिखित निर्यातकों/उत्पादकों से प्रश्नावली के उत्तर प्राप्त हुए:

- क. जिंहुआ योंगहे फ्लोरोकेमिकल कंपनी लिमिटेड
- ख. शांदोंग डोंग्यु पॉलिमर मटेरियल कंपनी लिमिटेड
- ग. शाओवु योंगहे जिंटोंग न्यू मटेरियल कंपनी लिमिटेड
- घ. द केमर्स (चांगशु) फ्लोरो टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड
- ड. झोंगहाओ चेंगुआंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड

32. संबद्ध देशों के सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत निम्नानुसार निर्धारित किया जाना प्रस्ताव है।

चीन के उत्पादकों के लिए बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा

33. डब्ल्यू टी ओ में चीन के एक्सेशन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15 में निम्नानुसार व्यवस्था है:

"जी ए टी टी 1994 का अनुच्छेद-VI, टैरिफ और व्यापार पर सामान्य करार, 1994 ("पाटनरोधी करार") के अनुच्छेद-VI का कार्यान्वयन संबंधी करार और एससीएम करार किसी डब्ल्यू टी ओ सदस्य में चीन के मूल के आयातों में शामिल कार्यवाही में निम्नलिखित के संगत लागू होगा :

- (क) जीएटीटी, 1994 के अनुच्छेद-VI और पाटनरोधी करार के अंतर्गत कीमत तुलनीयता के निर्धारण में आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य या तो जांचाधीन उद्योग के लिए चीन की कीमतों अथवा लागतों का उपयोग करेंगे या उस पद्धति को उपयोग करेंगे जो निम्नलिखित

नियमावली के आधार पर चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ सख्ती से तुलना करने में आधारित नहीं है:

- (i) यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह दिखा सकते हैं कि समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां रहती हैं तो आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य मूल्य की तुलनीयता का निर्धारण करने में जांचाधीन उद्योग के लिए चीन की कीमतों अथवा लागतों का उपयोग करेगा।
 - (ii) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य उस पद्धति का उपयोग कर सकता है जो चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ सख्त तुलना पर आधारित नहीं है, यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह नहीं दिखा सकते हैं कि उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग के लिए लागू नहीं हैं।
- (ख) एससीएम समझौते के भाग II, III और V के अंतर्गत कार्यवाहियों में अनुच्छेद 14(क), 14(ख), 14(ग) और 14(घ) में निर्धारित राज्य हायता को बताते समय एससीएम समझौते के प्रासंगिक प्रावधान लागू होंगे, तथापि, उसके प्रयोग करने में यदि विशेष कठिनाईयां हों, तो आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य राजसहायता लाभ की पहचान करने और उसको मापने के लिए ऐसी पद्धति का उपयोग कर सकते हैं जिसमें उस संभावना को ध्यान में रखा जाए कि चीन में प्रचलित निबंधन और शर्तें उपयुक्त बेंचमार्क के रूप में सदैव उपलब्ध नहीं हो सकती हैं। ऐसी पद्धतियों को लागू करने में, जहां व्यवहार्य हो, आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य के द्वारा चीन से बाहर प्रचलित निबंधन और शर्तों के उपयोग के बारे में विचार करने से पूर्व ऐसी विद्यमान निबंधन और शर्तों को समायोजित करना चाहिए।
- (ग) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य उप-पैराग्राफ (क) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को पाटनरोधी प्रक्रिया समिति के लिए अधिसूचित करेगा तथा उप पैराग्राफ (ख) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को सब्सिडी तथा प्रतिसंतुलनकारी उपायों संबंधी समिति को अधिसूचित करेगा।
- (घ) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के तहत चीन के एक बार बाजार अर्थव्यवस्था सिद्ध हो जाने पर, उप पैराग्राफ के प्रावधान (क) के प्रावधान समाप्त कर दिए जाएंगे, बशर्ते कि आयात करने वाले सदस्य के राष्ट्रीय कानून में एक्सेशन की तारीख के अनुरूप बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी मानदंड हो। किसी भी स्थिति में उप पैराग्राफ (क)(ii) के प्रावधान एक्सेशन की तारीख के बाद 15 वर्षों में समाप्त हो जाएंगे। इसके अलावा, आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के अनुसरण में चीन के द्वारा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां एक विशेष उद्योग अथवा क्षेत्र में प्रचलित हैं, उप पैराग्राफ (क) के गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के प्रावधान उस उद्योग अथवा क्षेत्र के लिए आगे लागू नहीं होंगे।"

34. यह नोट किया जाता है कि यद्यपि अनुच्छेद 15(क)(ii) में दिए गए प्रावधान 11.12.2016 को समाप्त हो गए हैं, तथापि एक्सेसन प्रोटोकॉल के 15(क)(i) के अधीन दायित्व के साथ पठित डब्ल्यूटीओ पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 2.2.1.1 के अंतर्गत प्रावधानों में भारत की नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 8 में निर्धारित मापदंड को बाजार अर्थव्यवस्था के दर्जे के दावे संबंधी पूरक प्रश्नावली में दी जाने वाली सूचना/आंकड़ों के ज़रिए पूरा करना अपेक्षित है।
35. किसी भी प्रतिवादी उत्पादक ने पूरक प्रश्नावली प्रस्तुत नहीं की है। तदनुसार, चीन जन. गण. से सभी उत्पादकों / निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत को निम्नानुसार निर्धारित किया जाना प्रस्तावित है।

चीन जन. गण.

क. चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण

36. नियमावली के अनुबंध 1 का पैरा 7 सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु एक पदानुक्रम निर्धारित करता है और यह प्रावधान करता है कि सामान्य मूल्य का निर्धारण किसी बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमत या परिकलित मूल्य के आधार पर या ऐसे तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों को कीमत के आधार पर किया जाएगा अथवा जहाँ यह संभव न हो, वहाँ किसी अन्य तर्कसंगत आधार पर, जिसमें समान उत्पाद के लिए भारत में वास्तव में भुगतान की गई या देय कीमत भी शामिल है, जिसे यदि आवश्यक हो, तो उचित लाभ मार्जिन शामिल करने के लिए विधिवत समायोजित किया जाएगा। इस प्रकार, प्राधिकारी नोट करते हैं कि पैरा 7 के अंतर्गत प्रदान किए गए विभिन्न अनुक्रमिक विकल्पों को ध्यान में रखते हुए सामान्य मूल्य का निर्धारण किया जाना आवश्यक है। किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा प्रस्तुत किसी बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में प्रचलित कीमत या परिकलित मूल्य का कोई साक्ष्य नहीं है।
37. घरेलू उद्योग ने अपने आवेदन में यूरोपीय संघ से भारत में आयात मूल्य के आधार पर सामान्य मूल्य का दावा किया है। आयात आँकड़ों का विश्लेषण करने के बाद, प्राधिकारी ने नोट किया है कि यद्यपि उत्पाद का एक विशिष्ट वर्गीकरण है, फिर भी पीटीएफई के अन्य प्रकार भी हैं, जो विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर हैं और उसी सीमा शुल्क वर्गीकरण के अंतर्गत आते हैं। इसके अतिरिक्त, विभिन्न प्रकार के उत्पाद काफी भिन्न कीमतों पर बेचे जाते हैं और प्राधिकारी ने निष्पक्ष तुलना सुनिश्चित करने के लिए एक पीसीएन तैयार किया है। इसलिए, उत्पाद की कीमत और सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए उत्पाद के लिए निर्धारित एचएस वर्गीकरण हेतु सीमा शुल्क आँकड़ों का उपयोग करना संभव नहीं है।
38. नियमावली के अनुबंध 1 के पैरा 7 में उल्लिखित अन्य विधियों के संबंध में रिकार्ड में पर्याप्त जानकारी के अभाव में, प्राधिकारी ने "किसी अन्य तर्कसंगत आधार" पर विधि पर विचार करके सामान्य मूल्य निर्धारित किया है। अतः, प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत के आधार पर उचित समायोजनों के बाद और बिक्री, सामान्य एवं प्रशासनिक व्ययों तथा लाभों को उचित रूप

से जोड़ करने के बाद, चीन में संबद्ध आयातों के लिए सामान्य मूल्य निर्धारित किया है। इस प्रकार निर्धारित सामान्य मूल्य पाटन मार्जिन तालिका में दिया गया है।

ख. निर्यात कीमत का निर्धारण

i. शाओवु योंगहे जिन्तांग न्यू मटेरियल कंपनी लिमिटेड और जिन्हुआ योंगहे फ्लोरीन केमिकल कंपनी लिमिटेड

39. शाओवु योंगहे जिन्तांग न्यू मटेरियल कंपनी लिमिटेड ("शाओवु") चीन जन. गण. में संबद्ध वस्तु का एक उत्पादक है। शाओवु ने भारत में असंबंधित उपभोक्ताओं को सीधे संबद्ध वस्तु का निर्यात किया है। जिन्हुआ योंगहे फ्लोरोकेमिकल कंपनी लिमिटेड ("जिन्हुआ") शाओवु से संबंधित एक व्यापारिक कंपनी है जिसने जांच की अवधि के दौरान भारत को संबद्ध वस्तु का निर्यात किया है। शाओवु और जिन्हुआ ने निर्धारित निर्यातक प्रश्नावली प्रारूप में संगत पीसीएन-वार जानकारी प्रदान की है।
40. यह नोट किया जाता है कि जिन्हुआ ने अन्य असंबंधित उत्पादकों द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु का भारत को निर्यात किया है। जिन्हुआ ने जांच की अवधि के दौरान शाओवु द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु का भारत को निर्यात नहीं किया है। जिन उत्पादकों से जिन्हुआ ने भारत को निर्यात के लिए संबद्ध वस्तु की खरीद की है, उन्होंने प्राधिकारी के साथ सहयोग नहीं किया है और इसलिए, प्राधिकारी ने निवल निर्यात कीमत और पहुँच मूल्य के निर्धारण के लिए जिन्हुआ द्वारा प्रदत्त जानकारी पर विचार नहीं किया है।
41. यह नोट किया जाता है कि शाओउ ने भारत में असंबंधित उपभोक्ताओं को सीधे *** मीट्रिक टन संबद्ध वस्तु का उत्पादन और निर्यात किया है। शाओउ ने समुद्री भाड़ा, बीमा, अंतर्देशीय परिवहन, पत्तन और अन्य संबंधित व्ययों, ऋण लागत और बैंक प्रभारों के लिए समायोजन का दावा किया है, जिसकी अनुमति प्राधिकारी द्वारा डेस्क सत्यापन के बाद दी गई है। शाओउ के लिए निर्धारित भारत औसत कारखानाद्वार निर्यात कीमत पाटन मार्जिन तालिका में दी गई है।

ii. शांदोंग डोंग्युए पॉलिमर मटेरियल कंपनी लिमिटेड

42. शांदोंग डोंग्युए पॉलिमर मटेरियल कंपनी लिमिटेड, एक अन्य सीमित देयता कंपनी है, जिसकी स्थापना 30 नवंबर, 2001 को पीआरसी के कंपनी कानून के अंतर्गत हुई थी। जांच की अवधि के दौरान, शांदोंग डोंग्युए पॉलिमर मटेरियल कंपनी लिमिटेड ने भारत में असंबंधित क्रेताओं को सीधे *** मीट्रिक टन संबद्ध वस्तु बेची है। उत्पादक/निर्यातक ने समुद्री भाड़ा, बीमा, अंतर्देशीय परिवहन, पत्तन और अन्य संबंधित व्यय, बैंक प्रभार और ऋण लागत के मदों में समायोजन का दावा किया है ताकि कारखानाद्वार स्तर पर पीसीएन-वार निर्यात कीमत ज्ञात की जा सके, जिसे प्राधिकारी द्वारा डेस्क सत्यापन के बाद स्वीकार कर लिया गया है। इस प्रकार निर्धारित भारत औसत निवल निर्यात कीमत पाटन मार्जिन तालिका में दर्शायी गयी है।

iii. झोंगहाओ चेंगुआंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड

43. झोंगहाओ चेंगुआंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण. के कंपनी कानून के अंतर्गत स्थापित एक सीमित देयता कंपनी है। जांच की अवधि के दौरान, झोंगहाओ चेंगुआंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड ने भारत में असंबंधित क्रेताओं को सीधे *** मीट्रिक टन संबद्ध वस्तु की बिक्री की है। उत्पादक/निर्यातक ने जांच की अवधि में, पीसीएन-वार निर्यात कीमत निर्धारित करने के लिए समुद्री भाड़ा, बीमा, अंतर्देशीय परिवहन, पत्तन और अन्य संबंधित व्ययों तथा बैंक प्रभारों के समायोजन का दावा किया है, जिसकी अनुमति प्राधिकारी द्वारा डेस्क सत्यापन के बाद दी गई है। झोंगहाओ चेंगुआंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड के लिए यथानिर्धारित भारत औसत कारखानाद्वारा निर्यात कीमत पाटन मार्जिन तालिका में दी गई है।

iv. केमर्स (चांगशु) फ्लोरो टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड

44. प्राधिकारी नोट करते हैं कि केमर्स (चांगशु) फ्लोरो टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड ("केमर्स चांगशु") चीन जन. गण. में पीयूसी का एक उत्पादक है और उसने जांच की अवधि में *** मीट्रिक टन पीयूसी का निर्यात सीधे भारत में या तो अपने संबंधित आयातक केमर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ("केमर्स इंडिया") या भारत में स्वतंत्र उपभोक्ताओं /आयातकों को किया है। केमर्स चांगशु और केमर्स इंडिया दोनों ने अपने निर्यातक और संबंधित आयातक प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत किए हैं। *** मीट्रिक टन में से, केमर्स चांगशु ने *** मीट्रिक टन केमर्स इंडिया को बेचा है, जिसने भारत में अंतिम उपभोक्ताओं को पीयूसी की पुनः बिक्री की है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि केमर्स इंडिया द्वारा अंतिम उपभोक्ताओं को पुनः बिक्री लाभ पर किया गया है। प्राधिकारी ने निवल निर्यात कीमत की गणना के लिए केमर्स चांगशु द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों पर विचार किया है।
45. समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, पत्तन प्रभार, अंतर्देशीय परिवहन लागत और ऋण लागत के लिए दावा किए गए समायोजनों को प्राधिकारी द्वारा डेस्क सत्यापन के बाद अनुमति दी गई है। तदनुसार, केमर्स चांगशु के लिए निवल निर्यात कीमत पीसीएन-वार आंकड़ों के आधार पर निर्धारित की गई है और उसके बाद भारत को भारत औसत निवल निर्यात कीमत निर्धारित की गई है और इसका उल्लेख पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

रूस

- i. हेलो पॉलिमर पर्म जेएससी (उत्पादक/निर्यातक, रूस)
- ii. हेलो पॉलिमर किरोवो-चेपेत्स्क (निर्यातक, रूस)
- iii. हेलो पॉलिमर ट्रेडिंग इंक (निर्यातक/व्यापारी, अमेरिका)
- iv. हेलो पॉलिमर एलएलसी (निर्यातक/व्यापारी, रूस)

क. सामान्य मूल्य का निर्धारण

46. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यद्यपि हेलो पॉलिमर समूह ने वर्तमान जाँच में एक हितबद्ध पक्षकार के रूप में पंजीकरण कराया है और कानूनी अनुरोध प्रस्तुत किए हैं, तथापि उन्होंने अपने समूह की किसी भी कंपनी की ओर से निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत नहीं किए हैं। प्राधिकारी ने भारत में उत्पादन लागत के आधार पर बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्ययों और उचित लाभ को जोड़कर, कारखानाद्वार स्तर पर सामान्य मूल्य निर्धारित किया है।

ख. निर्यात कीमत का निर्धारण

47. निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर में निर्धारित प्रारूप और तरीके से संगत जानकारी प्रस्तुत न किए जाने के कारण, प्राधिकारी ने समुद्री भाड़ा, बीमा, कमीशन, पत्तन व्यय और अंतर्देशीय भाड़ा प्रभारों के लिए उचित समायोजन करने के बाद, कारखानाद्वार स्तर पर निवल निर्यात कीमत निर्धारित करने हेतु सौदावार डीजी सिस्टम्स आयात आंकड़ों के आधार पर निवल निर्यात कीमत निर्धारित की है। तदनुसार, रूस से निर्यात का कारखानाद्वार स्तर पर निवल निर्यात कीमत निर्धारित की गई है और पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित है।

चीन जन. गण. और रूस के सभी असहयोगी उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण

48. चीन और रूस के असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर किया गया है। इस प्रकार निर्धारित सामान्य मूल्य पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित है।

चीन जन. गण. और रूस के सभी असहयोगी उत्पादकों के लिए निर्यात कीमत का निर्धारण

49. चीन और रूस के अन्य असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत, नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित की गई है। इस प्रकार निर्धारित निर्यात कीमत का उल्लेख पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

पाटन मार्जिन

50. ऊपर यथानिर्धारित सामान्य मूल्यों और निर्यात कीमतों पर विचार करते हुए, यह नोट किया गया है कि पाटन मार्जिन नियमावली के अंतर्गत विहित न्यूनतम सीमा से अधिक है। पाटन मार्जिन का निर्धारण संबद्ध देशों के उत्पादकों/निर्यातकों से प्रत्येक पीसीएन के सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत पर विचार करने के बाद किया गया है। संबद्ध देशों के उत्पादकों और निर्यातकों के लिए इस प्रकार निर्धारित भारित औसत पाटन मार्जिन नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है:

पाटन मार्जिन तालिका

क्र. सं.	देश	उत्पादक का नाम	निवल निर्यात कीमत (यूएस डॉलर/मी. टन)	सीएनवी (यूएस डॉलर/मी. टन)	डीएम राशि (यूएस डॉलर/मी. टन)	डीएम (%)	डीएम रेंज
1.	चीन जन. गण.	शेडोंग डोंगयू पॉलिमर मटेरियल कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	50-60
2.		शाओवु योंगहे जिन्तांग न्यू मटेरियल कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	110-120
3.		द केमर्स (चांगशु) फ्लोरो टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	नकारात्मक
4.		झोंगहाओ चेंगुआंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	नकारात्मक
5.		चीन जन. गण. से कोई अन्य उत्पादक	***	***	***	***	150-160
6.	रूस	सभी उत्पादक	***	***	***	***	85-95

ज. क्षति और कारणात्मक संपर्क की जांच**ज.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध**

51. क्षति और कारणात्मक संपर्क के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- बिक्री में गिरावट जांच की अवधि में कुल मांग में गिरावट से अधिक थी।
- 2022-23 में, आयात में 40% की वृद्धि हुई जबकि जांच की अवधि में इसमें केवल 28% की वृद्धि हुई।
- घरेलू उद्योग महत्वपूर्ण कीमत कटौती या संबद्ध आयातों पर इसके प्रभाव को दर्शाने में विफल रहा है।

- iv. क्षति अवधि के दौरान, चीनी और रूसी आयात कीमतों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत और बिक्री लागत में भी वृद्धि हुई। इस प्रकार, संबद्ध आयात घरेलू कीमतों को कम नहीं कर रहे हैं।
- v. केमर्स समूह की कीमतें चीनी निर्यातकों की औसत कीमतों से अधिक हैं, जिससे घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं होने का संकेत मिलता है।
- vi. घरेलू उद्योग ने एक रिएक्टर को दूसरे उत्पाद के उत्पादन के लिए पुनः आवंटित किया। हालाँकि, क्षमता वही रही।
- vii. क्षमता, उत्पादन और क्षमता उपयोग में गिरावट मांग में गिरावट के कारण है।
- viii. घरेलू उद्योग की प्रतिदिन उत्पादकता 2021-22 तक बढ़ी और फिर 2022-23 तथा जांच की अवधि में घटती रही। कर्मचारियों की संख्या और प्रति कर्मचारी उत्पादकता में समान प्रवृत्ति देखी गई। इस प्रकार, उत्पादकता में गिरावट कर्मचारियों की संख्या में कमी के कारण है, न कि संबद्ध आयातों के कारण।
- ix. बिक्री में गिरावट घरेलू मांग में कमी के कारण है।
- x. निवल बिक्री प्राप्ति 2022-23 तक बढ़ी, जिसके बाद इसमें गिरावट आई। ऐसा उद्योग द्वारा बाजार हिस्सेदारी हासिल करने के लिए अपनी कीमतें कम करने के कारण हो सकता है। तथापि, कीमत अभी भी 100 सूचकांक से ऊपर है, इसलिए क्षति का कोई संकेत नहीं है।
- xi. शुरु से अंत तक तुलना से पता चलता है कि बिक्री कीमत और लागत में समान स्तर पर वृद्धि हुई। इसलिए, कोई प्रभाव नहीं पड़ा।
- xii. क्षति अवधि के दौरान बिक्री लागत में लगातार वृद्धि हुई, लेकिन जांच की अवधि में इसमें गिरावट आई।
- xiii. घरेलू उद्योग को उच्च वित्त, ब्याज लागत, मूल्यहास और परिशोधन लागत के कारण क्षति हुई।
- xiv. *** करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय की शुरुआत के कारण कार्यशील पूंजी में भारी वृद्धि हुई।
- xv. निर्यात मात्रा में कमी के बावजूद, आवेदक ने अपनी कीमतें आधार वर्ष से ऊपर रखी थीं।
- xvi. घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी जांच की अवधि को छोड़कर लगातार बढ़ी है, जो मांग में गिरावट के कारण है।
- xvii. औसत मालसूची जांच की अवधि को छोड़कर, जो मांग में गिरावट के कारण है, अच्छा बिक्री निष्पादन दर्शाती है।
- xviii. चीन जन.गण. पर पाटनरोधी शुल्क 2022 में और रूस पर 2021 में समाप्त हो गए, जिसके परिणामस्वरूप 2022-23 और जांच की अवधि में 8 महीनों के लिए कोई शुल्क नहीं था, जिसके दौरान क्षमता, उत्पादन और क्षमता उपयोग में सुधार हुआ। यह सुधार दर्शाता है कि आयात से क्षति नहीं हुई, बल्कि अन्य कारकों से हुई।
- xix. क्षति की सूचना जांच की अवधि के दौरान लाभ में गिरावट दर्शाती है; हालाँकि, रूसी आयात कीमतें घरेलू उद्योग की लागत में गिरावट की तुलना में कम दर से गिरी, इस प्रकार, वे उच्च कीमतों को बनाए रख सके। क्षति मार्जिन का खुलासा नहीं किया गया है।

- xx. बिना किसी स्पष्टीकरण के क्षमता में कमी की गई है, जिससे वैध चिंताएं उत्पन्न होती हैं कि क्या संयंत्र को गैर-विचाराधीन मर्दों के उत्पादन के लिए पुनः उपयोग में लाया गया था, जो बहु-उत्पाद विनिर्माण की संभावना को दर्शाता है।
- xxi. प्राधिकारी को यह जाँच करनी चाहिए कि क्या क्षमताओं के पुनर्प्रयोजन के कारण लागतों का आवंटन विचाराधीन उत्पाद और गैर-विचाराधीन उत्पाद मर्दों के बीच उचित और सटीक रूप से किया गया है। सामान्य लागतों या उपरिव्ययों का गलत आवंटन लागत को कृत्रिम रूप से बढ़ा सकता है और लाभप्रदता को कम करके आँक सकता है, जिससे क्षति विश्लेषण विकृत हो सकता है।
- xxii. घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि उसके पास विचाराधीन उत्पाद के निर्माण के लिए एक समर्पित संयंत्र है। एक रिएक्टर को बंद करने से अन्य संयंत्र उपकरणों का कम उपयोग होगा, जिसके परिणामस्वरूप स्थिर लागत और प्रति इकाई पूँजीगत लागत में वृद्धि होगी।

ज.2. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

52. क्षति और कारणात्मक संपर्क के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:
- जांच की अवधि में मांग में मामूली कमी के बावजूद संबद्ध देशों से आयात में पर्याप्त वृद्धि हुई है। जांच की अवधि में कुल आयात में आयात का हिस्सा 83% है।
 - निरपेक्ष रूप से क्षति अवधि के दौरान आयात में 101% की वृद्धि हुई और सापेक्ष रूप से जांच की अवधि में आयात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई।
 - चीन जन.गण. से आयात की कीमत में गिरावट आई है, जबकि रूस से आयात या तो स्थिर रहा है या बढ़ा है। संबद्ध देशों के आयात गैर-संबद्ध देशों की तुलना में काफी कम कीमत पर हैं।
 - भारित औसत कीमत में कटौती सकारात्मक और महत्वपूर्ण है, जबकि पीसीएन-वार कीमत कटौती सकारात्मक है सी-पीटीएफई को छोड़कर सभी पीसीएन के लिए काफी है।
 - चीन जन.गण. और रूस पर पाटनरोधी शुल्क जुलाई 2022 तक लागू था। जांच की अवधि में पहुंच कीमत में गिरावट आई।
 - संबद्ध आयातों में वृद्धि के साथ, बिक्री कीमत में लागत से अधिक गिरावट आई, जिससे कीमत हास हुआ।
 - उत्पादन और क्षमता उपयोग 2022-23 से जांच की अवधि तक कम हो गया।
 - घरेलू बिक्री 2022-23 तक बढ़ी और फिर घट गई।
 - घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सा 10% घटकर जांच की अवधि में ***% हो गया और संबद्ध आयात 2021-22 में थोड़ा कम हुआ, फिर जांच की अवधि में काफी बढ़कर ***% हो गया।
 - लाभप्रदता, आरओआई और नकद लाभ, 2021-22 में आधार वर्ष से गिर गए, 2022-23 में बढ़ गए और जांच की अवधि में अपने निम्नतम स्तर पर आ गए।
 - आधार वर्ष की तुलना में 2021-22 में औसत मालसूची में गिरावट आई लेकिन जांच की अवधि में काफी वृद्धि हुई।
 - कर्मचारियों की संख्या 2021-22 में आधार वर्ष से काफी बढ़ी, फिर 2022-23 और जांच की अवधि में गिरावट आई।
 - वेतन 2021-22 में आधार वर्ष से बढ़ा, 2022-23 में घट गया और जांच की अवधि में काफी बढ़ गया।

- xiv. पिछले वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में प्रति दिन उत्पादकता और कर्मचारी में कमी आई।
- xv. घरेलू उद्योग ने जांच की अवधि में मात्रा और कीमत दोनों मापदंडों में नकारात्मक वृद्धि दर्ज की।
- xvi. पाटन मार्जिन न्यूनतम से अधिक और काफी है।
- xvii. जांच की अवधि में आयात कीमत में उल्लेखनीय गिरावट आई, जिसके परिणामस्वरूप संबद्ध आयातों में वृद्धि हुई। कीमत में गिरावट आई लेकिन लागत में नहीं, इस प्रकार, आयात में वृद्धि के कारण मात्रा और कीमत मापदंडों में गिरावट आई।
- xviii. जांच की अवधि और आधार वर्ष में घरेलू उद्योग की निर्यात मात्रा लगभग समान स्तर पर है, हालाँकि, घरेलू बाजार में लाभ आधार वर्ष की तुलना में 44% कम था।
- xix. 2021-22 में निर्यात मात्रा सबसे अधिक थी, जहाँ इस अवधि में घरेलू बाजार में लाभ में गिरावट आई है। इसके बाद, निर्यात में गिरावट आई जबकि घरेलू बाजार में लाभ में वृद्धि हुई।
- xx. जांच की अवधि में, घरेलू लाभ के साथ-साथ निर्यात मात्रा दोनों में गिरावट आई, जो दर्शाता है कि घरेलू लाभ और निर्यात मात्रा के बीच कोई संबंध नहीं है। 2021-22 में निर्यात में वृद्धि कोविड के बाद के प्रभावों के कारण है, जिसके बाद मांग सामान्य होने पर निर्यात में गिरावट आई।
- xxi. रूस से पीटीएफई ग्रेड के उच्च स्तर के आयात की कीमत चीनी आयात की तुलना में अधिक है। इसके अलावा, शर्तें संचयी मूल्यांकन मापदंडों को पूरा करती हैं। इस प्रकार, संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के आयात से क्षति हुई।
- xxii. पिछले वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में रूस से आयात कीमत में लागत में कमी से अधिक गिरावट आई।
- xxiii. आयात में वृद्धि के मद्देनजर, किसी अन्य उत्पाद के उत्पादन के लिए रिएक्टर के पुनर्आवंटन के कारण जांच की अवधि में क्षमता में कमी आई। फिर भी, क्षमता घरेलू मांग से अधिक है। इस प्रकार, बंदी क्षति के लिए जिम्मेदार नहीं है।
- xxiv. जांच की अवधि में कम कीमत पर संबद्ध आयात में उल्लेखनीय वृद्धि के कारण, बिक्री लागत की तुलना में बिक्री कीमत में अधिक गिरावट आई, जिससे कीमत हास हुआ।
- xxv. घरेलू उद्योग की कैप्टिव खपत बहुत कम है, इसलिए इससे क्षति नहीं हुई।
- xxvi. आयात में वृद्धि के कारण, घरेलू उद्योग ने रिएक्टर का पुनर्आवंटन किया। क्षमता में गिरावट से क्षमता उपयोग में वृद्धि होगी, हालाँकि, बाद में भी गिरावट आई। तदनुसार, उत्पादकता में परिणामी गिरावट उत्पादन में कमी के कारण है।
- xxvii. पीबीडीआईटी में स्वयं गिरावट आई है, इसलिए पीबीटी में गिरावट मूल्यहास में वृद्धि के कारण नहीं है।
- xxviii. उत्पादन, बिक्री और क्षमता उपयोग में गिरावट संबद्ध देशों से आयात के संचयी प्रभाव के कारण है।
- xxix. संयुक्त राज्य अमेरिका को निर्यात पर पाटनरोधी शुल्क और सीवीडी के बावजूद, घरेलू बिक्री और उत्पादन में गिरावट आई है, जो पाटन के कारण क्षति को दर्शाती है।
- xxx. शुल्कों की समाप्ति के बाद क्षति मापदंडों में वृद्धि, जांच की अवधि में आयात कीमत में गिरावट के साथ, पाटित आयातों के कारण क्षति का कारण सिद्ध करती है।

- xxxi. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि उन्होंने आयात से हुई क्षति के कारण एक रिएक्टर को संबद्ध पीटीएफई के उत्पादन से गैर-संबद्ध पीटीएफई में पुनः आवंटित किया है, जिसके बावजूद जांच की अवधि में क्षमता उपयोग में गिरावट आई है, जैसा कि भौतिक सत्यापन के दौरान प्राधिकारी द्वारा सिद्ध किया गया है।
- xxxii. घरेलू उद्योग ने लागत या उपरिव्यय के आवंटन के आधार के रूप में क्षमता पर विचार नहीं किया है, और इसलिए इसका क्षति विश्लेषण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
- xxxiii. घरेलू उद्योग का अनुरोध है कि प्राधिकारी को क्षमता के साक्ष्य के रूप में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दस्तावेज पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि पीसीबी द्वारा स्वीकृत क्षमता, संयंत्र की वास्तविक क्षमता को नहीं, बल्कि क्षमता की स्वीकार्य ऊपरी सीमा को दर्शाती है।

ज.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

53. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों को नोट किया गया है और हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना और दस्तावेजों पर विधिवत विचार करने के पश्चात नियमावली के अनुसार विभिन्न मापदंडों की जांच की है। प्राधिकारी द्वारा किया गया क्षति विश्लेषण, हितबद्ध पक्षकारों द्वारा विभिन्न अनुरोधों का यथा-तथ्यतः समाधान करता है।
54. क्षति-रहित कीमत की गणना करते समय संयंत्र की वास्तविक क्षमता पर विचार करने के संबंध में घरेलू उद्योग के अनुरोध के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक ने दावा किया है कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रमाणपत्र से प्राप्त क्षमता में एनपीयूसी क्षमताएं भी शामिल हैं। संयंत्र के भौतिक सत्यापन के दौरान, प्राधिकारी नोट करते हैं कि संयंत्र की क्षमताएं केवल विचाराधीन उत्पाद के लिए समर्पित हैं। यह देखा जाता है कि संयंत्र में संबद्ध सामानों (विशिष्ट पीसीएन) के लिए विशिष्ट रिएक्टर निर्धारित हैं, जो पीसीबी प्रमाणपत्र से सिद्ध नहीं हैं। अतः, प्राधिकारी ने संयंत्र की वास्तविक क्षमता पर विचार किया है, जैसा कि आवेदक ने भौतिक सत्यापन के दौरान दर्शाया था।
55. अनुबंध-II के साथ पठित नियमावली के नियम 11 में यह प्रावधान है कि क्षति के निर्धारण में पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनके प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर इस प्रकार के आयातों का परिणामी प्रभाव सहित सभी संगत तथ्यों पर विचार करते हुए घरेलू उद्योग को क्षति दर्शाने वाले कारकों की जांच शामिल होगी। कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, इस बात की जांच करना आवश्यक माना गया है कि क्या भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा कीमत में बहुत अधिक कटौती हुई है अथवा यह कि क्या इस प्रकार के आयातों के प्रभाव से अन्यथा कीमतों का बहुत अधिक मात्रा में हास हुआ है अथवा कीमत में वृद्धि रुक जाती जो अन्यथा बहुत अधिक मात्रा में हुई होती। भारत में घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच के लिए उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्री मात्रा, मालसूची, लाभप्रदता, निवल बिक्री वसूली, पाटन की मात्रा और मार्जिन आदि जैसे उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले तत्वों पर नियमावली के अनुबंध-II के अनुसार विचार किया गया है।

ज.3.1 मांग/स्पष्ट खपत का मूल्यांकन

56. वर्तमान जाँच के प्रयोजनार्थ, प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध सामानों की माँग या प्रत्यक्ष खपत को आवेदक की घरेलू बिक्री और सभी स्रोतों से आयात के योग के रूप में परिभाषित किया है। क्षति विश्लेषण के प्रयोजनार्थ, प्राधिकारी ने डीजी सिस्टम के लेन-देन-वार आँकड़ों पर भरोसा किया है।

प्राधिकारी ने संबद्ध सामानों के अंतिम विचाराधीन उत्पाद और पीसीएन पर आधारित आँकड़ों पर विचार किया है। विचाराधीन उत्पाद की माँग इस प्रकार है:

विवरण	यूनिट	2020-21	2021-22	2022-23	जांच की अवधि
घरेलू उद्योग की बिक्री	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	119	122	98
चीन से अन-ड्रॉड आयात	एमटी	-	-	-	***
संबद्ध देशों से आयात	एमटी	1,631	1,771	2,663	3,645
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	109	163	223
चीन जन.गण. से आयात	एमटी	765	992	1,493	2,206
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	130	195	288
रूस से आयात	एमटी	866	780	1,170	1,440
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	90	135	166
अन्य देशों से आयात	एमटी	905	1,012	964	805
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	112	107	89
भारतीय मांग	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	115	130	127

57. यह देखा गया है कि आधार वर्ष 2022-23 से संबद्ध सामानों की मांग में वृद्धि हुई और उसके बाद जांच की अवधि में इसमें मामूली गिरावट आई। क्षति अवधि के दौरान संबद्ध देशों से आयात में वृद्धि हुई है।

ज.3.2 घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों का मात्रात्मक प्रभाव

i. निरपेक्ष और सापेक्ष दृष्टि से आयात

58. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में, प्राधिकारी को यह विचार करना आवश्यक है कि क्या पाटित आयातों में, चाहे निरपेक्ष रूप में या भारत में उत्पादन या खपत के संबंध में, उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। क्षति जांच की अवधि के दौरान संबद्ध सामानों की आयात मात्रा और उसका हिस्सा निम्नानुसार है:

विवरण	यूनिट	2020-21	2021-22	2022-23	जांच की अवधि
आयात मात्रा					
चीन जन.गण. से आयात	एमटी	765	992	1,493	2,206
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	130	195	288
रूस से आयात	एमटी	866	780	1,170	1,440
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	90	135	166
संबद्ध देशों से आयात	एमटी	1,631	1,771	2,663	3,645

प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	109	163	223
अन्य देशों से आयात	एमटी	905	1,012	964	805
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	112	107	89
कुल आयात मात्रा	एमटी	2,536	2,783	3,627	4,451
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	110	143	176
के संबंध में संबद्ध आयात					
भारतीय उत्पादन	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	83	129	222
भारतीय मांग	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	94	126	176
भारत में आयात	%	64	64	73	82
प्रवृत्ति		100	99	114	127

59. यह देखा जाता है कि:

- क. 2021-22 में अन्य देशों से आयात में वृद्धि हुई, उसके बाद जांच की अवधि तक इसमें गिरावट देखी गई।
- ख. कुल आयातों में संबद्ध देशों से आयातों का हिस्सा क्षति अवधि में बढ़ा, और अन्य देशों से आयातों का हिस्सा कम हुआ।
- ग. भारतीय उत्पादन के संबंध में आयात क्षति अवधि में बढ़ा है और काफी है।

ज.3.3. घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों का कीमत प्रभाव

60. कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में, यह विश्लेषण किया जाना आवश्यक है कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में कथित पाटित आयातों द्वारा काफी कीमत कटौती की गई है, या क्या ऐसे आयातों का प्रभाव कीमतों को कम करने या कीमूत वृद्धि को रोकने के लिए है, जो अन्यथा सामान्य प्रक्रिया में हुई होती।
61. तदनुसार, संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों पर पड़ने वाले प्रभाव की जांच कीमत कटौती और कीमत न्यूनीकरण/ह्रास, यदि कोई हो, के संदर्भ में की गई है। इस विश्लेषण के प्रयोजनार्थ, घरेलू उद्योग की बिक्री लागत और निवल बिक्री प्राप्ति (एनएसआर) की तुलना संबद्ध देशों से संबद्ध आयातों की पहुँच कीमत से की गई है।

i. कीमत कटौती

62. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या आयात बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों की कटौती कर रहे हैं, जाँच की अवधि के दौरान संबद्ध आयातों की पहुँच कीमत की तुलना घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से करके कीमत कटौती निकाली गई है। इस प्रयोजनार्थ, प्राधिकारी नोट करते हैं कि

विचाराधीन उत्पाद के विभिन्न प्रकारों की कीमतों में काफी अंतर है। इसलिए, प्राधिकारी ने प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित पीसीएन पर विचार करते हुए, तुलनीय प्रकारों के लिए आयातों की पहुंच कीमत की तुलना घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से की है। इस प्रकार, संबद्ध आयात मात्राओं पर विचार करने के बाद भारत औसत कीमत कटौती का निर्धारण किया गया है। इस तुलना से पता चला कि जाँच की अवधि के दौरान, संबद्ध देशों के मूल के संबद्ध सामानों का भारतीय बाजार में आयात घरेलू उद्योग की बिक्री कीमतों से काफी कम कीमतों पर किया गया, सिवाय चीन जन.गण. से आयातित सी-पीटीएफई के, जहाँ आयात मात्रा भी बहुत कम है। इस प्रकार, यह नोट किया जाता है कि संबद्ध सामानों के आयात से बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती हो रही थी, और चीन से आयातित सी-पीटीएफई को छोड़कर, कटौती का मार्जिन काफी ज़्यादा था, जैसा कि नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है:

विवरण	यूनिट	पीटीएफई	पीटी-पीटीएफई	डी-पीटीएफई	ए-पीटीएफई	सी-पीटीएफई	कुल विचाराधीन उत्पाद
चीन जन.गण.							
आयात मात्रा	एमटी	795	164	1,018	213	16	2,206
पहुंच कीमत	रु./एमटी	5,07,293	6,99,934	8,64,987	5,32,006	10,85,404	6,93,276
निवल बिक्री कीमत	रु./एमटी	***	***	***	***	***	***
कीमत कटौती	रु./एमटी	***	***	***	***	***	***
	%	***	***	***	***	***	***
	रैंज	0-10	0-10	0-10	90-100	नकारात्मक	5-15
रूस							
आयात मात्रा	एमटी	1,176	249	14	-	-	1,440
पहुंच कीमत	रु./एमटी	5,01,450	5,75,693	5,44,542	-	-	5,14,732
निवल बिक्री कीमत	रु./एमटी	***	***	***	-	-	***
कीमत कटौती	रु./एमटी	***	***	***	-	-	***
	%	***	***	***	-	-	***
	रैंज	5-15	25-35	60-70	-	-	10-20

63. यह देखा जाता है कि आयातों के कारण बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती हो रही है। यह कटौती सकारात्मक और काफी है।

ii. कीमत हास/न्यूनीकरण

64. घरेलू बाजार में कीमत हास और न्यूनीकरण का विश्लेषण करने के उद्देश्य से, आवेदक ने (क) बिक्री लागत, (ख) घरेलू बिक्री कीमत के बारे में सूचना प्रदान की है, जैसा कि नीचे दी गई तालिका में दिया गया है।

विवरण	यूनिट	2020-21	2021-22	2022-23	जांच की अवधि
बिक्री लागत	रु./एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	138	150	126
बिक्री कीमत	रु./एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	132	145	119

65. यह जाता है कि बिक्री कीमत और बिक्री लागत दोनों 2022-23 तक बढ़े और उसके बाद जांच की अवधि में घट गए। तथापि, बिक्री लागत में वृद्धि 2022-23 तक बिक्री कीमत में वृद्धि से अधिक थी। इसके अलावा, बिक्री कीमत में गिरावट जांच की अवधि में बिक्री लागत में गिरावट से अधिक थी। यह देखा गया है कि संबद्ध आयातों में काफी वृद्धि के साथ-साथ कीमत में गिरावट और आयातों के कारण कीमत कटौती के कारण घरेलू उद्योग बिक्री कीमत में बिक्री लागत में गिरावट से अधिक गिरावट आई। इस प्रकार, संबद्ध आयात क्षति की अवधि के दौरान घरेलू बाजार में काफी कीमत हास कर रहे हैं।

ज.3.4 घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंड

66. नियमावली के अनुबंध II में प्रावधान है कि घरेलू उद्योग के पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में सभी संगत आर्थिक कारकों का उद्देश्यपूर्ण एवं निष्पक्ष मूल्यांकन, बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्सा, उत्पादकता, निवेश पर आय या क्षमता के उपयोग में वास्तविक एवं संभावित गिरावट; नकद प्रवाह, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि तथा पूंजीगत निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभाव डालने वाले तत्व शामिल होने चाहिए। तदनुसार, घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न क्षति मापदंडों पर नीचे चर्चा की गई है।
67. जांच अवधि में आवेदक के निष्पादन की तुलना आधार वर्ष में उसके निष्पादन से की गई है।
- i. क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग, और बिक्री
68. प्राधिकारी ने क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और बिक्री मात्रा पर विचार किया है। नीचे दी गई तालिका वास्तविक स्थिति दर्शाती है।

विवरण	यूनिट	2020-21	2021-22	2022-23	जांच की अवधि
क्षमता	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	105	105	100
विचाराधीन उत्पाद का निवल उत्पादन	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	130	127	101
क्षमता उपयोग	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	123	119	99
घरेलू बिक्री	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	119	122	98

69. यह देखा जाता है कि:

- क. घरेलू उद्योग की क्षमता आधार वर्ष से 2022-23 तक बढ़ी और उसके बाद जांच की अवधि में घट गई, जिससे क्षमता वापस आधार वर्ष के स्तर पर आ गई।
- ख. घरेलू उद्योग के पास घरेलू मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्षमता है।
- ग. उत्पादन और क्षमता उपयोग आधार वर्ष से 2021-22 तक बढ़ा और उसके बाद जांच की अवधि तक घट गया।
- घ. बिक्री आधार वर्ष से 2022-23 तक बढ़ी और उसके बाद जांच की अवधि में घट गई।
- ड. देश में पर्याप्त मांग के बावजूद क्षमता उपयोग निम्न स्तर पर है।
70. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के इस अनुरोध के संबंध में कि घरेलू उद्योग द्वारा बिना किसी स्पष्टीकरण के क्षमता में कमी की गई है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि भौतिक सत्यापन के दौरान यह पाया गया कि घरेलू उद्योग ने एक रिएक्टर को विचाराधीन उत्पाद से दूसरे उत्पाद में पुनः स्थापित कर दिया है जो विचाराधीन उत्पाद नहीं है।
71. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि क्षमता के पुनर्आवंटन के मद्देनजर लागतों का गलत आवंटन हो सकता है। इस संबंध में, घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया कि लागतों का आवंटन क्षमता के आधार पर नहीं है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि लागतों का आवंटन उचित और वैज्ञानिक आधार पर किया गया है और इसलिए, लागतों का कोई गलत आवंटन नहीं हुआ है।

ii. मांग में बाजार हिस्सा

72. संपूर्ण क्षति अवधि के दौरान संबद्ध आयातों और घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा निम्नानुसार था:

विवरण	यूनिट	2020-21	2021-22	2022-23	जांच की अवधि
कुल आयात	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	95	110	138
चीन जन.गण.	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	चीबद्ध	100	113	150	227
रूस	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	चीबद्ध	100	78	104	131
संबद्ध देश	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	चीबद्ध	100	94	126	176
अन्य देश	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	चीबद्ध	100	97	82	70
घरेलू उद्योग	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	चीबद्ध	100	103	94	77

73. क्षति की अवधि के दौरान संबद्ध देशों की बाजार हिस्सेदारी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी में गिरावट आई है। पाटित आयातों की बाजार हिस्सेदारी में क्षति अवधि के दौरान 19% की वृद्धि हुई, जबकि घरेलू उद्योग की हिस्सेदारी में 14% की गिरावट आई।

iii. लाभप्रदता, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर आय

74. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के लाभ, नकद लाभ, ब्याज पूर्व लाभ (पीबीआईटी) और निवेश पर आय का विश्लेषण किया गया है और वे इस प्रकार हैं:

विवरण	यूओएम	2020-21	2021-22	2022-23	जांच की अवधि
कर पूर्व लाभ	लाख रु.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	97	130	55
कर पूर्व लाभ	रु./एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	82	106	56
पीबीआईटी	लाख रु.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	86	111	60
पीबीआईटी	रु./एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	72	91	62
नकद लाभ	लाख रु.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	95	125	67
नकद लाभ	रु./एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	80	103	68
आरओआई	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	72	109	51

75. यह जाता है कि

- क. घरेलू उद्योग का लाभ आधार वर्ष 2021-22, कोविड अवधि से घटकर 2022-23 में बढ़ गया, और आयात कीमत में भारी गिरावट के साथ जांच की अवधि में तेजी से गिरावट आई।
- ख. जांच की अवधि में लाभप्रदता सबसे कम है। जांच की अवधि में नकद लाभ में भी काफी गिरावट आई।
- ग. निवेश पर आय (आरओआई) में लाभ और नकद लाभ के समान ही रुझान रहा। 2021-22 में आरओआई में गिरावट आई और जांच की अवधि में इसमें काफी गिरावट आई।

iv. मालसूची

76. क्षति अवधि और जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की मालसूची स्थिति से संबंधित आंकड़े नीचे दी गई तालिका में दिए गए हैं:

विवरण	यूनिट	2020-21	2021-22	2022-23	जांच की अवधि
आरंभिक मालसूची	एमटी	***	***	***	***
अंतिम मालसूची	एमटी	***	***	***	***
औसत मालसूची	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	93	94	117

77. यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग के पास मालसूची का स्तर आधार वर्ष से कम हुआ और उसके बाद जांच की अवधि में बहुत अधिक बढ़ा।

v. रोजगार मजदूरी और उत्पादकता

78. घरेलू उद्योग के रोजगार मजदूरी और उत्पादकता के संबंध में स्थिति निम्नलिखित है:

विवरण	यूनिट	2020-21	2021-22	2022-23	जांच की अवधि
कर्मचारियों की संख्या	संख्या	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	139	112	109
मजदूरी	लाख रु.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	133	125	139
उत्पादकता/दिन	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	130	127	101
उत्पादकता/कर्मचारी	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	94	113	92

प्राधिकारी नोट करते हैं कि कर्मचारियों की संख्या आधार वर्ष से 2021-22 तक बढ़ी है और उसके बाद जांच की अवधि तक घटी है। क्षति अवधि के दौरान भुगतान की गई मजदूरी में वृद्धि हुई है। प्रति कर्मचारी उत्पादकता आधार वर्ष से 2021-22 तक घटी, 2022-23 में बढ़ी और फिर जांच की अवधि में घटी।

79. प्राधिकारी नोट करते हैं कि कर्मचारियों की संख्या आधार वर्ष से 2021-22 तक बढ़ी है और उसके बाद जांच की अवधि तक घटी है। प्रदत्त मजदूरी क्षति की अवधि में बढ़ी। प्रति कर्मचारी उत्पादकता आधार वर्ष से 2021-22 तक घटी, 2022-23 में बढ़ी और फिर जांच की अवधि में घटी।

VI. वृद्धि

80. यह देखा जाता है कि आयातों से मात्रा और कीमत मापदंडों, दोनों के संबंध में घरेलू उद्योग की वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

विवरण	यूनिट	2021-22	2022-23	जांच की अवधि
क्षमता उपयोग (%)	%	23%	-3%	-17%
उत्पादन (एमटी)	%	29%	-3%	-21%
घरेलू बिक्री (एमटी)	%	19%	3%	-20%
औसत मालसूची (एमटी)	%	-7%	1%	25%
उत्पादकता प्रति दिन (एमटी)	%	30%	-3%	-20%
प्रति यूनिट पीबीटी (रु./एमटी)	%	-18%	30%	-47%
पीबीआईटम् (रु./एमटी)	%	-28%	27%	-32%

नकद लाभ (रु./एमटी)	%	-20%	28%	-34%
लाख रु. में नकद लाभ	%	-5%	32%	-47%
आरओआई	%	-28%	52%	-53%

VII. घरेलू कीमत को प्रभावित करने वाले कारक

81. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों से आयात कीमतों, लागत संरचना में परिवर्तन, घरेलू बाजार में प्रतिस्पर्धा, तथा पाटित आयातों को छोड़कर अन्य कारकों की जांच की है जो घरेलू बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों को प्रभावित कर सकते हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों का पाटित आयात है।

VIII. पूंजी जुटाने की क्षमता

82. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग अपनी क्षमताओं का उपयोग करने में असमर्थ रहा है। संबद्ध सामानों के पाटन से घरेलू उद्योग की पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता प्रभावित हुई है।

ix. पाटन की मात्रा और पाटन का मार्जिन

83. यह देखा जाता है कि संबद्ध देशों से पाटन मार्जिन न्यूनतम से अधिक ही नहीं है बल्कि काफी भी है।

झ. गैर-आरोपण विश्लेषण (अन्य कारक)

84. प्राधिकारी ने यह जांच की कि क्या पाटनरोधी नियमावली के अंतर्गत सूचीबद्ध अन्य कारकों से घरेलू उद्योग को क्षति पहुँची हो सकती है। प्राधिकारी ने पाटित आयातों को छोड़कर अन्य ज्ञात कारकों की भी जांच की और यह सुनिश्चित किया कि क्या ये कारक भी घरेलू उद्योग को क्षति पहुँचा रहे हैं, ताकि अन्य कारकों से हुई क्षति, यदि कोई हो, पाटित आयातों के कारण न हो। इस संबंध में संगत कारकों में, अन्य बातों के साथ-साथ, पाटित कीमतों पर न बेची गई संबद्ध सामानों की मात्रा, माँग में कमी या खपत के पैटर्न में परिवर्तन, व्यापार प्रतिबंधात्मक परिपाटियाँ, प्रौद्योगिकी में परिवर्तन, घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन और घरेलू उद्योग की उत्पादकता शामिल हैं।

क) तीसरे देशों से आयात की मात्रा और कीमतें

85. यह देखा गया है कि अन्य देशों से विचाराधीन उत्पाद का आयात कम मात्रा में है। इसलिए, अन्य देशों से आयात घरेलू उद्योग को हुई वास्तविक क्षति का कारण नहीं है।

ख) मांग में संकुचन

86. क्षति की पूरी अवधि में मांग में लगातार वृद्धि हुई है, सिवाय जांच की अवधि में मामूली गिरावट के, जो व्यापार के दौरान सामान्य है। मांग में मामूली गिरावट के बावजूद, जांच की अवधि में आयात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। इस प्रकार, मांग में गिरावट क्षति का कारण नहीं है।

ग) खपत के पैटर्न में परिवर्तन

87. क्षति की अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद के लिए खपत के पैटर्न में कोई परिवर्तन नहीं है जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती हो।

घ) प्रतिस्पर्धा की स्थितियाँ और व्यापार प्रतिबंधात्मक परिपाटियाँ

88. जाँच में प्रतिस्पर्धा की स्थितियाँ या किसी व्यापार प्रतिबंधात्मक परिपाटियों में कोई परिवर्तन नहीं आया है।

ड) प्रौद्योगिकी में विकास

89. ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह पता चले कि प्रौद्योगिकी में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुए हैं।

च) घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन

90. प्रदान की गई सूचना पर घरेलू उद्योग के घरेलू प्रचालनों के लिए विचार किया गया है।

छ) अन्य उत्पादों का निष्पादन

91. घरेलू उद्योग ने विचाराधीन उत्पाद के लिए क्षति आँकड़े प्रदान किए हैं और इन्हें क्षति विश्लेषण के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी द्वारा अपनाया गया है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और बेचे गए अन्य उत्पादों के निष्पादन पर विचार नहीं किया गया है।

झ.1 क्षति और कारणात्मक संपर्क संबंधी निष्कर्ष

92. क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के निष्पादन के विश्लेषण से घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति का पता चलता है। पाटित आयातों और घरेलू उद्योग को हुई क्षति के बीच कारणात्मक संपर्क निम्नलिखित आधारों पर सिद्ध है:

- i. क्षति अवधि के दौरान कुल आयातों में संबद्ध देशों से आयातों का हिस्सा बढ़ा है, और अन्य देशों से आयातों का हिस्सा घटा है।
- ii. आयातों में निरपेक्ष और सापेक्ष रूप से वृद्धि हुई है। इस प्रकार, घरेलू उद्योग ने बिक्री मात्रा खो दी है।
- iii. संबद्ध आयातों का बाजार हिस्सा बढ़ा है,
- iv. संबद्ध सामानों के आयात से बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती हो रही है, और जांच की अवधि में कटौती का मार्जिन सकारात्मक और महत्वपूर्ण है।
- v. संबद्ध आयातों के कारण क्षति अवधि के दौरान घरेलू बाजार में कीमतों में काफी न्यूनीकरण और हास हो रहा है।
- vi. संबद्ध आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती हो रही है, जिससे कीमत हास हो रहा है। इसके बाद, घरेलू उद्योग को लाभ, नकद लाभ और निवेश पर आय में काफी गिरावट का सामना करना पड़ा।
- vii. घरेलू उद्योग की बिक्री मात्रा में कमी के कारण उत्पादन और क्षमता उपयोग में गिरावट आई।
- viii. आयात कीमतों में गिरावट के कारण घरेलू उद्योग को अपनी कीमतें कम करनी पड़ीं।
- ix. क्षति की अवधि के दौरान संबद्ध देशों की बाजार हिस्सेदारी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी में कमी आई है।
- x. घरेलू उद्योग का लाभ आधार वर्ष 2021-22, कोविड अवधि से घटकर 2022-23 में बढ़ गया, और आयात कीमत में भारी गिरावट के साथ जांच की अवधि में तेजी से गिरावट आई।
- xi. जांच की अवधि में लाभप्रदता सबसे कम है। जांच की अवधि में नकद लाभ में भी उल्लेखनीय गिरावट आई।
- xii. निवेश पर आय (आरओआई) ने लाभ और नकद लाभ के समान प्रवृत्ति का अनुसरण किया। निवेश पर आय में 2021-22 में और जांच की अवधि में उल्लेखनीय रूप से गिरावट आई।
- xiii. घरेलू उद्योग के पास मालसूची का औसत स्तर आधार वर्ष से कम हुआ और उसके बाद जांच की अवधि में बहुत उल्लेखनीय रूप से बढ़ गया।

ज. **क्षति मार्जिन का मात्रा**

93. प्राधिकारी ने यथा-संशोधित अनुबंध III के साथ पठित नियमावली में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर घरेलू उद्योग के लिए क्षति-रहित कीमत (एनआईपी) निर्धारित की है। विचाराधीन उत्पाद की एनआईपी, जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराई गई उत्पादन लागत से संबंधित सूचना/आंकड़ों को अपनाकर निर्धारित की गई है। क्षति मार्जिन की गणना हेतु संबद्ध देशों से प्राप्त पहुँच कीमत की तुलना हेतु एनआईपी पर विचार किया गया है। एनआईपी निर्धारित करने के लिए, क्षति अवधि के दौरान कच्चे माल और यूटिलिटियों के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। क्षति अवधि के दौरान उत्पादन क्षमता के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। असाधारण या अनावर्ती व्ययों को उत्पादन लागत से बाहर रखा गया है। नियमावली के अनुबंध III में निर्धारित एनआईपी निकालने के लिए, विचाराधीन उत्पाद के लिए औसत नियोजित पूंजी (अर्थात्, औसत निवल अचल संपत्तियाँ और औसत कार्यशील पूंजी) पर एक उचित आय (कर-पूर्व @ 22%) को कर-पूर्व लाभ के रूप में अनुमति दी गई है। प्राधिकारी ने जांच की अवधि की प्रत्येक तिमाही के लिए अलग-अलग एनआईपी निर्धारित की है।
94. पहुँच कीमत और ऊपर निर्धारित एनआईपी के आधार पर, प्राधिकारी द्वारा अनंतिम रूप से निर्धारित क्षति मार्जिन नीचे दी गई तालिका में दिया गया है।

क्षति मार्जिन तालिका

क्र.सं.	देश	उत्पादक का नाम	पहुँच कीमत (यूएसडा./एम टी)	एनआईपी (यूएसडा./ए मटी)	क्षति मार्जिन राशि (यूएसडा./ए मटी)	क्षति मार्जिन (%)	क्षति मार्जिन रेंज
1.	चीन जन.गण.	शेडोंग डोंग्यू पॉलिमर मटेरियल कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	50-60
2.		शाओवु योंगहे जिन्तांग न्यू मटेरियल कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	110- 120
3.		द केमर्स (चांगशु) फ्लोरो टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	नकारा त्मक
4.		झोंगहाओ चेंगुआंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	नकारा त्मक
5.		चीन जन. गण.	***	***	***	***	140-

		से कोई अन्य					150
6.	रूस	सभी उत्पादक	***	***	***	***	80-90

ट. क्षति का खतरा

95. वर्तमान जांच में घरेलू उद्योग ने वास्तविक क्षति के खतरे का तर्क दिया है। प्राधिकारी ने नियमावली के अनुबंध II के पैराग्राफ (vii) के अनुसार, वास्तविक क्षति के खतरे से संबंधित मापदंडों पर विचार करते हुए घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति के खतरे की जाँच की, जिसमें निम्नलिखित उल्लेख है:

“वास्तविक क्षति का निर्धारण तथ्यों पर आधारित होगा, न कि केवल आरोप, अनुमान या दूरगामी संभावना पर। परिस्थितियों में परिवर्तन, जिससे ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी जिसमें पाटन से क्षति होगी, का स्पष्ट रूप से पूर्वानुमान लगाया जाना चाहिए और वह आसन्न होना चाहिए। वास्तविक क्षति के खतरे की मौजूदगी के संबंध में निर्धारण करने में, निर्दिष्ट प्राधिकारी अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित कारकों पर विचार करेंगे:

- क. भारत में पाटित आयातों में उल्लेखनीय वृद्धि दर, जो आयात में पर्याप्त वृद्धि की संभावना को दर्शाती हो;
- ख. निर्यातक की क्षमता में पर्याप्त मुक्त रूप से निपटान योग्य या आसन्न, पर्याप्त वृद्धि, जो भारतीय बाजार में पाटित निर्यात में पर्याप्त वृद्धि की संभावना को दर्शाती हो, किसी भी अतिरिक्त निर्यात को लने के लिए अन्य निर्यात बाजारों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए;
- ग. क्या आयात ऐसी कीमतों पर आ रहे हैं जिनका घरेलू कीमतों पर महत्वपूर्ण रूप से न्यूनीकरण या हासमान प्रभाव पड़ेगा, और क्या इससे आगे के आयातों के लिए माँग में वृद्धि होने की संभावना होगी; और
- घ. जाँच की जा रही वस्तु की सूची।

ट.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

96. वास्तविक क्षति के खतरे के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा कोई अनुरोध नहीं किए गए हैं।

ट.2. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

97. वास्तविक क्षति के खतरे के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:
- i. आयातों ने पूरी क्षति अवधि के दौरान लगातार महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, लेकिन जाँच अवधि के दौरान इसमें उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई। पिछले वर्ष की तुलना में जाँच अवधि में माँग में 3% की गिरावट के बावजूद, संबद्ध देशों से आयात में 29% की वृद्धि हुई, जो बढ़ती हुई अति-आपूर्ति का संकेत है, जिसके जारी रहने की उम्मीद है।
 - ii. पिछले वर्ष की तुलना में जाँच अवधि के दौरान आयात में वृद्धि, भारत में पाटित आयातों में तीव्र वृद्धि को दर्शाती है, जो आगे भी पर्याप्त आयात वृद्धि की उच्च संभावना का संकेत देती है।

- iii. 2022 के अंत तक, चीन ने अपनी फ्लोरोपॉलीमर उत्पादन क्षमता का उल्लेखनीय विस्तार कर लिया था और घटती घरेलू मांग के बीच इस विस्तार को जारी रखने की संभावना है। भारत इस अतिरिक्त क्षमता को लेने के लिए एक आकर्षक बाजार बना हुआ है।
- iv. 2020 में, रूस के एकमात्र उत्पादक ने अपनी क्षमता में 15% की वृद्धि की, मुख्यतः पीटीएफई उत्पादन के लिए, जिससे भारत में आयात बढ़ने की संभावना बढ़ गई है।
- v. संबद्ध देशों के पास पर्याप्त स्वतंत्र रूप से प्रयोज्य क्षमता है, जो किसी भी अतिरिक्त निर्यात को अवशोषित करने के लिए अन्य निर्यात बाजारों की उपलब्धता को देखते हुए, भारत को पाटित निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि की संभावना को दर्शाता है।
- vi. मांग में गिरावट के बावजूद, संबद्ध देशों की बाजार हिस्सेदारी जांच की अवधि में काफी बढ़ गई है, जबकि घरेलू उद्योग की हिस्सेदारी में गिरावट आई है।
- vii. संबद्ध देशों के उत्पादकों ने भारतीय बाजार में अपनी निरंतर उपस्थिति बनाए रखी है, और जांच की अवधि के दौरान उनकी बाजार हिस्सेदारी में पर्याप्त वृद्धि हुई है।
- viii. आयातित सामानों की पहुंच कीमत घरेलू कीमतों की तुलना में काफी कम है, जिससे भारत चीनी और रूसी उत्पादकों के लिए एक आकर्षक बाजार बन गया है, जिससे उनके लिए निर्यात बढ़ाने का एक मजबूत अवसर पैदा हुआ है।
- ix. आयात ऐसी कीमतों पर पहुंच रहे हैं जिनसे घरेलू कीमतों पर पर्याप्त रूप से न्यूनीकरण अथवा हासमान प्रभाव पड़ने की उम्मीद है, जिससे अतिरिक्त आयात की मांग और बढ़ सकती है।

ट.3. प्राधिकारी द्वारा जाँच

98. प्राधिकारी ने नीचे दिए गए नियमावली के अनुबंध II के पैराग्राफ (vii) के अनुसार वास्तविक क्षति के खतरे से संबंधित मापनदंडों पर विचार करते हुए वास्तविक क्षति के खतरे की जाँच की है।

क. भारत में पाटित आयातों में उल्लेखनीय वृद्धि दर

99. आयात आँकड़ों के विश्लेषण से यह देखा गया है कि भारत में आयातों में वृद्धि हुई है और आधार वर्ष की तुलना में जाँच अवधि में आयातों में वृद्धि दर उल्लेखनीय है।

विवरण	यूनिट	2020-21	2021-22	2022-23	जाँच की अवधि
संबद्ध देशों से आयातों की मात्रा	एमटी	1,631	1,771	2,663	3,645
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	109	163	223
पीटीएफई	एमटी	1,294	1,078	1,570	1,971
पीटी-पीटीएफई	एमटी	82	317	352	414
डी-पीटीएफई	एमटी	243	366	712	1,033
ए-पीटीएफई	एमटी	11	7	27	213
सी-पीटीएफई	एमटी	1	3	2	16

100. क्षति अवधि के दौरान आयातों में लगातार वृद्धि हुई है। जाँच की अवधि में आयात कीमत में काफी गिरावट आई है। आयातों में उल्लेखनीय वृद्धि और आयात कीमत में काफी गिरावट भविष्य में आयातों में पर्याप्त वृद्धि के खतरे को दर्शाती है।

ख. उत्पादकों के पास स्वतंत्र रूप से निपटान योग्य क्षमता

101. उत्तरदाता उत्पादकों/निर्यातकों ने क्षमता और उत्पादन संबंधी सूचना प्रदान की है। प्राधिकारी ने उत्तरदाता चीनी उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर उनकी क्षमता और उत्पादन की तुलना की है। यह देखा जाता है कि उत्तरदाता उत्पादकों के पास संबद्ध सामानों के उत्पादन की काफी क्षमता है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि उत्पादकों के पास उपलब्ध अतिरिक्त क्षमताएँ घरेलू उद्योग से बाजार हिस्सेदारी छीन सकती हैं।

ग. ऐसी कीमतों पर आयातों का प्रवेश जिनका घरेलू कीमतों पर महत्वपूर्ण रूप से हासकारी या न्यूनकारी प्रभाव पड़ेगा

102. जैसा कि ऊपर बिक्री लागत, बिक्री कीमत और आयातों की पहुंच कीमत में उतार-चढ़ाव से देखा जा सकता है, संबद्ध आयात घरेलू कीमतों का न्यूनीकरण/हास कर रहे हैं। बिक्री कीमत और बिक्री लागत दोनों 2022-23 तक बढ़े और उसके बाद जांच की अवधि में घट गए। तथापि, बिक्री लागत में वृद्धि 2022-23 तक बिक्री कीमत में वृद्धि से अधिक थी। इसके अतिरिक्त, बिक्री कीमत में गिरावट जांच की अवधि में बिक्री लागत में गिरावट से अधिक थी। क्षति अवधि के दौरान, पहुंच कीमत बिक्री कीमत और बिक्री लागत दोनों से कम रही। इस प्रकार, आयातों से घरेलू कीमतों में और गिरावट आने की संभावना है।

घ. भारतीय बाजार में चीनी और रूसी उत्पादकों की मौजूदगी

103. आवेदक का अनुरोध है कि संबद्ध देशों के उत्पादकों की भारतीय बाजार में निरंतर मौजूदगी रही है। यह भी अनुरोध किया गया है कि चीन और रूस के उत्पादकों ने कीमतों में कमी करके और पूर्व में लगाए गए पाटनरोधी शुल्कों की प्रवंचना करके अपनी उपस्थिति बनाए रखने का प्रयास किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देशों के आयातों में क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई, तब भी जब जांच अवधि में भारतीय मांग में गिरावट आई।

ङ. भारतीय बाजार की कीमत आकर्षकता

104. यह नोट किया जाता है कि भारतीय बाजार अपनी मांग के कारण पीटीएफई निर्यातकों के लिए कीमत आकर्षक है। इसके अतिरिक्त, आयातित पीटीएफई की कीमत भारतीय बाजार में घरेलू उत्पाद की तुलना में कम है। यह देखा गया है कि संबद्ध आयातों की पहुंच कीमत, जांच की अवधि में घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से काफी कम है, जिससे निर्यातकों के लिए भारतीय बाजार में अपने निर्यात बढ़ाने का अवसर उपलब्ध होता है। इस प्रकार, भारत संबद्ध देशों के उत्पादकों के लिए एक कीमत आकर्षक बाजार है।

ठ. भारतीय उद्योग के हित और अन्य मुद्दे**ठ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध**

105. भारतीय उद्योग के हित एवं अन्य मुद्दों के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए थे:-
- शुल्कों को लागू किए जाने से तैयार उत्पादों की विनिर्माण लागत प्रभावित होगी।
 - यह अन्य लघु उद्योग प्रक्रमणों की व्यवहार्यता और बाजार प्रतिस्पर्धा को प्रभावित करेगा और डाउनस्ट्रीम प्रयोक्ताओं को प्रभावित करेगा।
 - आवेदक की बाजार अभ्यासों ने एकाधिकार संबंधी दबाव को बढ़ाया है, उचित प्रतिस्पर्धा को प्रतिबंधित किया है और यह उपभोक्ताओं की पसंद को सीमित करेगा।

- iv. पाटनरोधी शुल्क के पश्चात आयातों में ऐतिहासिक रूप से उछाल आया है जिसने भारत से मूल्यवर्धन का स्थान परिवर्तन कर उसे विदेशी बाजारों में स्थानांतरित कर दिया है। शुल्कों को समाप्त करने के परिणामस्वरूप आयातों में गिरावट आएगी।
- v. आवेदक ने कार्बन क्रेडिट प्राप्त करने के लिए अपना संयंत्र स्थापित किया है और पहले ही संयंत्र की लागत से तीन गुणा अर्जित कर लिया है।
- vi. उद्योग में अधिकतर उत्पादक जिनके लिए विचाराधीन उत्पाद एक मुख्य इनपुट है, छोटी ईकाइयां हैं, और जो बिखरी हुई हैं, जो उन्हें प्राधिकारी के समक्ष अपनी चिंताओं को व्यक्त करने से भी रोकती हैं।
- vii. प्राधिकारी को ऐसे प्रयोक्ताओं के हित के बारे में विचार करना चाहिए, चाहे वे प्रतिनिधित्व नहीं करते हों।
- viii. तैयार उत्पाद की कीमत पर शुल्क का प्रभाव 2 से 3% के भीतर होगा।

ठ.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

106. घरेलू उद्योग द्वारा भारतीय उद्योग के हित और अन्य मुद्दों के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- i. संबद्ध वस्तुएं पहले पाटनरोधी उपायों के अधीन थीं और यह दर्शाने वाली कोई सार्वजनिक सूचना नहीं है कि विगत में लागू किए गए शुल्कों का अंतिम उपभोक्ताओं पर कोई विपरीत प्रभाव पड़ा है।
- ii. संबद्ध वस्तुओं का प्रयोग संघटकों के निर्माण में किया जाता है और संघटक विनिर्माताओं को एक पास-थ्रू उद्योग कहा जा सकता है। तैयार उत्पाद जिसमें किसी संघटक का प्रयोग किया जाता है, वह शुल्कों से होने वाले किसी प्रभाव को समाहित कर लेगा।
- iii. संबद्ध वस्तुएं पूरे विश्व में विभिन्न देशों में उत्पादित की जाती हैं, जो यह दर्शाता है कि उपभोक्ताओं की बहुत से आपूर्ति स्रोतों तक पहुंच है।
- iv. संबद्ध देशों में उत्पादक केवल अपने राजस्व को ध्यान में रखकर संचालन करेंगे जबकि भारतीय उद्योग केवल भारतीय उपभोक्ता के हितों को ध्यान में रखेगा।
- v. आवेदक बड़ी संख्या में उत्पादों का उत्पादन करता है जिनका पीटीएफई का उत्पाद करने अथवा इसके सहित उत्पाद करने के लिए उत्पादन किया जाता है। इन प्रचालनों के उत्पादन को बनाए रखने के लिए पीटीएफई की निरन्तरता और व्यवहार्यता महत्वपूर्ण है।
- vi. एकीकृत स्तर पर आवेदक द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे मूल्यवर्धन उच्च हैं और यदि मूल्यवर्धन में अवरोध आ गया तो उत्पादन की पूरी श्रृंखला रुक जाएगी।
- vii. अत्यधिक विकसित निर्यात बाजारों की सेवा करने की घरेलू उद्योग की क्षमता दर्शाती है कि इसकी उत्पादन गुणवत्ता इन बाजारों द्वारा निर्धारित कड़े मानकों को पूरा करती है।
- viii. घरेलू और निर्यात, दोनों बाजारों के लिए उच्च उत्पादन मानकों और गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए, घरेलू उद्योग ने लगातार पीटीएफई से संबंधित अनुसंधान और विकास संबंधी गतिविधियों में महत्वपूर्ण प्रयास निवेशित किए हैं।
- ix. घरेलू उद्योग ने कभी भी इन शुल्कों के दुरुपयोग अथवा एकाधिकारवादी कीमत निर्धारण नीतियों को अपनाने के संबंध में अपने डाउनस्ट्रीम क्षेत्र या अंतिम उपभोक्ताओं से आरोपों या शिकायतों का सामना नहीं किया है।

- x. घरेलू उद्योग ने विगत में भी प्रवंचनारोधी जांचों के जरिए डाउनस्ट्रीम उत्पादों के लिए पाटनरोधी उपायों के विस्तार को सुगम बनाने के द्वारा डाउनस्ट्रीम उत्पादकों को समर्थन दिया है।

ठ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

107. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्कों को लागू करने का उद्देश्य, सामान्य रूप से, पाटन की अनुचित व्यापार पद्धतियों द्वारा घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को समाप्त करना है ताकि भारतीय बाजार में उचित और खुली प्रतिस्पर्धा की स्थिति को पुनः स्थापित किया जा सके जो देश के सामान्य हित में है। पाटनरोधी उपायों को लागू किए जाने का उद्देश्य किसी भी तरह संबद्ध देश से आयात को प्रतिबंधित करना नहीं है। व्यापार उपचार जांचों का अभिप्राय व्यापार को विकृत करने वाले आयातों के विरुद्ध उचित शुल्कों को लागू करने के द्वारा घरेलू उत्पादकों के लिए समान स्तर पर व्यापार को सुनिश्चित करने के द्वारा घरेलू बाजार में समान प्रतिस्पर्धी अवसरों को स्थापित करना है। साथ ही, प्राधिकारी इस बात से अवगत हैं कि ऐसे शुल्कों का प्रभाव न केवल विचाराधीन उत्पादन के घरेलू उत्पादकों तक सीमित है बल्कि विचाराधीन उत्पाद के प्रयोक्ताओं और उपभोक्ताओं को भी प्रभावित करता है। इसके अलावा, शुल्कों का आरोपण देश के भीतर नए उत्पादकों के उद्भव को प्रोत्साहित कर सकता है।
108. प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों से उनके मतों को आमंत्रित करते हुए जांच शुरुआत अधिसूचना जारी की है। जिन में आयातक, उपभोक्ता और अन्य शामिल हैं। प्राधिकारी ने उनके प्रचालनों पर पाटनरोधी शुल्क के किसी संभावित प्रभावों सहित वर्तमान जांच के संबंध में संगत जानकारी उपलब्ध कराने के लिए उपभोक्ताओं/प्रयोक्ताओं के लिए एक प्रश्नावली भी निर्धारित की है। जानकारी, अन्य के साथ-साथ, विभिन्न देशों से विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं द्वारा आपूर्ति किए गए उत्पादों की परस्पर विनिमेयता, स्रोतों को बदलने की घरेलू उद्योग की क्षमता, उपभोक्ताओं पर पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव, पाटनरोधी शुल्क को लागू करने के कारण उत्पन्न नई स्थिति में समायोजनों को त्वारित करने या उन्हें विलंबित करने की संभावना उत्पन्न करने वाले कारकों पर भी मांगी गई थी।
109. हितबद्ध पक्षकारों ने आर्थिक हित प्रश्नावली दायर की है। यह अनुरोधों से नोट किया गया है कि ऐसे संघटकों में पीटीएफई का व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है जो बिना महत्वपूर्ण अकेली कीमतों के बिना बहुत से स्तरों के जरिए गुजरने वाले, विभिन्न उद्योगों में माध्यस्थ के रूप में काम करते हैं। चूंकि ये संघटक बड़े उत्पादों में एकीकृत होते हैं, पीटीएफई पर लागू किए गए किन्हीं शुल्कों का संघटक उद्योग की समग्र लागत पर न्यूनतम प्रभाव होगा। इसलिए, पीटीएफई पर शुल्क को लागू किए जाने से संघटक उद्योग की व्यवहार्यता को उल्लेखनीय रूप से प्रभावित नहीं करेगा।

ड. प्रकटन पश्चात टिप्पणियां

ड.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

110. प्रकटन विवरण पर अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:
- i. ए-पीटीएफई ग्रेड के लिए बाहर करने के अनुरोध के संबंध में, यह अनुरोध किया गया है कि खाद्य-खंड में आवेदनों के लिए, घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित ए-पीटीएफई अपेक्षित तापमान के उतार-चढ़ाव को पर्याप्त रूप से बनाए नहीं रख सकता और इसलिए इसका विशिष्ट परिस्थितियों में प्रयोग नहीं किया जा सकता।

- ii. डाउनस्ट्रीम आउटपुट के समान स्तर को प्राप्त करने के लिए आयातित विचाराधीन उत्पाद की तुलना में जीएफएल द्वारा आपूर्ति किए गए विचाराधीन उत्पाद के खपत मानदंड उल्लेखनीय रूप से उच्च हैं। यह प्राथमिक रूप से निम्न सामग्री खपत के कारण है और घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित ग्रेड की कमजोर बंधन शक्ति के कारण हैं।
- iii. सी-पीटीएफई ग्रेड के लिए बाहर करने के अनुरोध के साथ, प्राधिकारी ने नोट किया है कि रिकॉर्ड पर उपलब्ध जानकारी संकेत करती है कि घरेलू उद्योग ने क्षति की जांच अवधि के दौरान सी-पीटीएफई का उत्पादन और बिक्री की है। इस संबंध में यह अनुरोध किया जाता है कि प्राधिकारी ने नोट किया है कि रिकॉर्ड पर उपलब्ध सूचना संकेत करती है कि घरेलू उद्योग ने क्षति जांच की अवधि के दौरान सी-पीटीएफई का उत्पादन और बिक्री की है। इस संबंध में यह अनुरोध किया गया है कि दूसरी मौखिक सुनवाई के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा की गई स्व-स्वीकृति जिसमें यह विशेष रूप से माना गया था कि घरेलू उद्योग ने, न तो सी-पीटीएफई ग्रेड का उत्पादन किया है और न ही प्राधिकारी द्वारा संभवतः देश में ऐसे ग्रेडों के किसी आयात को नोट किया है।
- iv. प्राधिकारी ने अपने प्रकटन विवरण में सिर्फ यह संकेत किया है कि घरेलू उद्योग भरे हुए सी-पीटीएफ ग्रेड के विभिन्न प्रकारों का उत्पादन करता है। तथापि, विशिष्ट ग्रेड का उत्पादन और आपूर्ति के संबंध में कोई जांच नहीं की गई है, जिसके लिए उत्तरदाताओं ने बाहर करने की मांग की है अर्थात् पीईई के पीटीएफई, स्टेनलेस स्टील पीटीएफई, पॉलीमाइड पीटीएफई, फिल्ड एल्यूमिना (एआई 203) पीटीएफई, केल्लियम फ्लोराइड पीटीएफई, फिल्ड पॉलीमर पीटीएफई, पीटीएफई में माइका बोरम नाइट्रेट फिल्ड पीटीएफई और किबाल्ट एल्यूमिनेट फिल्ड पीटीएफई फिल्ड ग्रेड। घरेलू बाजार में इन ग्रेडों के उत्पादन अथवा आपूर्ति के संबंध में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया है।
- v. प्राधिकारी ने प्री सिंटर कार्बन फिल्ड पीटीएफई और फ्री-फ्लो-फिल्ड ग्रेडों के लिए उत्तरदाताओं द्वारा किए गए बाहर करने के अनुरोधों की जांच करते समय नोट किया है कि इन ग्रेडों को भी संबद्ध देशों से आयात नहीं किया गया है। प्राधिकारी से ऐसे अवलोकन को ध्यान में रखते हुए, बाहर करने के अनुरोध पर भली-भांति विचार किया जाना चाहिए क्योंकि ये ग्रेड कोई आयात न होने के कारण घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाने वाले कारक नहीं हो सकते और इसलिए इन्हें विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए।
- vi. फाइन पाउडर (डी-पीटीएफई) रेजिन ग्रेड 640 सी को शामिल न किए जाने के अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा इस आधार पर स्वीकार नहीं किया जा रहा है कि घरेलू उद्योग का इनोफ्लोन 7500 आयातित ग्रेड के तुलनीय है, यह अनुरोध किया जा रहा है कि तुलनात्मकता के संबंध में प्राधिकारी का विश्लेषण गलत है क्योंकि दोनों ग्रेड अपने कटौती अनुपात के कारण तकनीकी रूप से पृथक हैं जिस के द्वारा यह आयातित ग्रेड के लिए उच्च है। कमी का अनुपात जितना उच्च होगा, ट्यूब उतनी ही पतली होगी और उच्च कमी अनुपात के साथ, फाइन पाउडर(डी-पीटीएफई) रेजिन ग्रेड 640 सी घरेलू ग्रेड इनोफ्लोन जीएन 7500 की तुलना में टू-व्हीलर ब्रेक होजिज के लिए छोटे ट्यूब अनुप्रयोग में प्रयोग के लिए अधिक सक्षम है।
- vii. इसके अलावा, यह अनुरोध किया गया था कि प्राधिकारी स्वीकार करने के लिए यह सत्यापन कर सकते हैं कि क्या इनोफेलोन जीएन 7500 टू-व्हीलर ब्रेक होजिज के लिए छोटी अनुप्रयोगों के लिए वाणिज्यिक मात्राओं में उत्पादित और बिक्री किया गया है तो क्या ग्रेड को

- उपभोक्ताओं द्वारा बड़े पैमाने पर स्वीकृत किया गया है। तथापि, प्राधिकारी द्वारा इस संबंध में कोई अवलोकन नहीं किया गया है।
- viii. प्राधिकारी से आयातित विचाराधीन उत्पाद की तुलना में घरेलू रूप से उत्पादित पीटीएफई के गुणवत्ता निष्पादन का एक तुलनात्मक आकलन आयोजित करने के द्वारा आयात बाजार हिस्से में वृद्धि की जांच करने के लिए अनुरोध किया जाता है। ऐसा विस्तृत मूल्यांकन यह सिद्ध करेगा कि डाउनस्ट्रीम मांग को पूरा करने के लिए आयातों पर बढ़ी हुई निर्भरता एक बाजार-आधारित आवश्यकता है।
 - ix. उत्पादक/निर्यातक शाओवू योंगहे जिनतांग न्यू मेटीरियल्स कं. लि. ने अंतिम जांच परिणामों की शुल्क तालिका में प्राधिकारी द्वारा उनके नाम के सही स्पेलिंग्स को नोट करने का अनुरोध किया है।
 - x. उत्पादक/निर्यातक दि केमूर्स (चांगशू) फ्लूरोटेक्नोलॉजी कंपनी लिमि. ने प्राधिकारी से अंतिम जांच परिणामों की शुल्क तालिका में उनके नाम के सही स्पेलिंग्स को नोट करने का अनुरोध किया है।
 - xi. उत्पादक/निर्यातक झोंगझाओ चेंगुआंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल इंडस्ट्री कं. लि. ने प्राधिकारी से अंतिम जांच परिणामों की शुल्क तालिका में उनके नाम के सही स्पेलिंग्स को नोट किए जाने का अनुरोध किया है।
 - xii. घरेलू उद्योग जांच की शुरुआत के समय उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित मुकदमों को प्रकट न किए जाने के लिए कोई औचित्य प्रस्तुत करने में असफल रहा है और प्रकटन विवरण भी इस पहलू पर मौन है।
 - xiii. 12 मार्च, 2025 को घरेलू उद्योग द्वारा 2022 के डब्ल्यू.पी. 13928 को वापिस लिए जाने की जांच की गलत शुरुआत का उपचार करने के लिए पर्याप्त नहीं माना जा सकता।
 - xiv. यह एक आधारभूत कानूनी सिद्धान्त है कि कोई व्यक्ति स्वयं अपनी गलती का लाभ नहीं उठा सकता। यदि पाटनरोधी जांच यह सुनिश्चित करने के लिए तत्काल आरंभ की गई थी कि दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष कार्रवाहियों की लंबिता के संबंध में प्रासंगिक जानकारी को छुपा कर पाटनरोधी शुल्क के लिए नई सिफारिश शीघ्रता में की गई है, घरेलू उद्योग को इस अभीप्रेरत निष्कर्ष प्राप्त करने और अपनी स्वयं की गलती का लाभ उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती।
 - xv. प्राधिकारी को चीन जन.गण. से उत्पादकों/निर्यातकों के संबंध में गैर-बाजार अर्थव्यवस्था पद्धति प्रणाली अथवा सारोकेट देश की विचाराधारा का प्रयोग करना बन्द करना चाहिए।
 - xvi. प्राधिकारी को अनुबंध-1 के पैराग्राफ 8 के तहत एमईटी स्थितियों को पूरा करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए क्योंकि ऐसी जरूरत 11 दिसंबर, 2016 के पश्चात मौजूद नहीं है।
 - xvii. सामान्य मूल्य को इस जांच में प्रतिभागी कंपनी द्वारा उपलब्ध कराए गए डाटा सहित चीनी उत्पादकों/निर्यातकों के व्यापार की सामान्य अवधि में कीमतों और लागतों का प्रयोग करते हुए डब्ल्यूटीओ पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 2 के अनुसरण में निर्धारित किया जाना चाहिए।
 - xviii. यह देखते हुए कि प्राधिकारी ने स्वयं ही यह निर्धारित किया है कि चेमूर्स (चांगशू) फ्लोरो टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड ('चेमूर्स') और झोंगहाओ चेंगुआंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल इंडस्ट्री कं. लिमि. ('झोंगहाओ') से आने वाले आयात पाटित नहीं हैं, इसे अनिवार्य

- रूप से “पाटित कीमतों पर न बेचे गए आयातों” की श्रेणी के अंतर्गत विचारित किया जाना चाहिए। परिणामस्वरूप, घरेलू उद्योग के निष्पादन पर पड़ने वाले ऐसे आयातों का कोई प्रभाव पूरी तरह से अनुबंध-II के पैरा (v) के तहत संदर्भित “अन्य कारकों” श्रेणी के भीतर आता है। इसलिए, चेमूर्स और झोंगहाओं द्वारा गैर-पाटित निर्यातों को महत्वपूर्ण क्षति के विश्लेषण में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। क्षति आकलन से ऐसे आयातों को बाहर किए जाने के कारण संभवतः प्राधिकारी की घरेलू उद्योग को क्षति की जांच बदल सकती है।
- xix. रूस के मामले में प्रकटन विवरण में निर्धारित पाटन और क्षति मार्जिन न केवल बहुत अधिक बल्कि आवेदन प्रस्तुत करते समय किए गए आवेदक के बढ़ा-चढ़ा कर किए गए दावों से भी अधिक है जिस पर पुनः विचार किए जाने की जरूरत है।
- xx. चाहे आवेदन और प्रकटन विवरण के लिए सामान्य मूल्य के निर्धारण का आधार समान बना रहा है, जो यह दर्शाता है कि प्राधिकारी ने आवेदक के लिए अनुमत एक उच्चतर लागत के आधार पर स्पष्ट रूप से एक उच्चतर सामान्य मूल्य निर्धारित किया है जो उनके अपने दावों से भी अधिक है और यह भी स्पष्ट नहीं है कि निर्मित आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण करते समय जोड़ा गया उचित लाभ क्या है।
- xxi. रूस और चीन जन.गण. से आयातित उत्पाद ग्रेडों की बीच कीमत अंतर को थोड़ी पुष्टि की आवश्यकता है और कुछ विशेष ग्रेडों पर कीमत में अंतर बहुत संदेहास्पद हैं। यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि क्यों उपयोक्ता एक उच्चतर कीमत पर चीन जन.गण. से आयात कर रहे थे जबकि वही सामग्री काफी कम कीमत पर रूस से उपलब्ध है, यह भी दर्शाता है कि रूस के लिए निर्धारित किए गए मार्जिन वास्तविक नहीं हैं और अधूरे तथ्यों के आधार पर एक बड़ी संख्या प्रस्तावित की गई है।
- xxii. कीमत कटौती और पाटन मार्जिन/क्षति मार्जिन के बीच तुलना में जैसाकि प्रकटन विवरण दर्शाता है, आवेदक द्वारा दावा किया गया क्षति का कारण रूस से आने वाले आयात नहीं हैं बल्कि आवेदक की अत्यधिक उच्चतर लागत है।
- xxiii. प्रकटन विवरण के अनुसार, वर्तमान मामले में रूप से कीमत कटौती केवल 10-20% (पीयूसी के लिए कुल) है जो दर्शाता है कि आयात घरेलू उद्योग की कीमत से केवल 10-20% निम्न कीमत पर पहुंचते हैं। तथापि, रूस के मामले में निर्धारित पाटन मार्जिन/क्षति मार्जिन क्रमशः 85-95% और 80-90% है जो आवेदक की बहुत ऊंची लागत/एनआईपी का प्रमाण है। तुलनीय कीमत पर आयात घरेलू उद्योग को किसी प्रकार की क्षति नहीं होनी चाहिए थी।
- xxiv. प्राधिकारी को एनआईपी संगणना में 22% आरओसीई के प्रयोग की पुनरीक्षा और पुनर्मूल्यांकन करना चाहिए था। इसके बजाय उन्हें कथित पाटन से मुक्त अवधियों के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा नियोजित पूंजी पर वास्तविक आय पर विचार करना चाहिए था अथवा कम से कम एक समकालीन दर अपनानी चाहिए जो वर्तमान ब्याज दरों और कर व्यवस्था को प्रतिबिंबित करे।
- xxv. पीटीएफई बहुत से उद्योगों और क्षेत्रों में अनुप्रयोगों के साथ एक मध्यस्थ उत्पाद है, लगभग 300 पीटीएफई प्रोसेसर हैं, जिन में से अधिकतर 50 लाख रुपए से 5-10 करोड़ रुपए की सीमा के बीच वार्षिक टर्नओवर के साथ एमएसएमई क्षेत्र से संबंधित हैं।
- xxvi. पीटीएफई समग्र लागत के महत्वपूर्ण भाग को स्थापित करता है, किसी भी शुल्क का अंतिम उत्पादों की विनिर्माण लागत पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। तैयार उत्पादों में लागत में वृद्धि के

परिणामस्वरूप भारत में विनिर्माण उध्वाधर रूप से एकीकृत घरेलू निर्माता या आयातित उत्पाद की तुलना में प्रतिस्पर्धी होगा।

ड.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

111. घरेलू उद्योग प्रकटन विवरण के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- i. जांच की अवधि के दौरान मामूली गिरावट से पहले 2022-23 तक भारत में विचाराधीन के लिए मांग में वृद्धि हुई। मांग में गिरावट के बावजूद, संबद्ध देशों से आयातों में उछाल आया जो जांच की अवधि में कुल आयातों के 83% के लिए उत्तरदायी हैं।
- ii. संबद्ध देशों से आयातों में कुल रूप में 101% की वृद्धि हुई, उत्पादन के संबंध में 27% तक और खपत के संबंध में 44% की वृद्धि हुई।
- iii. जांच की अवधि में घरेलू उद्योग की बिक्रियों में गिरावट आई जो इंगित करता है कि बड़े हुए आयातों ने घरेलू उद्योग को विपरीत रूप से प्रभावित किया है।
- iv. विभिन्न पीटीएफई श्रेणियों के लिए संबद्ध देशों से आयात कीमतों में गिरावट आई है जबकि बाकी विश्व से कीमतें स्थिर बनी रही हैं या उनमें गिरावट आई है, जिससे एक महत्वपूर्ण कीमत अंतर निर्मित हुआ है।
- v. संबद्ध देशों से आयात लगातार घरेलू कीमतों में कटौती कर रहे हैं विशेष रूप से ए-पीटीएफई श्रेणों में कटौती 95% से अधिक है। सभी उत्पाद श्रेणियों ने सकारात्मक कटौती दर्शायी है। सी-पीटीएफई के अलावा, जो दर्शाता है कि आयातित माल घरेलू उत्पाद की तुलना में उल्लेखनीय रूप से कम कीमत पर बेचा गया था।
- vi. घरेलू उद्योग की बिक्रियों की लागत और बिक्री कीमतों में 2022-23 तक वृद्धि हुई थी और जांच की अवधि में इसमें गिरावट आई थी। बिक्री कीमत में लागत से ज्यादा कमी आई। अतः संबद्ध आयातों में कीमत हास और कीमत में न्यूनीकरण हुआ।
- vii. आरंभिक रूप से वृद्धि दर्शाने के बाद जांच की अवधि में घरेलू उद्योग के उत्पादन, क्षमता उपयोग और बिक्रियों में उल्लेखनीय गिरावट आई।
- viii. घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में उल्लेखनीय गिरावट आई जबकि संबद्ध आयातों के हिस्से ने 2020-21 में 26% से बढ़कर जांच की अवधि में मांग के 44% हिस्से पर कब्जा कर रखा है।
- ix. जांच की अवधि में निम्नतम स्तर पर होने के कारण, लाभप्रदता संबंधी पैरामीटरों में तीव्रता से गिरावट आई। नकद लाभों और आरओआई में भी महत्वपूर्ण गिरावट आई और यह निम्नतम स्तर पर है।
- x. मालसूची का स्तर बढ़ा, जबकि रोजगार और उत्पादकता में गिरावट आई।
- xi. जांच की अवधि में पूरे मात्रा और कीमत संबंधी मापदंडों में ऋणात्मक वृद्धि हुई।
- xii. यदि कंपनी के घरेलू परिचालन बन्द हो जाएं तो कंपनी का लगभग 75-80 % व्यापार बन्द हो जाएगा और पीटीएफई के विदेशी परिचालन अव्यवहार्य हो जाएंगे।
- xiii. पीटीएफई के लिए प्राथमिक कच्चा माल जो कि टेट्राफ्लोरोएथलीन (टीएफई) है, का बहुतायत रूप से आर-22 का प्रयोग करते हुए घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन किया जाता है, जिसका घरेलू उद्योग द्वारा भी बहुतायत से उत्पादन किया जाता है। घरेलू उद्योग द्वारा दावा की गई एनआईपी संगणना मानक लेखाकरण अभ्यासों के अनुसरण में, निवल अचल परिसंपत्तियों पर आय सहित, इसकी विनिर्माण लागत पर टीएफई के लिए आर-22 की लागत को बताती

- है। हालांकि, प्राधिकारी ने 5% की आय और वित्तीय लागत पर विचार करते हुए +5% की लागत के आधार पर आर-22 की लागत निर्धारित की है।
- xiv. प्राधिकारी द्वारा विचार की गई संगणना अनुचित है क्योंकि:
- क. अनुबंध III के कैप्टिव इनपुट पर लागू करने की आवश्यकता नहीं है और यह अनुबंध III का उल्लंघन है।
 - ख. सामान्य रूप से प्राधिकारी तात्कालिक कैप्टिव इनपुट के लिए अनुबंध III को लागू करते हैं तथापि, इसे उत्पादों की श्रृंखला तक विस्तारित किया गया है जो अनुबंध-III और पिछले अभ्यासों के अनुरूप नहीं है।
 - ग. इस तरह के उपचार से प्राधिकारी के दृष्टिकोण और कार्य-प्रणाली में परिवर्तन होता है तथा अनुबंध-III में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, जिससे ऐसा उपचार अनुचित हो जाता है।
 - घ. प्राधिकारी ने कैप्टिव इनपुट के लिए विचाराधीन उत्पाद के लिए निर्धारित फार्मेट उपलब्ध कराने के लिए घरेलू उद्योग को कोई विवेकाधिकार नहीं दिया है।
 - ड. ऐसा उपचार आवेदन दायर करने के लिए अनिवार्यताओं को विनिर्दिष्ट करते हुए जारी किए गए व्यापार नोटिस के विपरीत है।
- xv. प्राधिकारी ने इसके अलावा आर-22 के मूल्य को लेते हुए प्रशासनिक उपरिशीर्षों पर विचार नहीं किया है जो कि एनआईपी को कृत्रिम रूप से और अनुचित रूप से निम्न करता है।
- xvi. संबद्ध वस्तुओं का बहुत से उद्योगों पर अनुप्रयोगों में प्रयोग किया जाता है और घरेलू उद्योग को प्रोत्साहित करने से बड़े निवेशों और रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने से बड़े निवेशों और रोजगार सृजन के लिए द्वार खुलेंगे, देश में समग्र औद्योगिक गतिविधि और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।
- xvii. शुल्क को अमरीकी डालरों के रूप में और पांच वर्षों की अवधि के लिए लगाया जाना चाहिए। घरेलू उद्योग ने विशेष रूप से आयातकों द्वारा किसी प्रकार के दुरुपयोग अथवा शोषण से बचने के लिए निश्चित मात्रात्मक शुल्क को लागू करने का अनुरोध किया है।

3.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

112. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा की गई प्रकटन-पश्चात टिप्पणियों की जांच की है। यह नोट किया गया है कि जो टिप्पणियां दोहराई गई हैं और जिनकी पहले ही उपयुक्त रूप से जांच की गई है, जिनका इस अंतिम जांच परिणामों के संगत पैराग्राफों में संक्षिप्तता के लिए प्राधिकारी द्वारा प्रकटन विवरण में पर्याप्त रूप से उल्लेख किया गया है। विस्तार में जांच किए गए हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए और जो प्राधिकारी द्वारा प्रासंगिक समझे गए हैं, मुद्दों की यहां नीचे जांच की गई है।
113. जहां तक ए-पीटीएफई से संबंधित आरोप का संबंध है, अन्य हितबद्ध पक्षकार ने अनुरोध किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित ए-पीटीएफई अपेक्षित तापमान के उतार-चढ़ाव को संपोषित नहीं करता और खाद्य पदार्थ खंड में, विशिष्ट परिस्थितियों में प्रयोग नहीं किया जा सकता। आगे यह आरोप लगाया गया है कि घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति किए गए विचाराधीन उत्पाद की खपत संबंधी मानदंड डाउनस्ट्रीम आउटपुट के समान स्तर को प्राप्त करने के लिए आयातित विचाराधीन उत्पाद की तुलना में महत्वपूर्ण रूप से उच्च हैं जो कि निम्न सामग्री अवशोषण और घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित ग्रेड की कमजोर

बांडिंग शक्ति के कारण हैं। इन आधारों पर, अन्य हितबद्ध पक्षकार ने ए-पीटीएफई को बाहर करने के लिए अनुरोध किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्राधिकारी द्वारा जारी प्रकटीकरण विवरण और इस जांच परिणाम में प्राधिकारी द्वारा ए-पीटीएफई को बाहर करने के अनुरोध की जांच की गई है। अन्य हितबद्ध पक्षकार ने दावे को सिद्ध करने के लिए कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया है कि घरेलू उद्योग के उत्पाद गुणवत्ता मानकों को पूरा नहीं करते। इसके अलावा, प्राधिकारी ने ग्राहकों को की गई ए-पीटीएफई की बिक्रियों का साक्ष्य देते हुए घरेलू उद्योग द्वारा रिकॉर्ड पर प्रस्तुत किए गए इनवॉयस की जांच की है। प्राधिकारी द्वारा यह भी नोट किया गया है कि घरेलू उद्योग का ए-पीटीएफई का उत्पादन इसके कुल उत्पादन के 14% के लिए उत्तरदायी है। तापमान भिन्नता के संबंध में, जैसा कि प्राधिकारी द्वारा ऊपर नोट किया गया है, ए-पीटीएफई के लिए आवेदक का टीडीएस -250 डिग्री सेल्सियस से +250 डिग्री सेल्सियस की रेंज वाला सेवा तापमान दर्शाता है कि उनका उत्पाद एफडीए अनुपालन है। यह देखते हुए कि अन्य हितबद्ध पक्षकार ने इस दावे को निरस्त करने के लिए और उत्पादन के रिकॉर्ड पर प्रस्तुत साक्ष्य और घरेलू उद्योग द्वारा ए-पीटीएफई की बिक्रियों के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए हैं, प्राधिकारी धारित करते हैं कि ए-पीटीएफई को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर नहीं किया जा सकता।

114. अन्य हितबद्ध पक्षकार ने सी-पीटीएफई के संबंध में अनुरोध किया है, जबकि घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि सी-पीटीएफई उनके द्वारा उत्पादित नहीं किया जाता, प्राधिकारी ने नोट किया है कि घरेलू उद्योग ने सी-पीटीएफई को उत्पादित और बिक्री की है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि सी-पीटीएफई का घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन और बिक्री की गई है, जैसा कि घरेलू उद्योग द्वारा रिकॉर्ड पर प्रस्तुत आंकड़ों से साक्ष्य है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग ने विभिन्न ग्राहकों को सी-पीटीएफई की बिक्रियों को दर्शाते हुए इनवॉयस के जरिए ग्राहकों को बिक्री के साक्ष्य भी रिकॉर्ड पर प्रस्तुत किए हैं। प्राधिकारी ने विचार किए गए आयात डाटा में भी पाया है कि संबद्ध देशों से भारत में सी-पीटीएफई का आयात किया गया है। अतः उचित सत्यापन के बाद प्राधिकारी द्वारा यह निष्कर्ष निकाला गया है कि घरेलू उद्योग विभिन्न ग्राहकों को सी-पीटीएफई का उत्पादन और बिक्री करता है।
115. हितबद्ध पक्षकारों में से एक ने यह आरोप लगाया है कि प्राधिकारी ने ग्रेडों के उत्पादन और आपूर्ति की जांच नहीं की है, जैसे पीईईके पीटीएफई, स्टेनलेस स्टील पीटीएफई, पॉलीमाइड पीटीएफई, फिल्ड एलुमिना (एआई 203) पीटीएफई, कैल्शियम फ्लूराइड पीटीएफई, पीटीएफई में फिल्ड पॉलीमर, पीटीएफई में माइका, बोरम नाइट्रेट फिल्ड पीटीएफई और कोबॉल्ट एलुमिनेट फिल्ड पीटीएफई फिल्डग्रेड। हालांकि, यह नोट किया जाना चाहिए कि अपने प्रकटन विवरण में प्राधिकारी ने कहा है कि ऊपर उल्लिखित ग्रेड फिल्ड पीटीएफई के विभिन्न प्रकार हैं। जैसा कि कहा गया है, यह भी नोट किया गया है कि घरेलू उद्योग मानक फिल्ड ग्रेड की एक रेंज उत्पादित करता है, जैसे कि कांच, तांबा आदि से फिल्ड सी-पीटीएफई आदि। घरेलू उद्योग ने ग्राहकों को ऐसे सी-पीटीएफई ग्रेडों की बिक्री को दर्शाते हुए रिकॉर्ड पर बीजक प्रस्तुत किए हैं। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग ने एक घोषणा-पत्र भी प्रस्तुत किया है जो कहता है कि सी-पीटीएफई के ऐसे फिल्ड ग्रेड, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, उत्पादित किए जा सकते हैं क्योंकि घरेलू उद्योग के पास

- इन ग्रेडों के उत्पादन की सुविधा है। ऊपर उल्लिखित सी-पीटीएफई ग्रेडों की मांग कम है जिसे इन ग्रेडों के आयातों की न्यूनतम मात्रा द्वारा मंडित किया गया है।
116. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के आरोप के संबंध में कि प्री-सिंटर कार्बन फिल्ड ग्रेड और फ्री-फ्लो फिल्ड ग्रेडों का संबद्ध देशों से आयात नहीं किया गया है और इसलिए इसे विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखना चाहिए, यह नोट किया गया है कि संबद्ध देशों से इनके कोई आयात नहीं किए गए हैं, घरेलू उद्योग अपने उत्पाद इनोफ्लोन 510 के जरिए ही प्री-सिंटेड ग्रेड के समकक्ष का उत्पादन करता है।
117. अन्य हितबद्ध पक्षकार द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि फाइन पाउडर (डी-पीटीएफई) रेजिन ग्रेड 640 सी को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखना चाहिए क्योंकि दोनों, 640 सी ग्रेड और घरेलू उद्योग का ग्रेड, जो कि इनोफ्लोन जीएन 7500 है, तकनीकी रूप से अपने कमी अनुपात के कारण भिन्न है, जिसके कारण यह आयातित ग्रेड के लिए उच्चतर है। जैसाकि विचाराधीन उत्पाद के दायरे की अपनी जांच में प्राधिकारी द्वारा नोट किया गया है, दोनों ग्रेडों की विशिष्ट विशेषता गुणों की तुलना दर्शाती है कि तकनीकी विशेषताएं तुलनीय हैं। इसके अलावा, घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि इनोफ्लोन जीएन 7500 द्वारा समर्थित कमी अनुपात ट्यूबिंग और होज प्रसंस्करण के लिए अनिवार्यताओं के अनुरूप हैं। घरेलू उद्योग ने रिकॉर्ड पर इनवाँयस भी प्रस्तुत किए हैं, जो ट्यूबिंग के व्यापार में ग्राहकों को इनोफ्लोन जीएन 7500 की बिक्रियों के साक्ष्य हैं।
118. कैप्टिव रूप से उत्पादित कच्चे माल के मानकीकरण/अनुकूलन के संबंध में घरेलू उद्योग के तर्क के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि गैर-क्षतिग्रस्त कीमत का निर्धारण एंटी-डंपिंग नियम, 1995 के अनुबंध-III के अनुसार किया जाना अपेक्षित है। गैर-क्षतिग्रस्त कीमत का निर्धारण करने के लिए, जांच की अवधि के लिए उत्पादन की लागत के तत्वों से संबंधित आंकड़ों पर विचार किया जाता है। पिछले तीन वर्षों और जांच की अवधि के दौरान कच्चे माल, उपयोगिताओं का सर्वोत्तम उपयोग, जिनका उपयोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विचाराधीन उत्पाद के विनिर्माण के लिए किया जाता है, को जांच की अवधि में दर लागू करते हुए कच्चे माल और उपयोगिताओं की लागत निर्धारित करने के लिए विचार किया जाता है। कच्चे माल और उपयोगिताओं के अकुशल उपयोग से घरेलू उद्योग को हुई क्षति, यदि कोई हो, को रद्द करने के लिए यह प्रक्रिया अपनाई जाती है। कैप्टिव रूप से उत्पादित कच्चे माल के लिए, यदि घरेलू उद्योग एंटी-डंपिंग नियमों के अनुबंध-III के अनुसार विस्तृत जानकारी प्रदान करता है तो इसी प्रकार की प्रक्रिया अपनाई जाती है। विस्तृत जानकारी के अभाव में, प्राधिकरण, कैप्टिव रूप से उत्पादित कच्चे माल की कीमत का निर्धारण, बाजार मूल्य या ऐसे कैप्टिव रूप से उत्पादित कच्चे माल की सत्यापित उत्पादन लागत और प्राधिकरण की सतत कार्यप्रणाली के अनुसार उचित प्रतिफल के आधार पर करता है। वर्तमान मामले में, उक्त प्रक्रिया, पीयूसी के उत्पादन हेतु प्रयुक्त कैप्टिव रूप से उत्पादित कच्चे माल के लिए अपनाई गई है।
119. चीन जन.गण. के लिए “सरोगेट देश” कार्य प्रणाली के प्रयोग के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध के संबंध में, यह तर्क देते हुए गैर-बाजार अर्थव्यवस्था (एनएमई) के रूप में इसका वर्गीकरण डब्ल्यूटीओ प्रावधानों के अनुरूप नहीं है; यह नोट किया गया है कि किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने अपने प्रश्नावली उत्तर में चीन जन.गण. की गैर-बाजार अर्थव्यवस्था स्थिति को विवादास्पद नहीं बताया है या न ही कोई पूरक प्रश्नावली दायर

- नहीं की है, प्राधिकारी वर्तमान जांच में चीन जन.जन.गण. को एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में माना जाना उचित समझते हैं।
120. जहां तक रूस के संबंध में उच्च मार्जिन बनाने के आरोप का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबंधित पक्षकार ने प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है। अतः प्राधिकारी के पास निर्यातक-विशिष्ट जानकारी नहीं है और उपलब्ध सर्वोत्तम तथ्यों का प्रयोग करने का निश्चय किया है।
121. अन्य हितबद्ध पक्षकार ने आरोप लगाया है कि घरेलू उद्योग ने जांच की शुरुआत के समय लंबित मुकद्दमे के विवरणों को प्रकट नहीं किया है और यह कि रिट्-याचिका को वापिस लेने को गलत जांच शुरुआत के पर्याप्त उपचार नहीं माना जा सकता। जैसाकि प्राधिकारी द्वारा अपने प्रकटन विवरण में नोट किया गया है, घरेलू उद्योग ने इन कार्यवाहियों में अपने अधिकारों को वापिस ले लिया है और दोनों याचिकाओं का निपटान किया गया है और यह नोट किया गया है कि उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत याचिकाओं का निपटान कर दिया गया है, यह इंगित करते हुए कि घरेलू उद्योग किसी अन्य मंच से कोई अन्य उपचार को प्राप्त नहीं कर रहा है।
122. हितबद्ध पक्षकारों ने गैर-क्षतिकारक कीमत की संगणना पर विभिन्न अनुरोध किए हैं। 22% की आय के विचार के लिए किए गए अनुरोध के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि इसने नियोजित पूंजी पर 22% आय को लगातार स्वीकृति प्रदान की है। इस अभ्यास से विचलन करने का कोई औचित्य नहीं है और इसलिए इसे वर्तमान जांच में भी अपनाया गया है।

ढ. निष्कर्ष

123. किए गए अनुरोध के आधार पर, उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर और प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध कराए गए तथ्यों के आधार पर जैसाकि ऊपर रिकॉर्ड किया गया है और पाटन के उक्त विश्लेषण के आधार पर तथा घरेलू उद्योग को परिणामस्वरूप होने वाली क्षति के संबंध में, प्राधिकारी निम्नानुसार निष्कर्ष देते हैं:-
- विचाराधीन उत्पाद का दायरा चीन जन.गण. और रूस के मूल का अथवा वहां से निर्यातित “पॉलीटेट्राफ्लोएथलीन” है।
 - संबद्ध वस्तुओं को सीमा शुल्क उप शीर्ष 39046100 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है, तथापि वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान जांच के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।
 - आवेदन मै. गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स लिमि. द्वारा दायर किया गया है। आवेदक नियमावली के नियम 2(ख) के अंतर्गत घरेलू उद्योग ठहरता है और आवेदन नियम 5(3) के संदर्भ में स्थिति के मापदंड को पूरा करता है।
 - चीन जन.गण. और रूस से निर्यातित संबद्ध वस्तुएं और घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित वस्तु पाटनरोधी नियमावली 1995 के नियम 2(घ) के संदर्भ में एक दूसरे की ‘समान वस्तु’ हैं।
 - विचाराधीन उत्पाद को सामान्य मूल्य से निम्न कीमत पर निर्यात किया गया है। परिणामस्वरूप पाटन हुआ है। पाटन मार्जिन न्यूनतम स्तर से अधिक है और महत्वपूर्ण है।

- vi. क्षति अवधि में, विशेष रूप से जांच की अवधि में कुल रूप में और सापेक्ष रूप में संबद्ध आयातों की मात्रा में वृद्धि हुई है। संबद्ध देशों से आयातों ने पूरी क्षति अवधि के दौरान भारत में कुल आयतों के अधिकतर भाग को सिद्ध किया है।
- vii. संबद्ध देशों से संबद्ध आयात घरेलू उद्योग की कीमतों को कम कर रहे हैं और घरेलू उद्योग की कीमतों पर काफी दबावपूर्ण प्रभाव डाल रहे हैं।
- viii. आधार वर्ष से 2021-22 तक उत्पादन और क्षमता उपयोग में वृद्धि हुई है जिसके बाद पीओआई में गिरावट आई है। घरेलू मांग को पूरा करने की पर्याप्त क्षमता के बावजूद क्षमता का कम उपयोग हुआ है।
- ix. 2022-23 तक घरेलू उद्योग की बिक्रियों में वृद्धि हुई है और तब इसमें जांच की अवधि में गिरावट आई है।
- x. घरेलू मांग में संबद्ध देशों से बाजार हिस्से में वृद्धि हुई है जबकि क्षति अवधि में घरेलू उद्योग में गिरावट आई है।
- xi. आधार वर्ष से 2021-22 तक लाभों और नकद लाभों में गिरावट आई जिसके बाद 2022-23 में इसमें वृद्धि हुई और तत्पश्चात् आरओआई में इसमें गिरावट आई। आरओआई ने भी लाभ और नकद लाभों की तरह समान गतिविधि का अनुसरण किया और जांच की अवधि में यह 5% पर थी।
- xii. आधार वर्ष से 2021-22 तक कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि हुई और तब जांच की अवधि तक इसमें गिरावट आई। आधार वर्ष से 2021-22 तक भुगतान की गई मजदूरी में वृद्धि हुई तत्पश्चात् 2022-23 में इसमें गिरावट आई और तब पीओआई में इसमें मामूली वृद्धि देखी गई।
- xiii. प्रति कर्मचारी उत्पादकता में आधार वर्ष से 2021-22 तक मामूली गिरावट आई जबकि 2022-23 में इसमें वृद्धि हुई और तत्पश्चात् जांच की अवधि में गिरावट देखी गई।
- xiv. घरेलू उद्योग की वृद्धि को आयातों ने विपरीत रूप से प्रभावित किया है।
- xv. घरेलू उद्योग को किसी अन्य कारण के कारण क्षति हुई प्रतीत नहीं होती। यह नोट किया गया है कि पाटित आयातों के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग ने महत्वपूर्ण क्षति का सामना किया है।

ग. सिफारिशें

- 124. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच आरंभ की गई भी और सभी हितबद्ध पक्षकारों को क्षति, कारणात्मक संबंध और उपायों के प्रभाव के पहलू पर जानकारी उपलब्ध कराने के लिए उन्हें अधिसूचित किया गया था और पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था।
- 125. पाटनरोधी जांच प्रावधानों के संबंध में जांच की शुरुआत और उसे आयोजित करते हुए जैसा कि पाटनरोधी नियमावली के तहत निर्धारित किया गया है, प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि संबद्ध वस्तुओं पर शुल्क लागू किया जाना चाहिए। तदनुसार, प्राधिकारी, विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर पाटनरोधी शुल्कों को लागू किए जाने की सिफारिश करते हैं।
- 126. इसके अतिरिक्त, एचएस कोड 39046100 के अंतर्गत विचाराधीन उत्पाद के आयातों के संबंध में इस निष्कर्ष पर पहुंचने के संबंध में, प्राधिकारी इस कोड के तहत आने वाले विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर पाटनरोधी शुल्कों के संग्रहण की सिफारिश करते हैं।

127. अनुसरण किए गए कमतर शुल्क नियम के संबंध में, प्राधिकारी पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन में से कमतर के समकक्ष पाटनरोधी शुल्क को लागू करने की सिफारिश करते हैं ताकि घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को समाप्त किया जा सके। तदनुसार, प्राधिकारी इस संबंध में जारी की जाने वाली अधिसूचना की तारीख से 5 वर्षों की अवधि के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में जारी किए जाने के लिए, नीचे प्रस्तुत शुल्क तालिका के कॉलम 7 में उल्लिखित धनराशि के समकक्ष संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क को लागू करने की सिफारिश करते हैं:-

शुल्क तालिका

क्रमांक	शीर्षक/उप-शीर्षक	वस्तुओं का विवरण	मूल देश	निर्यात का देश	निर्माता	कुल धनराशि	माप की इकाई	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	39046100*	पॉलीटेट्राफ्लुओरोएथिलीन (पीटीएफई) [#]	चीन पीआर	चीन पीआर सहित कोई भी देश	शेडोंग डोंग्यू पॉलिमर सामग्री कं, लिमिटेड	2,884.01	एमटी	यूएसडी
2.	-वही-	-वही-	चीन पीआर	चीन पीआर सहित कोई भी देश	शाओवु योंगहे जिंतांग नई सामग्री कं, लिमिटेड	5,206.75	एमटी	यूएसडी
3.	-वही-	-वही-	चीन पीआर	चीन पीआर सहित कोई भी देश	द केमोर्स (चांगशू) फ्लोरो टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड	शून्य	एमटी	यूएसडी
4.	-वही-	-वही-	चीन पीआर	चीन पीआर सहित कोई भी देश	झोंगहाओ चेंगुआंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ	शून्य	एमटी	यूएसडी

				देश	केमिकल इंडस्ट्री कं, लिमिटेड			
5.	-वही-	-वही-	चीन पीआर	चीन पीआर सहित कोई भी देश	क्रमांक 1, 2, 3 और 4 के अलावा कोई अन्य उत्पादक	5,933.70	एमटी	यूएसडी
6.	-वही-	-वही-	चीन पीआर और रूस के अलावा कोई भी देश	चीन पीआर	कोई	5,933.70	एमटी	यूएसडी
7.	-वही-	-वही-	रूस	रूस सहित कोई भी देश	कोई	4,578.80	एमटी	यूएसडी
8.	-वही-	-वही-	चीन पीआर और रूस के अलावा कोई भी देश	रूस	कोई	4,578.80	एमटी	यूएसडी

*टिप्पणी - सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और पाटनरोधी शुल्क का निर्धारण विचाराधीन उत्पाद के विवरण के अनुसार किया जाएगा।

#वर्तमान आवेदन में विचाराधीन उत्पाद पॉलीटेट्राफ्लुओरोएथिलीन (पीटीएफई) है। पीयूसी का उपयोग मुख्यतः इलेक्ट्रॉनिक, यांत्रिक और रासायनिक उद्योगों में इसकी विशिष्ट विशेषताओं, जैसे रासायनिक निष्क्रियता, विद्युत और तापीय रोधन, कम घर्षण गुणांक, गैर-विषाक्त, गैर-ज्वलनशील, विकिरण-

प्रतिरोधी, निम्न स्तर का स्थैतिक और गतिशील घर्षण, और विस्तृत आवृत्ति रेंज में उत्कृष्ट विद्युत गुणों के कारण किया जाता है।

128. इस अधिसूचना के प्रयोजन हेतु आयातों का पहुंच मूल्य मूल्यांकन योग्य मूल्य होगा जैसाकि सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) के अंतर्गत निर्धारित किया गया है और उक्त अधिनियम की धारा 3, 8ख, 9क के अंतर्गत आने वाले शुल्कों के अतिरिक्त सीमा शुल्क के सारे शुल्क इसमें शामिल होंगे।

त. **आगे की प्रक्रिया**

129. इस अंतिम जांच परिणाम से उत्पन्न होने वाले प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध कोई भी अपील सीमा प्रशुल्क अधिनियम के संगत प्रावधानों के अनुसरण में सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।

सिद्धार्थ महाजन, पदनामित प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(Directorate General of Trade Remedies)

NOTIFICATION

New Delhi the 19th September, 2025

FINAL FINDINGS

Case No. AD (OI)-19/2024

Subject: Final findings in the anti-dumping investigation concerning imports of “Polytetrafluoroethylene (PTFE)” originating in or exported from China PR and Russia-regd

F. No. 6/21/2024-DGTR:- Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereafter also referred to as the “Act”) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 thereof, as amended from time to time (hereafter also referred to as the “Rules”).

A. BACKGROUND OF THE CASE

1. Whereas, M/s Gujarat Fluorochemicals Ltd. (hereinafter referred to as the “applicant”) has filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the “Authority”), on behalf

of the “domestic industry”, in accordance with the Act and the Rules for initiation of an anti-dumping investigation concerning imports of “Polytetrafluoroethylene” (PTFE) (hereinafter referred to as “PTFE” or “subject goods”) originating in or exported from China PR and Russia (hereinafter referred to as the “subject countries”) and has requested the imposition of anti-dumping duty.

2. And whereas, the Authority, on the basis of *prima facie* evidence submitted by the applicant, issued a public notice vide notification no. 6/21/2024- DGTR dated 30th September 2024, published in the Part-I Section I of the Gazette of India, Extraordinary, initiating the anti-dumping investigation in accordance with Section 9A of the Customs Tariff Act read with Rule 5 of the Rules to determine the existence, degree, and effect of the alleged dumping of the subject goods, originating in or exported from the said subject countries, and to recommend the amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the alleged injury to the domestic industry.

B. PROCEDURE

3. The procedure described hereinbelow has been followed with regard to the investigation:
 - i. The Authority notified the embassies of the subject countries in India about the receipt of the present application before proceeding to initiate the investigation in accordance with Rule 5(5) of the Rules.
 - ii. The Authority issued a notification dated 30th September 2024, published in the Part-I Section-I of the Gazette of India, Extraordinary, initiating an investigation concerning the imports of the subject goods from the subject countries.
 - iii. In accordance with Rule 6(2), the Authority sent a copy of the initiation notification to the embassies of the subject countries in India and known producers and exporters from the subject countries.
 - iv. The Authority also provided a copy of the initiation notification to the known importers / users in India who are known to be associated with the subject goods, and requested them to make their views known in writing within the prescribed time limit.
 - v. The Authority also provided a copy of the non-confidential version of the application to the known producers/exporters and to the embassies of the subject countries in India, in accordance with Rule 6(3) of the Rules. A copy of the non-confidential version of the application was circulated to the other interested parties.
 - vi. The embassies of the subject countries in India were also requested to advise the producers / exporters in their country to respond to the questionnaire within the prescribed time limit. A copy of the letter and questionnaire sent to the producers / exporters was also sent to them along with the names and addresses of the known producers/exporters from the subject countries.

- vii. The Authority sent questionnaires to the following known producers/ exporters in the subject countries calling for necessary information in accordance with Rule 6(4) of the Rules.
- Changzhou Xiangtong Chemical Co. Ltd., China PR
 - DuPont (Changshu) Fluoro Technology Co. Ltd., China PR
 - Fuxin Hengtong Fluorine, China PR
 - Juhua Group Corporation, China PR
 - Jiangsu Meilan Chemical Co., Ltd., China PR
 - Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat, Russia
 - Shandong Dongyue Chemical Co., Ltd., China PR
 - Shandong Dongyue Polymer Material Co. Ltd., China PR
 - Sichuan Chenguang Institute of Chemical Industry, China PR
 - Taizhou Meilan Resin Process Co, China PR
 - Zhengxin Fluorocarbons, China PR
 - Halo Polymer, Russia
- viii. In response to the initiation notification of the subject investigation, following producers/exporters from China PR have registered as an interested party and responded by filing questionnaire response:
- Jinhua Yonghe Fluorochemical Co. Ltd.
 - Shandong Dongyue Polymer Material Co., Ltd.
 - Shaowu Yonghe Jintang New Material Co., Ltd.
 - The Chemours (Changshu) Fluoro Technology Company Limited
 - Zhonghao Chenguang Research Institute of Chemical Industry Co., Ltd.
- ix. In response to the initiation notification of the subject investigation, Halo Polymer Group, Russia consisting of Halo Polymer Perm JSC (Producer/Exporter, Russia), Halo Polymer Kirovo- Chepetsk, (Exporter/Trader, Russia), Halo Polymer Trading INC (Exporter/Trader, USA) and Halo Polymer LLC (Exporter/Trader, Russia) have participated in the present investigation and made written submissions but have not submitted their questionnaire responses.
- x. The Authority sent questionnaire to the following known importers / users of the subject goods in India calling for necessary information in accordance with Rule 6(4) of the Rules.
- Goldseal-Saargummi India Pvt. Ltd.
 - J D Jones & Co Pvt Ltd
 - Andrew Telecommunications India Pvt. Ltd.
 - Garlock India Pvt Ltd
 - Heat And Control South Asia Private Limited
 - Luminous Power Technologies Private Limited
 - Insolation Energy Pvt Ltd
 - Waaree Energies Ltd
 - Manek Fluoro Polymers Pvt. Ltd.
 - Araflex Gaskets And Jointings Pvt. Ltd.

- k. Bihar Insulation House
- l. Tritan
- m. Grindwell Norton Ltd.
- n. James Walker Inmarco Industries Pvt Ltd.
- o. Insulation Solutions
- p. Raj Asbestos Co
- q. Keflon Fine Products
- r. Mehar Solar Technology Pvt Ltd.
- s. Microlit
- t. J K Overseas
- u. Srinar Electronics Pvt Ltd.
- v. New Tech Medical Devices
- w. Three G Fluoropolymers Pvt Ltd.
- x. Sanghvi Techno Products
- y. Franke Faber India Pvt Ltd.
- z. Flojet Engineers P Ltd.
- aa. Ankur Traders & Engineers Pvt Ltd.
- bb. Swadeshi Marketing Pvt Ltd.
- cc. Labotech Microscopes India Pvt Ltd.
- dd. Bihar Mica House
- ee. Kottai Shoes
- ff. Enkay Solar Power and Infrastructure Pvt Ltd.
- gg. West Bengal Trading Corporation
- hh. Future Glass Works Pvt Ltd.
- ii. Vimal International
- jj. IndyGreen Tech Pvt Ltd.
- kk. Modern Industrial Equipments Pvt Ltd.
- ll. Kohli Enterprises
- mm. Rayzon Green Energies
- nn. Sri Shyam International
- oo. Labotron Instruments Pvt Ltd.
- pp. Icon Solar En Power Technologies Pvt Ltd.
- qq. Mehar Solar Technology Pvt Ltd.
- rr. Image Labels Pvt Ltd.
- ss. Patanajli Renewable Energy Pvt Ltd.
- tt. Genesis Comtrade Pvt Ltd.
- uu. Pioneer Mill Stores Co.
- vv. Premier Energies Ltd.
- ww. Premier Solar System Pvt Ltd.
- xx. Gupta H C Overseas (I) Pvt Ltd.
- yy. Raipur CG Impex
- zz. Rechts Gasket MFG
- aaa. Rhine Solar Ltd.
- bbb. Pall India Pvt Ltd.
- ccc. Cesare Bonetti India Pvt Ltd.

ddd. Solar Solutions India
eee. HR Solar Solution Pvt Ltd.
fff. Visaka Industries Ltd.
ggg. Deepak Electrical Industries
hhh. Teadit Packing and Gaskets Pvt Ltd.
iii. Jay International
jjj. J Khushaldas & Company (SPD)
kkk. JMD International
lll. RK Exim
mmm. Asian International Co
nnn. Philips India Ltd
ooo. Spectrochem Pvt Ltd.
ppp. RG Techno Industrial
qqq. U W A Enterprises
rrr. Easyflo Polymer Engineers Pvt Ltd.
sss. Rose Trading Co.
ttt. Ferry International
uuu. N M Impex
vvv. Sealmax
www. Milap Traders
xxx. International Tools Company
yyy. Akash Kedia
zzz. Dharm Exim
aaaa. Tani Enterprises
bbbb. Virang Traders
cccc. Shreeji Traders
dddd. Lena Hardwares Pvt Ltd.
eeee. V R Associates

xi. The following importers/users have submitted questionnaire responses to the Authority:

- a. Chemours India Private Limited
- b. Guarniflon India Private Limited
- c. Omega Industries

xii. The Authority issued economic interest questionnaire (EIQ) to all interested parties and the concerned ministry. Response to EIQ was submitted by the following parties:

- a. Gujarat Fluorochemicals Ltd
- b. Shaowu Yonghe Jintang New Material Co., Ltd.
- c. Jinhua Yonghe Fluorochemical Co. Ltd.
- d. Angana International
- e. Omega Industries

xiii. The period of investigation (POI) for the purpose of the present investigation is 1st April 2023 to 31st March 2024 (12 months). The injury investigation period covers the periods 1st

April 2020 – 31st March 2021, 1st April 2021 – 31st March 2022, 1st April 2022 – 31st March 2023 and the POI.

- xiv. The DG System was requested to provide the transaction-wise details of imports of the subject goods for the injury period and the POI. The same was received by the Authority and considered at the stage of initiation of the investigation as well as for the final findings.
- xv. The Authority vide para 6 of the initiation notification dated 30th September 2024 granted an opportunity to the interested parties to present their comments on the scope of the product under consideration (PUC) within 15 days of the initiation. All the submissions made by the interested parties with regard to the scope of the product under consideration or for the construction of product control numbers (PCN) which were received within such time period were considered. The Authority held a discussion on 21st November 2024 with all the interested parties to discuss the product under consideration and the PCNs. After receiving inputs from the interested parties, the Authority vide notification dated 4th December 2024 clarified the scope of the PUC and PCN methodology.
- xvi. Further information was sought from the applicant to the extent deemed necessary. Verification of the data provided by the domestic industry was conducted to the extent considered necessary for the purpose of the present investigation.
- xvii. The Authority made available the non-confidential version of the submissions made by the various interested parties. A list of all the interested parties was uploaded on the DGTR website along with the request therein to all of them to email the non-confidential version of their submissions to all the other interested parties.
- xviii. In accordance with Rule 6(6) of the Rules, the Authority provided an opportunity to the interested parties for presenting their views orally regarding the subject investigation through a public hearing on 19th February 2025. The interested parties who presented their views in the oral hearing were requested to file written submissions of the views expressed orally, followed by rejoinder submissions, if any. The interested parties were further directed to share the non-confidential version of the written submissions with the other interested parties.
- xix. Due to change of the Designated Authority, a fresh oral hearing was held on 2nd July, 2025 wherein all interested parties were provided the opportunity to present their views. The interested parties were requested to submit their written submissions and rejoinder submissions, if any.
- xx. The non-injurious price (hereinafter referred to as the 'NIP') has been determined based on the cost of production and reasonable return on capital employed for the subject goods in India, based on the information furnished by the domestic industry on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and Annexure III to the AD Rules, 1995 so as to ascertain whether anti-dumping duties lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the domestic industry.

- xxi. The Authority has considered all the arguments raised and information provided by all the interested parties at this stage, to the extent the same are supported with evidence and considered relevant to the present investigation.
- xxii. Wherever an interested party has refused access to, or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has considered such parties as non-cooperative and recorded the final findings on the basis of the facts available.
- xxiii. In accordance with Rule 16 of Rules *Supra*, the essential facts of the investigation were disclosed to the known interested parties vide disclosure statement dated 25th August, 2025 and comments received thereon, considered relevant by the Authority, have been addressed in these final findings.
- xxiv. ‘***’ in these final findings represent information furnished by an interested party on confidential basis and so considered by the Authority under Rule 7 of AD Rules, 1995.
- xxv. The exchange rate adopted by the Authority for the subject investigation is 1 US\$ = Rs. 83.69.

C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION

4. The product under consideration (hereinafter also referred to as the “PUC”) as defined at the stage of initiation was as follows:

“3. The product under consideration in the present application is Polytetrafluoroethylene (PTFE). The PUC is primarily used in the electronic, mechanical, and chemical industries for its unique characteristics such as chemical inertness, electrical and thermal insulation, low coefficient of friction, nontoxic, non-flammable, resistance to radiation, low level of static and dynamic friction, and outstanding electrical properties over a wide frequency range.

4. The product under consideration is classified under Chapter 39 of the Customs Tariff Act under the sub-heading 39046100. The customs classification is indicative only and not binding on the scope of the product under consideration.

5. The applicant has proposed the following product control numbers (PCNs), in the application filed:

<i>S.No.</i>	<i>Parameter</i>	<i>Base</i>	<i>Full Name</i>
vi.	<i>A-PTFE</i>	<i>A-PTFE</i>	<i>Aqueous Dispersion PTFE</i>
vii.	<i>C-PTFE</i>	<i>C-PTFE</i>	<i>Filled Compound PTFE</i>

viii.	<i>D-PTFE</i>	<i>D-PTFE</i>	<i>Fine Powder PTFE</i>
ix.	<i>PTFE</i>	<i>PTFE</i>	<i>Granular PTFE (Suspension Grade)</i>
x.	<i>PT-PTFE</i>	<i>PT-PTFE</i>	<i>Granular Modified PTFE (Molding Grade/ Low Flow Virgin Grade/ Free Flow Virgin Grade)”</i>

C.1. Submissions by other interested parties

5. The other interested parties have made the following submissions with respect to the scope of the product under consideration and like article:
 - i. A-PTFE should be excluded since the applicant's product does not match the standard of imported goods and has higher consumption norms than the imported goods, making it costlier and unsusceptible to sustain temperature variations.
 - ii. The applicant does not produce C-PTFE but only has the capability to manufacture it and further does not have the requisite machinery to product PEEK PTFE, Stainless Steel PTFE, Polyamide PTFE, Filled Alumina (Al₂O₃) PTFE, Calcium Fluoride PTFE, Filled Polymer in PTFE, Mica in PTFE, Boron Nitrate filled PTFE and Cobalt aluminate filled PTFE, and therefore, these grades should be excluded from scope of PUC.
 - iii. D-PTFE produced by the applicant does not have the requisite technical and quality standards required by processors and the imported D-PTFE is superior, therefore the same should be excluded.
 - iv. The applicant does not produce filled grade RAM extrusion grade (moulding grade) /pre-sintered powder. It only produces Granular Modified PTFE (which includes Molding Grade/Low Virgin Grade/Free Flow Virgin Grade). No producer or processor in India has the technology to produce pre-sintered filled grades and free flow grades, which should be excluded and a list of the grades is given below:
 - Pre sinter & Free Flow carbon filled PTFE
 - Pre sinter & Free Flow glass filled PTFE
 - Pre sinter & Free Flow bronze filled PTFE
 - Pre sinter & Free Flow graphite filled PTFE
 - Pre sinter & Free Flow stainless steel filled PTFE
 - Pre sinter & Free Flow Mos₂ filled PTFE
 - Pre sinter & Free Flow Polyamide PTFE
 - Pre sinter & Free Flow Aluminum oxide
 - Pre sinter & Free Flow PEEK PTFE
 - Pre sinter & Free Flow Calcium Fluoride (CaF₂) PTFE.
 - Pre sinter & Free Flow Filled Polymer in PTFE
 - Pre sinter & Free Flow Mica in PTFE

- Pre sinter & Free Flow Borum nitrate filled PTFE
 - Pre sinter & Free Flow Cobalt aluminate filled PTFE
- v. The applicant does not produce all grades of the PUC as mentioned in the notice of initiation.
- vi. The applicant does not sell any like article to Fine Powder (D-PTFE) Resin Grade 640C. Applicant's grade INOFLON GN7500 differs in technical, physical, and end-use aspects.
- vii. GN7500 and Fine Powder (D-PTFE) Resin Grade 640C cannot be used interchangeably as reduction ratio of the two differs, with the latter having a higher ratio.
- viii. As per market intelligence, the applicant's product hasn't been approved for small tube application for two-wheeler brake hoses which require high reduction ratio, which Chemours group caters to. Thus, they are not technically and commercially substitutable.

C.2. Submissions by the domestic industry

6. The domestic industry has made the following submissions with regard to the scope of the product under consideration and like article:
- i. The applicant produces all grades of the product under consideration, as mentioned in the initiation notification.
 - ii. D-PTFE produced by the domestic industry adheres to quality and technical characteristics required by the customers.
 - iii. GN7500, which is the applicant's product, matches the specifications of Fine Powder D-PTFE Resin Grade 640C in respect of the properties.
 - iv. GN7500 is specifically designed for high reduction ratio applications, supporting reduction ratios up to 4000:1, which aligns with the industry requirements for tubing and hose processing.
 - v. A-PTFE produced by the domestic industry meets quality standards, as is evidenced by the FDA compliance certificate that has been submitted.
 - vi. The stated types of C-PTFE have seen no imports from the subject countries. Notwithstanding the same, the applicant has submitted that the C-PTFE filled grades have been sold by the domestic industry during the POI as can also be verified from the information submitted by the applicant.
 - vii. The applicant manufactures a range of standard filled PTFE grades including glass-filled PTFE, carbon-filled PTFE, bronze-filled PTFE, MoS₂-filled PTFE, and various other filler combinations.
 - viii. Filled grades of C-PTFE as mentioned by the interested parties can be manufactured by the applicant. The demand for these products has been quite low, and these grades are highly customised products which are produced against orders.
 - ix. Customers have not raised any requirements for filled grades of C-PTFE and should the requirement arise, the applicant is equipped to provide the same.
 - x. D-PTFE produced by the applicant adheres to quality and technical standards and high reduction ratio is achieved by the domestic industry. The applicant's product of GN7300

achieves the reduction ratio of 2500:1, and the same is also exported and is well accepted by both domestic and global customers.

- xi. The grade of the applicant that can be compared with pre-sintered PTFE is INOFLON 510, which is part of PT-PTFE and is used for RAM extrusion applications.
- xii. The absence of imports of a particular product type cannot be grounds to exclude the said product type, as was held by the Authority in the final findings of Isobutylene-Isoprene Rubber (IIR).

C.3. Examination by the Authority

- 7. The product under consideration in the present investigation is “Polytetrafluoroethylene” (also referred to as “PTFE”). PTFE resin is produced in various grades, such as molding grade, fine powder, aqueous dispersion, compound grades, or filled grades.
- 8. PTFE is primarily used in electrical, electronic, mechanical, and chemical industries for its unique characteristics which are chemical inertness, electrical and thermal insulation, low coefficient of friction, nontoxic, non-flammable, resistance to radiation, low level of static and dynamic friction, and outstanding electrical properties over a wide frequency range.
- 9. The product is classified under customs tariff sub-heading 3904 6100 of the Customs Tariff Act. This classification is, however, indicative only and in no way binding on the scope of the product under consideration.
- 10. The Authority considers as follows with regard to issues/exclusion requests raised by the interested parties:
 - a. A-PTFE: As regards the contention of the other interested parties that A-PTFE must be excluded since the applicant’s product does not match quality standards, sustain temperature variations, and is costlier, the Authority notes that the applicant supplies A-PTFE to customers as is evidenced by production & sales volumes and the invoices placed on record. The domestic industry produced *** MT of A-PTFE during the POI, and the same constituted ***% of its total production. It is seen that imports of A-PTFE were quite low till 2022-23 and increased sharply in the POI. Consequently, the sales of the domestic industry declined significantly in the POI. Further, it is noted that the domestic industry possesses the FDA compliance certificate for A-PTFE. The Authority also notes that the TDS of the applicant for A-PTFE indicates the specifications such as the service temperature range, showing that the product can sustain temperature variations. Therefore, the Authority disagrees with the exclusion sought for this product type.
 - b. C-PTFE: With respect to the submissions alleging that the domestic industry does not produce C-PTFE, the Authority notes that the information provided by the Applicant on record shows that the Applicant has produced and sold C-PTFE throughout the injury period. As regards the argument on PEEK PTFE, Stainless Steel PTFE, Polyamide PTFE, Filled Alumina (Al2O3) PTFE, Calcium Fluoride

PTFE, Filled Polymer in PTFE, Mica in PTFE, Borum Nitrate filled PTFE and Cobalt aluminate filled PTFE filled grade is concerned, the Authority notes that these are different types of filled C-PTFE. Applicant produces a variety of standard-filled C-PTFE grades. However, the demand for these grades is quite low, which is further evidenced by the fact that there are insignificant imports of these grades. Further, the domestic industry produces a comparative volume to the imports of C-PTFE. The Authority verified the production process, and manufacturing facilities at the time of on-the-spot verification. The Authority also notes that owing to very limited demand for these products, these grades are produced against specific orders. The applicant has submitted a declaration that it can produce the filled grade C-PTFE and has all necessary production facility for that. Thus, in light of these submissions, the Authority holds that all filled C-PTFE grades are included within the scope of the product under consideration.

- c. RAM extrusion grade/pre-sintered PTFE powder: With regard to the submission of the other interested parties that the Applicant does not produce filled RAM extrusion grade/pre-sintered PTFE powder, specifically Pre sinter glass filled PTFE, Pre sinter bronze filled PTFE, Pre sinter graphite filled PTFE, Pre sinter stainless steel filled PTFE, Pre sinter Mos2 filled PTFE, Pre sinter Polyamide PTFE, Pre sinter Aluminum oxide, Pre sinter PEEK PTFE, Pre sinter Calcium Fluoride (CaF₂) PTFE, Pre sinter Filled Polymer in PTFE, Pre sinter Mica in PTFE, Pre sinter Borum nitrate filled PTFE, Pre sinter Cobalt aluminate filled PTFE, Free Flow carbon filled PTFE, Free Flow glass filled PTFE, Free Flow bronze filled PTFE, Free Flow graphite filled PTFE, Free Flow stainless steel filled PTFE, Free Flow Mos2 filled PTFE, Free Flow Polyamide PTFE, Free Flow Aluminum oxide, Free Flow PEEK PTFE, Free Flow Calcium Fluoride (CaF₂) PTFE, Free Flow Filled Polymer in PTFE, Free Flow Mica in PTFE, Free Flow Borum nitrate filled PTFE, Free Flow Cobalt aluminate filled PTFE, it is noted that these grades are also not imported from the subject countries. None of the interested parties have shown any import of the product during the period. Further, the applicant has submitted and placed on record evidence showing that its product "INOFLOX 510" is equivalent to pre-sintered PTFE and is being used for RAM extrusion applications. It has been submitted by the applicant that RAM extrusion grade/pre-sintered PTFE powder carry essentially the same product characterises as PTFE. Minor variations in the product properties does not render them different article. These products continue to be like article to the product under consideration. It has been submitted by the applicant that there is no additional manufacturing facility or technology or production skill required to produce pre-sintered filled grades. Thus, in light of these submissions, the Authority holds that all filled pre-sintered filled grades are included within the scope of the product under consideration.
- d. D-PTFE: The interested parties have argued that D-PTFE produced by the applicant is different from the imported product based on technical parameters. In this regard, the applicant has submitted that its product meets the same quality and technical standards as alleged by the interested party. It is seen that whereas gross

imports of D-PTFE from China during injury period were around 2000 MT, the domestic industry produced *** MT of D-PTFE over the injury period. The applicant provided evidence of sales of D-PTFE to its customers, and it is seen from the TDS of the applicant's product, INOFLON GN7300 that the reduction ratio of 2500:1 is achieved. It is noted that the applicant's product is sold both domestically and globally. Hence, the Authority disagrees with the requested exclusion. The Authority, upon verification, is satisfied that the Applicant's product meets the requirements and parameters that the imported goods do and hence disagrees with the requested exclusion.

- e. Fine Powder D-PTFE Resin Grade 640C and its application in two-wheeler brake hose: It has been submitted by the other interested parties that the applicant does not sell a like article to Fine Powder D-PTFE Resin Grade 640C. The applicant has submitted that its grade INOFLON GN7500 is the equivalent grade to 640C. The applicant has also provided a comparison of the typical properties of both the GN7500 as well as the 640C. The Authority has noted that the two grades are comparable on the basis of technical properties.

11. In view of the above, the Authority holds the product under consideration and product control numbers (PCNs) as below:

"3. The product under consideration in the present application is Polytetrafluoroethylene (PTFE). The PUC is primarily used in the electronic, mechanical, and chemical industries for its unique characteristics such as chemical inertness, electrical and thermal insulation, low coefficient of friction, nontoxic, non-flammable, resistance to radiation, low level of static and dynamic friction, and outstanding electrical properties over a wide frequency range.

4. The product under consideration is classified under Chapter 39 of the Customs Tariff Act under the sub-heading 39046100. The customs classification is indicative only and not binding on the scope of the product under consideration.

5. The applicant has proposed the following product control numbers (PCNs), in the application filed:

S. No.	Parameter	Base	Full Name
i.	A-PTFE	A-PTFE	Aqueous Dispersion PTFE
ii.	C-PTFE	C-PTFE	Filled Compound PTFE
iii.	D-PTFE	D-PTFE	Fine Powder PTFE
iv.	PTFE	PTFE	Granular PTFE (Suspension Grade)
v.	PT-PTFE	PT-PTFE	Granular Modified PTFE (Molding Grade/ Low Flow Virgin Grade/ Free Flow Virgin Grade)"

12. The Authority notes that the product produced by the applicant and the product under consideration imported from the subject countries is comparable in terms of physical and chemical characteristics, functions and uses, product specifications, pricing, distribution and marketing, and tariff classification of the goods. The Authority holds that the subject goods produced by the applicant is like article to the product under consideration imported from the subject countries within the scope and meaning of Rule 2(d) of the Anti-dumping Rules.

D. SCOPE OF THE DOMESTIC INDUSTRY & STANDING

D.1. Submissions by other interested parties

13. No submissions have been made by other interested parties with regard to the scope of the domestic industry and its standing.

D.2. Submissions by domestic industry

14. The applicant has made the following submissions with regard to the scope of the domestic industry and its standing:
- i. The application has been filed by M/s Gujarat Fluorochemicals Ltd.
 - ii. The applicant is the sole producer involved in the manufacturing of the PUC in POI. The applicant has neither imported nor is related to any importer or exporter of the subject goods.
 - iii. The only other known producer, Hindustan Fluorocarbons Ltd., has had no production in the last two years of the injury period, as is seen from their annual report.
 - iv. SRF Ltd. has set up capacities for the production of the product under consideration and will start producing commercially, and has supported the application.
 - v. The production by the applicant constitutes a 'major proportion' of the total Indian production and satisfies the requirements of Rule 2(b) and Rule 5(3) of the AD Rules.

D.3. Examination by the Authority

15. Rule 2(b) of the AD Rules defines the domestic industry as under:

"(b) "domestic industry " means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term 'domestic industry ' must be construed as referring to the rest of the producers"

16. The present application has been filed by M/s Gujarat Fluorochemicals Ltd. The applicant is the only functioning producer of subject goods in the POI in the country. Hindustan Fluorocarbon Ltd. was earlier producing subject goods. The applicant has submitted the annual report of Hindustan Fluorocarbon Ltd. as proof that no production took place during the POI. There are no other

domestic producers of subject goods in the period of investigation. The Authority notes that there is a new producer, SRF Ltd., that has set up capacities of *** MT to produce the subject goods. The company began commercial production in October 2023, as is seen from the support letter submitted by SRF Ltd.

17. The applicant has not imported the subject goods and are not related to either an importer or exporter of subject goods from the subject countries. Information on record shows that the applicant accounts for 100% of the Indian production in the POI. Therefore, the Authority holds the applicant as the eligible domestic industry in terms of Rule 2(b) of the AD Rules and the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5(3) of the Rules.

E. CONFIDENTIALITY

E.1. Submissions by other interested parties

18. The following submissions have been made by other interested parties with respect to confidentiality:
- i. The domestic industry has claimed excessive confidentiality, violating Rule 7 of the AD Rules and Trade Notices 1/2013 dated 9th December, 2013 and 10/2018 dated 7th September, 2018. The application is not fully compliant with the trade notice since it does not provide any information or justification for non-disclosure of write up on broad stagewise manufacturing process and names of major raw materials used in PUC production.
 - ii. Key data points such as volume and value of production of other producers, normal value of Russia, cost of sales per unit for export data, NIP calculation, injury margin have not been disclosed and non-disclosure has not been justified.
 - iii. Price undercutting has not been provided by the domestic industry.

E.2. Submissions by domestic industry

19. The following submissions have been made by the domestic industry with respect to confidentiality:
- i. The disclosure of actual information for the parameters listed out by the other interested parties will lead to confidential data of the sole domestic producer in the instant investigation being disclosed.
 - ii. Price undercutting does not form part of the mandatory prescribed information and is not mentioned in trade notice No. 10/2018.
 - iii. Responding exporters have claimed excessive confidentiality in the public version of their responses, with information such as details of name of shareholders, details of company, and the affiliated companies, shareholding percentage, details of company, affiliated companies as well as activities of the related companies as confidential.
 - iv. Sample domestic and export sales documents have not been disclosed. While documents itself may be confidential, the list of documents submitted has not been disclosed.

E.3. Examination by the Authority

20. The Authority made available the non-confidential version of the information provided by the various parties to all the other interested parties as per Rule 6(7).

21. With regard to confidentiality of the information, Rule 7 of the Rules provides as follows:

“7. Confidential Information:

(1) Notwithstanding anything contained in sub-rules (2), (3) and (7) of rule 6, sub-rule (2) of rule 12, sub-rule (4) of rule 15 and sub-rule (4) of rule 17, the copies of applications received under sub -rule (1) of rule 5, or any other information provided to the designated authority on a confidential basis by any party in the course of investigation, shall, upon the designated authority being satisfied as to its confidentiality, be treated as such by it and no such information shall be disclosed to any other party without specific authorization of the party providing such information.

(2) The designated authority may require the interested parties providing information on confidential basis to furnish nonconfidential summary thereof and if, in the opinion of a party providing such information, such information is not susceptible of summary, such party may submit to the designated authority a statement of reasons why summarisation is not possible.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the designated authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in a generalized or summary form, it may disregard such information.”

22. The Authority allows, wherever claimed, confidentiality claims of domestic industry on information such as selling price, cost of production, profit, cash profit, return on investment, customers' name, sale/purchase invoice, and documents/information in support of these information or leading to this information. Further, the Authority allows, wherever claimed, confidentiality claims of exporters/other interested parties on information such as various performance indicators, sales volumes & values, price adjustments and various information & documents provided in support of the same or leading to the same. The Authority considers that this information is confidential by nature and disclosure of these information and document on actual basis can cause significant adverse effect on the party concerned and can give undue competitive advantage to competitors and parties with opposing interests.

23. The information provided by the interested parties on a confidential basis was examined with regards to sufficiency of such claims. On being satisfied, the Authority accepts the confidentiality claims wherever warranted, and such information has been considered confidential and not disclosed to the other interested parties. Wherever possible, the parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on a confidential basis. The Authority also notes that all interested parties have claimed their business-related sensitive information as confidential and the same is considered appropriate.

F. MISCELLANEOUS ISSUES

F.1. Submissions by other interested parties

24. The following submissions have been made by the other interested parties:

- i. The recommendations to impose duties in 2022 were rejected by the Ministry of Finance, which was challenged by the domestic industry in the Delhi High Court. The domestic industry wilfully concealed this information while filing the application, which if disclosed would have led to investigation being not initiated. The domestic industry is engaging in forum shopping.
- ii. If the High Court decides in favour of the domestic industry and if the present investigation results in imposition of duties, this will lead to double remedies. The present investigation would undermine the interim order of the Delhi High Court.
- iii. The Ministry of Finance rejected imposition of last anti-dumping duties for five years, and thus the next request should only arise after five years.
- iv. The domestic industry has been privy to a history of measures and has had long protection afforded to it, which has created a monopoly and supernatural profits. It also enjoys protection on multiple products apart from PTFE such as FKM, Methylene Di Chloride, and Caustic Soda through various anti-dumping measures, allowing the domestic industry to maintain a dominant and near monopolistic position in the domestic market.

F.2. Submissions by domestic industry

25. The following submissions have been made by the domestic industry:

- i. Current investigation is a fresh investigation, and any measures imposed would be on the basis of complete and thorough investigation.
- ii. While duties were in place for a long time, they were not entirely effective for the entire period as the dumped subject imports maintained a significant presence in the market, thereby undermining the remedial effect of such measures.
- iii. The domestic industry has not created a monopoly or earned abnormal profits. On the contrary, the domestic industry has had a loss of profits in the POI, since cessation of previously existing duties.
- iv. The prices of the domestic industry have been lower than both the EU and the USA throughout the injury period, evidencing that the domestic industry has been constantly competitive and has never increased its prices abnormally. The domestic industry, therefore, has never shown any monopolistic tendencies.
- v. The domestic industry has withdrawn its rights relating to W.P.(C) 10641/2022, arising out of CESTAT orders, which was also disposed of by the Delhi High Court vide order dated 13th February 2025.
- vi. The domestic industry had filed W.P.(C) No. 13928/2022 challenging the Office Memorandum of the Ministry of Finance, dated 18th July 2022, which refused to accept the Authority's recommendation to impose anti-dumping measures. The Court has disposed of this matter vide order dated 12th March 2025.
- vii. The domestic industry did not engage in or intend to engage in forum shopping and was only trying to protect itself from unfair imports. Both petitions have been disposed of by the Court.
- viii. There is no legal basis for the claim that simply because the Ministry of Finance did not accept the Authority's recommendations, there should be no duty for the next five years.

F.3. Examination by the Authority

26. The other interested parties contended that the domestic industry has not informed the Authority regarding ongoing petitions before the High Court. It has further been contended that had such information been disclosed, the investigation would not have been initiated. The domestic industry has submitted that it has withdrawn its rights in these proceedings and both petitions have been disposed of. Further, it is noted that the petitions before the High Court have been disposed of, indicating that the domestic industry is not availing any other remedy from any other forum.
27. Further, as regards the contention that the next request for anti-dumping measures should arise only after five years due to rejection of the previous recommendations by the Ministry of Finance, the Authority finds no legal basis for the claim. There is no legal provision that places any bar on domestic industry for seeking ADD simply because a previous recommendation was rejected by the Ministry of Finance. The initiation of the present investigation has been undertaken after Authority's *prima facie* satisfaction with the facts of the case, which pertain to a POI distinct from that of the earlier case.

G. MARKET ECONOMY TREATMENT, DETERMINATION OF NORMAL VALUE, EXPORT PRICE, AND DUMPING MARGIN

G.1. Submissions made by other interested parties

28. The following submissions have been made by the other interested parties with regards to the normal value, export price, and dumping margin:
- i. Market economy status should be granted to China PR based on the development of the market economy of China. Article 15(a)(ii) of China's Accession Protocol expired on December 11, 2016.
 - ii. After 11th December 2016, anti-dumping regulations cannot contain any provisions allowing for the establishment of the normal value for the Chinese exporting producers on a basis other than their domestic prices and costs.
 - iii. India has no legal basis under the WTO Agreement to calculate normal value in anti-dumping investigation for products from China PR using the non-market economy methodology. Any such action by India would be inconsistent with the requirements of the Agreement on Implementation of Article VI of the GATT.
 - iv. The surrogate country methodology is no longer applicable in calculating normal value, regardless of whether China PR is treated as a market economy due to the principle of *pacta sunt servanda*, Section 15 of China's Accession Protocol to WTO and Appellate Body Report on EC- Fasteners initiated by China PR.
 - v. China PR should not be treated as a non-market economy as per China's accession protocol to WTO, the same was also confirmed by the WTO Appellate Body in "EC-Fasteners". US and EU in their respective bilateral agreement with China PR had also noted about the expiry of non-market economy status after 15 years after China enters WTO.
 - vi. China's normal value calculation is incorrect due to comparison with the price of the EU, as is noted in the initiation notice. The normal value is highly exaggerated.

- vii. Dumping margin of 40-70% claimed by the applicant is exaggerated due to using a high normal value based on cost of the applicant which is devoid of adjustments to remove excessive costs. The Authority may use only normalised cost for construction of normal value for Russia.

G.2. Submissions made by the domestic industry

29. The submissions of the domestic industry with regards to the normal value, the export price, and the dumping margin are as follows:
- i. China should be considered a non-market economy country and normal value in case of the producers/exporters from China PR should be determined in accordance with Para 7 read with Para 8(2) and 8(3) of Annexure I of the AD Rules. In terms of Para 8 in Annexure I to the AD Rules, it is presumed that the producers of the subject goods in China PR are operating under non-market economy conditions. Therefore, normal value of the subject goods in China PR has been estimated in terms of Para 7 of Annexure I to the AD Rules.
 - ii. Article 15(d) of the Protocol, the provision of 15(a)(ii) has expired in December 2016 i.e., 15 years after China PR's accession to the WTO. However, Article 15(a)(i), which provides for presumption of non-market economy for China PR, is still in force. Hence, a valid presumption exists that China PR is a non-market economy country for anti-dumping investigations.
 - iii. The Authority should follow Para 1-6 of Annexure I for the determination of normal value only if the responding Chinese companies establish that their costs and price information is such that individual normal value and dumping margin can be determined. If the responding Chinese companies are not able to demonstrate that their costs and price information can be adopted, the Authority should reject the claim of individual dumping margins.
 - iv. Paragraph 1 to 6 of Annexure I of the Rules does not apply for computation of normal value for imports from China PR, unless a producer/exporter shows with sufficient evidence that he is operating under market economy conditions. As a result, normal value for China PR has to be determined in terms of Para 7 of Annexure I of the Rules.
 - v. The domestic industry has considered imports into India from the EU for determination of normal value in respect of China PR.
 - vi. The domestic industry was not able to gather information on the prices of the subject goods in the domestic markets of Russia. The domestic industry hence has determined normal value for Russia considering the cost of production in India, after due additions for selling, general, and administrative expenses and reasonable profits.

G.3. Examination by the Authority

30. Under Section 9A(1)(c) of the Act, normal value in relation to an article means:

- i. *the comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article when meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or*

ii. *when there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either-*

(a) comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory or an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or

(b) the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6):

Provided that in the case of import of the article from a country other than the country of origin and where the article has been merely transhipped through the country of export or such article is not produced in the country of export or there is no comparable price in the country of export, the normal value shall be determined with reference to its price in the country of origin.

31. The Authority sent questionnaires to the known producers/exporters from the subject countries, as well as to the embassies of the subject countries in India advising them to provide information in the form and manner prescribed by the Authority within the prescribed time limit. The Authority received questionnaire responses from the following exporters/producers:

- a. Jinhua Yonghe Fluorochemical Co. Ltd.
- b. Shandong Dongyue Polymer Material Co., Ltd.
- c. Shaowu Yonghe Jintang New Material Co. Ltd.
- d. The Chemours (Changshu) Fluoro Technology Company Limited
- e. Zhonghao Chenguang Research Institute of Chemical Industry Co., Ltd.

32. The normal value and export price for all producers/exporters from the subject countries are determined as below.

Market Economy Status for Chinese Producers

33. Article 15 of China's Accession Protocol in WTO provides as follows:

"Article VI of the GATT 1994, the Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 ("Anti-Dumping Agreement") and the SCM Agreement shall apply in proceedings involving imports of Chinese origin into a WTO Member consistent with the following:

(a) In determining price comparability under Article VI of the GATT 1994 and the Anti-Dumping Agreement, the importing WTO Member shall use either Chinese prices or costs for the industry under investigation or a methodology, that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China based on the following rules:

- i) *If the producers under investigation can clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to the manufacture, production and sale of that product, the importing WTO Member shall use Chinese prices or costs for the industry under investigation in determining price comparability;*
- ii) *The importing WTO Member may use a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China if the producers under investigation cannot clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to manufacture, production and sale of that product.*
- (b) *In proceedings under Parts II, III and V of the SCM Agreement, when addressing subsidies described in Articles 14(a), 14(b), 14(c) and 14(d), relevant provisions of the SCM Agreement shall apply; however, if there are special difficulties in that application, the importing WTO Member may then use methodologies for identifying and measuring the subsidy benefit which take into account the possibility that prevailing terms and conditions in China may not always be available as appropriate benchmarks. In applying such methodologies, where practicable, the importing WTO Member should adjust such prevailing terms and conditions before considering the use of terms and conditions prevailing outside China.*
- (c) *The importing WTO Member shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (a) to the Committee on Anti-Dumping Practices and shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (b) to the Committee on Subsidies and Countervailing Measures.*
- (d) *Once China has established, under the national law of the importing WTO Member, that it is a market economy, the provisions of subparagraph (a) shall be terminated provided that the importing Member's national law contains market economy criteria as of the date of accession. In any event, the provisions of subparagraph (a)(ii) shall expire 15 years after the date of accession. In addition, should China establish, pursuant to the national law of the importing WTO Member, that market economy conditions prevail in a particular industry or sector, the nonmarket economy provisions of subparagraph (a) shall no longer apply to that industry or sector.”*

34. It is noted that while the provision contained in Section 15(a)(ii) has expired on 11.12.2016, the provisions under Article 2.2.1.1 of WTO Anti-dumping Agreement read with obligation under Section 15(a)(i) of the Accession Protocol require criterion stipulated in paragraph 8 of Annexure I of the Rules to be satisfied through the information/data to be provided in the supplementary questionnaire on claiming market economy treatment.

35. None of the responding producers have submitted supplementary questionnaire. Accordingly, the normal value and export price for all the producers/exporters from China PR are determined as below.

China PR

a. Determination of normal value for China PR

36. Para 7 of Annexure I of the Rules lays down a hierarchy for the determination of normal value and provides that the normal value shall be determined on the basis of the price or constructed value in

a market economy third country or the price from such a third country to other countries, including India or where it is not possible, on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted, if necessary, to include a reasonable profit margin. Thus, the Authority notes that the normal value is required to be determined having regard to the various sequential alternatives provided under para 7. There is no evidence of price or constructed value prevailing in a market economy third country brought forward by any interested party.

37. The domestic industry in its application claimed normal value on the basis of import price into India from the EU. The Authority, after analysing the import data, has noted even though the product has a dedicated classification, there are other kinds of PTFE, which are beyond the scope of the product under consideration which falls under the same customs classification. Further, different types of products are sold at significantly different prices and the Authority has devised a PCN for ensuring fair comparison. It is therefore not possible to use customs data for the HS classification meant for the product in order to determine the price and normal value of the product.
38. In the absence of sufficient information on record regarding the other methods enshrined in Para 7 of Annexure I of the Rules, the Authority has determined the normal value by considering the method on “any other reasonable basis”. Therefore, the Authority has determined the normal value for the subject imports in China based on cost of production of the domestic industry, after due adjustments, and with reasonable addition for selling, general and administrative expenses, and profits. The normal value so determined is given in the dumping margin table.

b. Determination of export price

i. Shaowu Yonghe Jintang New Material Co., Ltd. And Jinhua Yonghe Fluorine Chemical Co. Ltd

39. Shaowu Yonghe Jintang New Material Co., Ltd. (“Shaowu”) is a producer of subject goods in China PR. Shaowu has exported the subject goods to unrelated customers in India directly. Jinhua Yonghe Fluorochemical Co., Ltd (“Jinhua”) is a trading company related to Shaowu who has exported the subject goods to India during the POI. Shaowu and Jinhua have provided relevant PCN wise information in the prescribed exporter questionnaire format.
40. It is noted that Jinhua has exported the subject goods produced by other unrelated producers to India. Jinhua has not exported the subject goods produced by Shaowu to India during the POI. The producers from whom Jinhua have purchased the subject goods for exports to India have not cooperated with the Authority and therefore, Authority has not considered the information provided by Jinhua for determination of net export price and landed value.
41. It is noted that Shaowu has produced and exported *** MT of subject goods to unrelated customers in India directly. Shaowu has claimed adjustments on account of ocean freight, insurance, inland transportation, port and other related expenses, credit cost and bank charges

which have been allowed by the Authority after desk verification. The weighted average ex-factory export price as determined for Shaowu is given in the dumping margin table.

ii. Shandong Dongyue Polymer Material Co., Ltd.

42. Shandong Dongyue Polymer Material Co., Ltd., is other limited liability company, which has been established on November 30, 2001 under the Company Law of PRC. During the POI, Shandong Dongyue Polymer Material Co., Ltd., has sold *** MT of subject goods directly to unrelated buyers in India. The producer/exporter have claimed adjustments on accounts of ocean freight, insurance, inland transportation, port and other related expenses, bank charges and credit cost to arrive at PCN-wise export price at ex-factory level which has been accepted after desk verification by the Authority. The weighted average net export price so determined is shown in the dumping margin table.

iii. Zhonghao Chenguang Research Institute of Chemical Industry Co., Ltd.

43. Zhonghao Chenguang Research Institute of Chemical Industry Co., Ltd., is a limited liability company established under Company Law of People's Republic of China. During the POI, Zhonghao Chenguang Research Institute of Chemical Industry Co., Ltd., has sold *** MT of subject goods directly to unrelated buyers in India. The producer/exporter have claimed adjustments on accounts of ocean freight, insurance, inland transportation, port and other related expenses and bank charges to arrive at PCN-wise export price at ex-factory level which have been allowed by the Authority after desk verification. The weighted average ex-factory export price as determined for Zhonghao Chenguang Research Institute of Chemical Industry Co., Ltd is given in the dumping margin table.

iv. The Chemours (Changshu) Fluoro Technology Company Limited

44. The Authority notes that Chemours (Changshu) Fluoro Technology Company Limited ("Chemours Changshu") is a producer of PUC in China PR and has exported *** MT of PUC in the POI directly to India either to its related importer Chemours India Private Limited ("**Chemours India**") or independent customers/importers in India. Both Chemours Changshu and Chemours India have filed their exporter and related importer questionnaire responses. Out of *** MT, Chemours Changshu has sold *** MT to Chemours India that has further resold the PUC to end customers in India. The Authority notes that the resales by Chemours India to end customers are at a profit. The Authority has considered the data filed by Chemours Changshu for calculating the net export price.
45. The adjustments claimed on account of ocean freight, ocean insurance, port charges, inland transportation cost and credit cost have been allowed by the Authority after desk verification. Accordingly, the net export price for Chemours Changshu has been determined based on the PCN wise data, and thereafter weighted average net export price to India has been determined, and the same is mentioned in the dumping margin table.

Russia

- i. Halo Polymer Perm JSC (Producer/Exporter, Russia)
- ii. Halo Polymer Kirovo-Chepetsk (Exporter, Russia)
- iii. Halo Polymer Trading INC (Exporter/Trader, USA)
- iv. Halo Polymer LLC (Exporter/Trader, Russia)

a. Determination of Normal Value

46. The Authority notes that while the Halo Polymer group has registered as an interested party in the present investigation and has filed legal submissions, they have not filed the exporter questionnaire responses on behalf of any of the companies in its group. The Authority has determined normal value at ex-factory level on the basis of the cost of production in India, after due additions for selling, general, and administrative expenses and reasonable profits.

b. Determination of Export Price

47. In the absence of the submission of the relevant information in the form and manner prescribed of the exporter questionnaire response, the Authority has determined the net export price based on the transaction wise DG System import data after making appropriate adjustments on account of ocean freight, insurance, commission, port expenses, and inland freight charges to arrive at net export price at ex-factory level. Accordingly, the net export price at ex-factory level of exports from Russia has been determined and mentioned in the dumping margin table.

Determination of Normal Value for all non-cooperative producers from China PR and Russia

48. Normal Value for non-cooperative producers/exporters from China and Russia has been determined on the basis of facts available in terms of Rule 6(8) of the Rules. The normal value so determined is mentioned in the dumping margin table.

Determination of Export Price for all the non-cooperative producers from China PR and Russia

49. The Export Price for other non-cooperative producers/exporters from China and Russia has been determined on the basis of facts available in terms of Rule 6(8) of the Rules. The export price so determined is mentioned in the dumping margin table.

Dumping Margin

50. Considering the normal values and export prices determined as above, it is noted that the dumping margin is more than the de-minimis limit prescribed under the Rules. The dumping margin has been determined after considering normal value and export price for each PCN from the producers/exporters from subject countries. The weighted average dumping margin so determined for producers and exporters from subject countries is indicated in table below:

DUMPING MARGIN TABLE

S. No.	Country	Name of Producer	Net Export Price (US\$/MT)	CNV (US\$/MT)	DM Amount (US\$/MT)	DM (%)	DM Range
1.	China PR	Shandong Dongyue Polymer Material Co., Ltd.	***	***	***	***	50-60
2.		Shaowu Yonghe Jintang New Material Co., Ltd.	***	***	***	***	110-120
3.		The Chemours (Changshu) Fluoro Technology Company Limited	***	***	***	***	Negative
4.		Zhonghao Chenguang Research Institute of Chemical Industry Co., Ltd.	***	***	***	***	Negative
5.		Any other producer from China PR	***	***	***	***	150-160
6.	Russia	All producers	***	***	***	***	85-95

H. EXAMINATION OF INJURY AND CAUSAL LINK**H.1. Submissions made by other interested parties**

51. The following submissions were made by the other interested parties with regard to injury and causal link:

- i. The decline in sales was more than the decline of total demand in the POI.
- ii. In 2022-23, imports increased by 40% whereas in POI it only increased by 28%.
- iii. The domestic industry has failed to show significant price undercutting.
- iv. During the injury period, Chinese and Russian import prices rose significantly. The domestic industry's selling price and cost of sales also increased. Thus, subject imports are not lowering domestic prices.
- v. The prices of Chemours Group are higher than average prices of Chinese exporters, thus, indicating no injury to the domestic industry.
- vi. The domestic industry reallocated one reactor for the production of another product. However, the capacity remained the same.
- vii. The decline in capacity, production and capacity utilisation is due to decline in demand.

- viii. The productivity per day of the domestic industry increased till 2021-22 and then kept declining in 2022-23 and POI. The number of employees and productivity per employee follows same trend. Thus, fall in productivity is due to fall in number of employees and not due to subject imports.
- ix. The dip in sales is due to decline in domestic demand.
- x. The net sales realisation increased till 2022-23, after which it declined. This could be due to industry lowering its prices to gain market share. However, price is still above 100 indexed points, thus, no indication of injury.
- xi. End-to-end comparison shows that selling price and cost increased at similar levels. Thus, no impact.
- xii. The cost of sales increased consistently during injury period but declined in POI.
- xiii. The domestic industry suffered injury due to high finance, interest cost, depreciation and amortisation cost.
- xiv. Working capital massively increased due to introduction of capex of INR *** crores.
- xv. Even with decrease in export volume, the applicant had kept its prices above base year.
- xvi. The domestic industry's market share has increased consistently except in POI, which is attributable to decline in demand.
- xvii. The average inventory shows good sales performance, except in POI which is due to drop in demand.
- xviii. The anti-dumping duties on China PR expired in 2022 and on Russia in 2021, as a result of which there were no duties for 8 months in 2022-23 and the POI, during which capacity, production, and capacity utilisation improved. This improvement shows that imports did not cause injury, but other factors did.
- xix. The injury information shows a drop in profits during the POI; however, Russian import prices fell at a rate lower than fall in the domestic industry's cost thus, they could retain higher prices. Injury margin has not been disclosed.
- xx. There has been a downward revision in capacity with no explanation raising legitimate concerns as to whether the plant was repurposed for the production of non-PUC items, indicating the possibility of multi-product manufacturing.
- xxi. The Authority must examine whether costs have been appropriately and accurately allocated between the PUC and non-PUC items due to repurposing of capacities. Misallocation of common costs or overheads could artificially inflate cost and understate profitability and hence distort injury analysis.
- xxii. The domestic industry has claimed to have a plant dedicated for manufacture of the PUC. Shutting down of one reactor would lead to underutilization of other plant equipment, resulting in higher fixed costs and increased per-unit capital costs.

H.2. Submissions made by domestic industry

52. The following submissions were made by the domestic industry with regard to injury and causal link:

- i. The imports from subject countries have substantially increased despite marginal decrease in demand in POI. Imports constitute 83% of total imports in the POI.
- ii. In absolute terms the imports increased by 101% over injury period and in relative terms the imports increased significantly in POI.

- iii. Price of imports from China PR has declined, whereas imports from Russia has been either stable or increased. Subject countries' imports are materially lower priced than non-subject countries.
- iv. The weighted average price undercutting is positive and significant, while PCN wise price undercutting is positive and significant for all PCNs except C-PTFE.
- v. The anti-dumping duties on China PR and Russia was in force till July 2022. Landed price declined in POI.
- vi. With increase in subject imports, selling price declined more than cost, leading to price depression.
- vii. The production and capacity utilisation decreased from 2022-23 till POI.
- viii. The domestic sales increased till 2022-23 and then declined.
- ix. The market share of the domestic industry fell by 10%, to ***% in the POI and the subject imports slightly declined in 2021-22, then substantially increased to ***% in POI.
- x. Profitability, ROI and cash profit, fell from base year in 2021-22, increased in 2022-23 and declined to its lowest level in POI.
- xi. Average inventory declined in 2021-22 as compared to the base year but significantly increased in POI.
- xii. No of employees increased substantially from base year in 2021-22, then declined in 2022-23 and POI.
- xiii. Wages increased from base year in 2021-22, declined in 2022-23 and increased significantly in POI.
- xiv. Productivity per day and employee decreased in POI compared to past year.
- xv. Domestic industry registered negative growth in POI in both volume and price parameters.
- xvi. Dumping margin is more than *de-minimis* and significant.
- xvii. Import price declined significantly in POI, leading to increase in subject imports. Price dropped but cost did not, thus, consequent decline in volume and price parameters due to increased imports.
- xviii. The export volumes of the domestic industry in the POI and in the base year are almost on the same level, however, the profits in the domestic market were lower than the base year by 44%.
- xix. The export volumes in 2021-22 were highest, where the profits in the domestic market in this period has declined. Thereafter, exports declined while profits in the domestic market increased.
- xx. In the POI, both domestic profits as well as export volumes declined, showing that there is no link between domestic profits and export volumes. The increase in exports in 2021-22 are due to post covid effects, post which the exports declined as demand normalised.
- xxi. High level of imports of PTFE Grade from Russia are priced higher than Chinese imports. Further, conditions fulfil cumulative assessment criteria. Thus, imports of subject goods from subject countries caused injury.
- xxii. Import price from Russia declined more than decline in cost in POI compared to previous year.
- xxiii. Capacity in POI declined due to reallocation of reactor for production of another product, in light of increased imports. Even then, capacity exceeds domestic demand. Thus, shutdown is not responsible for injury.

- xxiv. Significant increase in subject imports at decreased price in the POI, led to decline in selling price more than cost of sales, causing price depression.
- xxv. Domestic industry has very low captive consumption, thus, that did not cause injury.
- xxvi. Due to increased imports, Domestic industry reallocated reactor. Drop in capacity would in turn increase capacity utilisation, however, the latter declined too. Accordingly, resultant decline in productivity is due to decrease in production.
- xxvii. PBDIT itself declined, thus, decline in PBT is not due to increase in depreciation.
- xxviii. Drop in production, sales and capacity utilisation is due to cumulative effect of imports from subject countries.
- xxix. Regardless of ADD and CVD on exports to USA, there is decline in domestic sales and production, which evinces injury due to dumping.
- xxx. Increase in injury parameters after cessation of duties, with decline in import price in the POI, establishes causation of injury due to dumped imports.
- xxxi. The domestic industry has submitted that they have reallocated one reactor from production of subject PTFE to non-subject PTFE due to injury suffered from imports, despite which capacity utilisation declined in the POI, as has been verified by the Authority during the physical verification.
- xxxii. The domestic industry has not considered capacity as the basis for allocation of costs or overheads, and hence the same does not have any impact on the injury analysis.
- xxxiii. The domestic industry submits that the Authority must not rely on the pollution control board document as evidence of capacity as the capacity sanctioned by the PCB reflects the permissible upper limit of capacity and not the actual capacity of the plant.

H.3. Examination by the Authority

- 53. The Authority has noted submissions made by the interested parties and has examined various parameters in accordance with the Rules after duly considering the information and documents provided by the interested parties. The injury analysis made by the Authority hereunder *ipso facto* addresses the various submissions made by the interested parties.
- 54. With regard to the domestic industry's submission regarding considering the actual capacity of the plant while calculating non-injurious price, the Authority notes that the applicant has claimed that the capacity as seen from the pollution control board certificate includes NPUC capacities as well. During physical verification of the plant, the Authority notes that the capacities of the plant is dedicated to the PUC only. It is seen that the plant has specific reactors assigned for subject goods (specific PCNs) which is not evident from the PCB certificate. Therefore, the Authority has considered the actual capacity of the plant, as demonstrated by the applicant during the physical verification.
- 55. Rule 11 of the Rules read with Annexure II provides that an injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the domestic industry, taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect on such imports on the domestic producers of such articles. In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary

to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. For the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry in India, indices having a bearing on the state of the industry such as production, capacity utilisation, sales volume, inventory, profitability, net sales realisation, the magnitude and margin of dumping, etc., have been considered in accordance with Annexure II of the Rules.

H.3.1 Assessment of Demand/Apparent Consumption

56. The Authority has defined, for the purpose of the present investigation, demand, or apparent consumption of the subject goods in India as the sum of domestic sales of the applicant and imports from all sources. For the purpose of the injury analysis, the Authority has relied upon transaction-wise data from DG Systems. The Authority has considered the data based on the finalised PUC and PCN of the subject goods. The demand for the PUC is as follows:

Particulars	Unit	2020-21	2021-22	2022-23	POI
Sales of domestic industry	MT	***	***	***	***
<i>Trend</i>	Indexed	100	119	122	98
Imports from Subject countries	MT	1,631	1,771	2,663	3,645
<i>Trend</i>	Indexed	100	109	163	223
Imports from China PR	MT	765	992	1,493	2,206
<i>Trend</i>	Indexed	100	130	195	288
Imports from Russia	MT	866	780	1,170	1,440
<i>Trend</i>	Indexed	100	90	135	166
Imports from other countries	MT	905	1,012	964	805
<i>Trend</i>	Indexed	100	112	107	89
Indian Demand	MT	***	***	***	***
<i>Trend</i>	Indexed	100	115	130	127

57. It is seen that the demand for the subject goods increased from the base year to 2022-23 and declined marginally thereafter in the POI. The imports from the subject countries increased over the injury period.

H.3.2 Volume effect of dumped imports on domestic industry

i. Imports in absolute and relative terms

58. With regard to the volume of the dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in the dumped imports, either in absolute terms or in relation to production or consumption in India. The import volumes of the subject goods and share of the same during the injury investigation period are as follows:

Particulars	Unit	2020-21	2021-22	2022-23	POI
Import Volume					
Imports from China PR	MT	765	992	1,493	2,206
<i>Trend</i>	Indexed	100	130	195	288
<i>Un-dumped imports from China PR</i>	MT				***
Imports from Russia	MT	866	780	1,170	1,440
<i>Trend</i>	Indexed	100	90	135	166
Imports from subject countries	MT	1,631	1,771	2,663	3,645
<i>Trend</i>	Indexed	100	109	163	223
Imports from other countries	MT	905	1,012	964	805
<i>Trend</i>	Indexed	100	112	107	89
Total import volume	MT	2,536	2,783	3,627	4,451
<i>Trend</i>	Indexed	100	110	143	176
Subject imports in relation to					
Indian production	%	***	***	***	***
<i>Trend</i>		100	83	129	222
Indian demand	%	***	***	***	***
<i>Trend</i>		100	94	126	176
Imports into India	%	64	64	73	82
<i>Trend</i>		100	99	114	127

59. It is seen that:

- Imports from other countries increased in 2021-22, thereafter saw a declining trend till the POI.
- Share of imports from the subject countries in total imports increased over the injury period, and share of imports from other countries have declined.
- Imports in relation to Indian production has increased over the injury period and is significant.

H.3.3. Price Effect of dumped imports on domestic industry

- With regard to the effect of the dumped imports on prices, it is required to be analysed whether there has been a significant price undercutting by the alleged dumped imports as compared to the price of the like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices or prevent price increases, which otherwise would have occurred in normal course.
- Accordingly, the impact on the prices of the domestic industry on account of dumped imports of the subject goods from the subject countries have been examined with reference to price undercutting and price suppression/depression, if any. For the purpose of this analysis the cost of sales and the net sales realization (NSR) of the domestic industry have been compared with the landed price of the subject imports from the subject countries.

i. Price Undercutting

62. In order to determine whether the imports are undercutting the prices of the domestic industry in the market, price undercutting has been worked out by comparing the landed price of the subject imports with the selling price of the domestic industry during the investigation period. For the purpose, the Authority notes that there is significant difference in the prices of different types of the product under consideration. Therefore, the Authority has compared landed price of imports with the selling price of the domestic industry for comparable types, by considering the PCN notified by the Authority. Thus, weighted average price undercutting has been determined after considering associated import volumes. This comparison showed that during the period of investigation, the subject goods originating in the subject countries were imported into the Indian market at prices which were materially lower than the selling prices of the domestic industry, except for C-PTFE from China PR, where import volume is also very minimal. It is thus noted that imports of subject goods were undercutting the prices of the domestic industry in the market, and margin of undercutting was quite significant except for C-PTFE from China, as shown in the table below:

Particulars	Unit	PTFE	PT-PTFE	D-PTFE	A-PTFE	C-PTFE	Overall PUC
China PR							
Import Volume	MT	795	164	1,018	213	16	2,206
Landed Price	Rs. /MT	5,07,293	6,99,934	8,64,987	5,32,006	10,85,404	6,93,276
Net Selling Price	Rs. /MT	***	***	***	***	***	***
Price Undercutting	Rs. /MT	***	***	***	***	***	***
	%	***	***	***	***	***	***
	Range	0-10	0-10	0-10	90-100	Negative	5-15
Russia							
Import Volume	MT	1,176	249	14	-	-	1,440
Landed Price	Rs. /MT	5,01,450	5,75,693	5,44,542	-	-	5,14,732
Net Selling Price	Rs. /MT	***	***	***	***	***	***
Price Undercutting	Rs. /MT	***	***	***	***	***	***
	%	***	***	***	***	***	***
	Range	5-15	25-35	60-70	-	-	10-20

63. It is seen that the imports are undercutting the prices of the domestic industry in the market. The undercutting is positive and significant.

ii. Price Suppression/Depression

64. For the purpose of analysing price suppression and depression in the domestic market, the Applicant has provided information about (a) cost of sales, (b) domestic selling price, as is given in the table below.

Particulars	Unit	2020-21	2021-22	2022-23	POI
Cost of Sales	₹ /MT	***	***	***	***
<i>Trend</i>	Index	100	138	150	126
Selling Price	₹ /MT	***	***	***	***
<i>Trend</i>	Index	100	132	145	119

65. It is seen that both the selling price and the cost of sales increased till 2022-23 and declined thereafter in the POI. However, the increase in cost of sales was more than increase in selling price up to 2022-23. Further, the decline in the selling price was more than the decline in the cost of sales in POI. It is seen that the significant increase in subject imports coupled with decline in price and price undercutting caused by imports led to the decline in selling price of the domestic industry more than the decline in cost of sales. Subject imports are, thus, causing significant price suppression in the domestic market during the injury period.

H.3.4. Economic Parameters of the Domestic Industry

66. Annexure II to the Rules provide that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth and the ability to raise capital investments. Accordingly, various injury parameters relating to the domestic industry are discussed herein below.

67. The performance of the applicant in the POI has been compared with its performance in the base year.

i. Capacity, Production, Capacity Utilisation, and Sales

68. The Authority has considered the capacity, production, capacity utilisation, and sales volume of the domestic industry over the injury period. The table below shows factual position.

Particulars	Unit	2020-21	2021-22	2022-23	POI
Capacity	MT	***	***	***	***
<i>Trend</i>	Index	100	105	105	100
Net Production of PUC	MT	***	***	***	***
<i>Trend</i>	Index	100	130	127	101
Capacity utilization	%	***	***	***	***
<i>Trend</i>	Index	100	123	119	99
Domestic Sales	MT	***	***	***	***

<i>Trend</i>	Index	100	119	122	98
--------------	-------	-----	-----	-----	----

69. It is seen that:

- Capacity of the domestic industry increased from the base year to 2022-23 and thereafter decreased in the POI reverting capacity back to the level of the base year.
- The domestic industry has sufficient capacity to cater the domestic demand.
- The production and capacity utilization increased from the base year to 2021-22 and has declined thereafter up to the POI.
- The sales increased from the base year to 2022-23 and decreased thereafter till the POI.
- Capacity utilisation is at low levels despite sufficient demand in the country.

70. With regard to the submissions of the other interested parties that there has been a reduction of capacity with no explanation by the domestic industry, the Authority notes that during physical verification it was observed that the domestic industry has re-deployed one reactor from the PUC to another product which is not the PUC.

71. The other interested parties have submitted that there could be misallocation of costs in view of reallocation of capacity. In this regard, the domestic industry submitted that allocation of costs is not based on the basis of capacity. The Authority notes that the allocation of costs is based on reasonable and scientific basis and therefore, there has been no misallocation of costs.

ii. Market Share in Demand

72. The market share of the subject imports and the domestic industry as percentage of total Indian demand over the entire injury period was as follows:

Particulars	Unit	2020-21	2021-22	2022-23	POI
Total Imports	%	***	***	***	***
<i>Trend</i>	Index	100	95	110	138
China PR	%	***	***	***	***
<i>Trend</i>	Index	100	113	150	227
Russia	%	***	***	***	***
<i>Trend</i>	Index	100	78	104	131
Subject Countries	%	***	***	***	***
<i>Trend</i>	Index	100	94	126	176
Other Countries	%	***	***	***	***
<i>Trend</i>	Index	100	97	82	70
Domestic Industry	%	***	***	***	***
<i>Trend</i>	Index	100	103	94	77

73. The market share of the subject countries has increased significantly during injury period. Market share of the domestic industry has declined over the injury period. Market share of dumped imports increased by 19% over the injury period whereas share of the domestic industry declined by 14%.

iii. Profitability, Cash Profits, and Return on Capital Employed

74. The profit, cash profits, profit before interest (PBIT), and return on investment of the domestic industry over the injury period has been analysed and were as follows:

Particulars	UoM	2020-21	2021-22	2022-23	POI
Profit before tax	Rs. Lacs	***	***	***	***
<i>Trend</i>	Index	100	97	130	55
Profit before tax	₹/MT	***	***	***	***
<i>Trend</i>	Index	100	82	106	56
PBIT	Rs. Lacs	***	***	***	***
<i>Trend</i>	Index	100	86	111	60
PBIT	₹/MT	***	***	***	***
<i>Trend</i>	Index	100	72	91	62
Cash Profit	Rs. Lacs	***	***	***	***
<i>Trend</i>	Index	100	95	125	67
Cash Profit	₹/MT	***	***	***	***
<i>Trend</i>	Index	100	80	103	68
ROI	%	***	***	***	***
<i>Trend</i>	Index	100	72	109	51

75. It is seen that

- The profits of the domestic industry decreased from the base year to 2021-22, the COVID period, and increased in 2022-23, and declined sharply in the POI with steep decline in import price.
- The profitability is at the lowest in the POI. Cash profits also declined significantly in the POI.
- The return on investment (ROI) followed the same trend as that of profits and cash profits. ROI declined in 2021-22 and significantly in the POI.

iv. Inventory

76. The data relating to the inventory position of the domestic industry over the injury period and POI is given in the table below:

Particulars	Unit	2020-21	2021-22	2022-23	POI
Opening Inventory	MT	***	***	***	***
Closing Inventory	MT	***	***	***	***
Average Inventory	MT	***	***	***	***
<i>Trend</i>	Index	100	93	94	117

77. It is seen that the average level of inventories with the domestic industry decreased from the base year and thereafter increased very significantly in the POI.

v. Employment, Wages, and Productivity

78. The position with regard to employment, wages, and productivity of the domestic industry is as follows:

Particulars	Unit	2020-21	2021-22	2022-23	POI
No. of Employees	Nos.	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Index</i>	100	139	112	109
Wages	Rs. Lacs	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Index</i>	100	133	125	139
Productivity/ day	MT	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Index</i>	100	130	127	101
Productivity/ employee	MT	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Index</i>	100	94	113	92

79. The Authority notes that the number of employees has increased from the base year to 2021-22 and thereafter decreased till the POI. Wages paid have increased over the injury period. The productivity per employee decreased from the base year to 2021-22, increased in 2022-23 and then decreased in the POI.

vi. Growth

80. It is seen that the imports have led to an adverse effect on the growth of the domestic industry in respect of both volume and price parameters.

Particulars	Unit	2021-22	2022-23	POI
Capacity Utilization (%)	%	23%	-3%	-17%
Production (MT)	%	29%	-3%	-21%
Domestic Sales (MT)	%	19%	3%	-20%
Average Inventory (MT)	%	-7%	1%	25%
Productivity per day (MT)	%	30%	-3%	-20%
PBT per unit (₹/MT)	%	-18%	30%	-47%
PBIT (₹/MT)	%	-28%	27%	-32%
Cash Profits (₹/MT)	%	-20%	28%	-34%
Cash Profit in ₹ lacs	%	-5%	32%	-47%
ROI	%	-28%	52%	-53%

vii. Factors affecting domestic price

81. The Authority has examined the import prices from the subject countries, change in the cost structure, competition in the domestic market, factors other than dumped imports that might be affecting the prices of the domestic industry in the domestic market. The Authority notes that the principal factor affecting the domestic prices is the dumped imports of the subject goods from the subject countries.

viii. Ability to raise capital

82. The Authority notes that the domestic industry has been unable to utilise its capacities due to the dumped imports. The dumping of the subject goods has impacted the domestic industry's ability to raise capital investments.

ix. Magnitude of dumping and dumping margin

83. It is seen that the dumping margin from the subject countries is not only more than *de-minimis* but also significant.

I. NON-ATTRIBUTION ANALYSIS (OTHER FACTORS)

84. The Authority examined whether other factors listed under the anti-dumping Rules could have caused injury to the domestic industry. The Authority examined known factors other than the dumped imports and ascertain whether these are at the same time have been injuring the domestic industry, so that the injury caused by other, if any, is not attributable to the dumped imports. Factors which are relevant in this respect include, *inter alia*, the volume of subject goods not sold at dumped prices, contraction in demand or changes in the pattern of consumption, trade restrictive practices, changes in technology, the export performance of the domestic industry and the productivity of the domestic industry.

a) Volume and prices of imports from third countries

85. It is seen that the imports of the product under consideration from other countries are in low volumes. Therefore, imports from other countries are not a cause of material injury suffered by the domestic industry.

b) Contraction in Demand

86. The demand has consistently increased throughout the injury period, except a marginal decline in the POI, which is normal in the course of trade. The imports increased substantially in the POI, even with the marginal decline in demand. Thus, decline in demand is not the cause of injury.

c) Changes in pattern of consumption

87. There are no changes in the pattern of consumption for the product under consideration over the injury period that could have caused injury to the domestic industry.

d) Conditions of competition and trade restrictive practices

88. The investigation has not shown any change in the conditions of competition or any trade restrictive practices.

e) Developments in Technology

89. No evidence has been brought forward to show that there are no significant changes in technology.

f) Export performance of the domestic industry

90. The information provided has been considered for domestic operations of the domestic industry.

g) Performance of other products

91. The domestic industry has provided the injury data for the PUC and the same has been adopted by the Authority for the purpose of the injury analysis. Performance of other products produced and sold by the domestic industry has not been considered.

I.1 Conclusion on Injury and Causal Link

92. Analysis of the performance of the domestic industry over the injury period shows material injury to the domestic industry. The causal link between dumped imports and the injury to the domestic industry is established on the following grounds:

- i. Share of imports from the subject countries in total imports increased over the injury period, and share of imports from other countries have declined.
- ii. Imports have increased in absolute and relative terms. Thus, the domestic industry has lost sales volumes.
- iii. The market share of the subject imports has increased.
- iv. The imports of subject goods are undercutting the prices of the domestic industry in the market, and the margin of undercutting is positive and significant in the period of investigation.
- v. The subject imports are causing significant price suppression and depression in the domestic market during the injury period.
- vi. The subject imports are undercutting the prices of the domestic industry, thereby causing price depression. Thereafter, the domestic industry faced a significant decline in profits, cash profits, and return on investment.
- vii. The domestic industry's loss of sales volumes led to decline in production and capacity utilisation.
- viii. The market share of the subject countries has increased significantly during injury period resulting in loss of market share for the domestic industry.
- ix. The profits of the domestic industry decreased from the base year to 2021-22, the COVID period, and increased in 2022-23, and declined sharply in the POI with steep decline in import price.
- x. The profitability is at the lowest in the POI. The cash profits also declined significantly in the POI.
- xi. The return on investment (ROI) followed the same trend as that of profits and cash profits. The ROI declined in 2021-22 and significantly in the POI.
- xii. The average level of inventories with the domestic industry decreased from the base year and thereafter increased very significantly in the POI.

J. MAGNITUDE OF INJURY MARGIN

93. The Authority has determined the non- injurious price (NIP) for the domestic industry on the basis of principles laid down in the Rules read with Annexure III, as amended. The NIP of the product under consideration has been determined by adopting the information/data relating to the cost of production provided by the domestic industry for the POI. The NIP has been considered for comparing the landed price from the subject countries for calculating injury margin. For determining the NIP, the best utilisation of the raw materials and utilities has been considered over the injury period. Best utilisation of production capacity over the injury period has been considered. Extraordinary or non-recurring expenses have been excluded from the cost of production. A reasonable return (pre-tax @ 22%) on average capital employed (i.e., average net fixed assets plus average working capital) for the product under consideration was allowed as pre-tax profit to arrive at the NIP as prescribed in Annexure III to the Rules. The Authority has determined NIP separately for each of the quarters of the POI.
94. Based on the landed price and the NIP determined as above, the injury margin as determined by the Authority is provided in the table below.

INJURY MARGIN TABLE

S. No	Country	Name of Producer	Landed Price (US\$/MT)	NIP (US\$/MT)	IM Amount (US\$/MT)	IM (%)	IM Range
1.	China PR	Shandong Dongyue Polymer Material Co., Ltd.	***	***	***	***	50-60
2.		Shaowu Yonghe Jintang New Material Co., Ltd.	***	***	***	***	110-120
3.		The Chemours (Changshu) Fluoro Technology Company Limited	***	***	***	***	Negative
4.		Zhonghao Chenguang Research Institute of Chemical Industry Co. Ltd.	***	***	***	***	Negative
5.		Any other from China PR	***	***	***	***	140-150
6.	Russia	All the producers	***	***	***	***	80-90

K. THREAT OF INJURY

95. In the present investigation, the domestic industry has contended threat of material injury. The Authority examined the threat of material injury to the domestic industry considering the parameters relating to the threat of material injury in terms of Paragraph (vii) of Annexure II of the Rules, which states as under:

“A determination of a threat of material injury shall be based on facts and not merely on allegation, conjecture or remote possibility. The change in circumstances, which would create a situation in which the dumping would cause injury, must be clearly foreseen and imminent. In making a determination regarding the existence of a threat of material injury, the Designated Authority shall consider, inter alia, such factors as:

- a. a significant rate of increase of dumped imports into India indicating the likelihood of substantially increased importation;*
- b. sufficient freely disposable or an imminent, substantial increase in capacity of the exporter indicating the likelihood of substantially increased dumped exports to Indian market, taking into account the availability of other export markets to absorb any additional exports;*
- c. whether imports are entering at prices that will have a significant depressing or suppressing effect on domestic prices, and would be likely to increased demand for further imports; and*
- d. inventories of the article being investigated.”*

K.1. Submissions by other interested parties

96. No submissions have been made by other interested parties with regard to the threat of material injury.

K.2. Submissions by the domestic industry

97. The following submissions were made by the domestic industry with regard to the threat of material injury:
- i. Imports have consistently played a significant role throughout the injury period but saw a notable surge during the POI. Despite a 3% decline in demand in the POI compared to the previous year, imports from the subject countries jumped by 29%, signalling a growing oversupply that is expected to continue.
 - ii. The rise in imports during the POI, compared to the previous year, reflects a sharp increase in dumped imports into India, suggesting a high probability of further substantial import growth.
 - iii. By the end of 2022, China had significantly expanded its fluoropolymer production capacity and is likely to continue this expansion amid declining domestic demand. India remains an attractive market for absorbing this excess capacity.
 - iv. In 2020, Russia’s sole producer increased its capacity by 15%, mainly for PTFE production, raising the likelihood of higher imports into India.

- v. The subject countries possess ample freely disposable capacity, pointing to the probability of significantly increased dumped exports to India, considering the availability of other export markets to absorb any additional exports.
- vi. The market share of the subject countries has grown considerably in the POI, while that of the domestic industry has declined, despite a decline in demand.
- vii. Producers from the subject countries have maintained a consistent presence in the Indian market, with their market share experiencing a substantial increase during the POI.
- viii. The landed price of imported goods is considerably lower than domestic prices, making India an attractive market for Chinese and Russian producers, thereby creating a strong opportunity for them to increase exports.
- ix. Imports are arriving at prices that are expected to have a substantial depressing or suppressing impact on domestic prices, which could further drive demand for additional imports.

K.3. Examination by the Authority

98. The Authority has examined the threat of material injury considering the parameters relating to the threat of material injury in terms of Paragraph (vii) of Annexure II of the Rules below.

a. Significant rate of increase of dumped imports into India

99. From an analysis of the import data, it is seen that there has been an increase of imports into India and the rate of increase in imports in the POI as compared with the base year is significant.

Particulars	Unit	2020-21	2021-22	2022-23	POI
Volume of imports from subject countries	MT	1,631	1,771	2,663	3,645
<i>Trend</i>	Index	100	109	163	223
PTFE	MT	1,294	1,078	1,570	1,971
PT-PTFE	MT	82	317	352	414
D-PTFE	MT	243	366	712	1,033
A-PTFE	MT	11	7	27	213
C-PTFE	MT	1	3	2	16

100. Imports have consistently increased over the injury period. The import price declined significantly in the POI. A significant increase in imports coupled with the significant decline in the import price indicates the threat of substantially increased imports in the future.

b. Freely disposable capacity with the producers

101. The responding producers/exporters have provided information on capacity and production. The Authority has compared the capacity and production of the responding Chinese producers/exporters based on the information as made available by them. It is seen that the responding producers have significant capacities to produce subject goods. The Authority notes that surplus capacities as available with the producers could take away market share from the domestic industry.

c. Imports entering at prices that will have a significant depressing or suppressing effect on domestic prices

102. As noted above from the movement of the cost of sales, selling price, and landed price of imports, the subject imports are suppressing and depressing the domestic prices. Both the selling price and the cost of sales increased till 2022-23 and declined thereafter in the POI. However, the increase in cost of sales was more than increase in selling price up to 2022-23. Further, the decline in the selling price was more than the decline in the cost of sales in POI. Throughout the injury period, the landed price remained below both the selling price and cost of sales. Thus, imports are likely to further depress the domestic prices.

d. Presence of Chinese and Russian producers in the Indian market

103. It is submitted by the applicant that producers from the subject countries have had persistent presence in the Indian market. It has also been submitted that the producers from China and Russia have tried to keep their presence by reducing prices, and through circumvention of antidumping duties earlier imposed. The Authority notes that the subject countries' imports increased throughout the injury period, even when Indian demand declined in the POI.

e. Price attractiveness of the Indian market

104. It is noted that the Indian market is price attractive to PTFE exporters due to its demand. Further, imported PTFE is priced lower than the domestic product in the Indian market. It is seen that the landed price of the subject imports is significantly lower than the selling price of the domestic industry in the POI, thus opening the opportunity to exporters to increase their exports in the Indian market. Thus, India is a price attractive market for the producers in the subject countries.

L. INDIAN INDUSTRY'S INTEREST & OTHER ISSUES

L.1. Submissions by other interested parties

105. The following submissions were made by the other interested parties with respect to the Indian industry's interest and other issues:

- i. The imposition of duties would impact the manufacturing cost of final products.
- ii. This would impact operational viability and market competitiveness of other small-scale processors and would impact down-stream users.
- iii. The applicant's market practices have exerted monopolistic pressure, restricted fair competition and reducing choices for consumers.
- iv. Post imposition of anti-dumping duty, imports have historically surged implying shifting of value addition from India to foreign markets. Removal of duties resulted in decline of imports.
- v. The applicant had established its plant primarily to obtain carbon credits and have earned three times the cost of plant already.

- vi. Most producers in the industry for which the PUC is a key input are small units and have a scattered nature, preventing them from even representing their concerns before the Authority.
- vii. The Authority must consider interest of such users even if not represented.
- viii. Impact of duty on the price of the finished product would be between 2 and 3%.

L.2. Submissions by the domestic industry

106. The following submissions were made by the domestic industry with respect to the Indian industry's interest and other issues:
- i. The subject goods were previously subject to anti-dumping measures, and there is no public information to show that the previously imposed duties had any adverse impact on the end consumers.
 - ii. The use of subject goods is in making components, and the component manufacturers can be said to be a pass-through industry, the finished product in which a component is used will absorb any impact that duties may have.
 - iii. The subject goods are produced globally in various countries, indicating that consumers have access to multiple supply sources.
 - iv. The producers in the subject countries with only operate with their revenue in mind, whereas the Indian industry will keep the Indian consumer's interests in mind.
 - v. The applicant produces a large number of products that are produced in order to producer PTFE, or along with it. The continuity and viability of PTFE is important in order to maintain production of these operations.
 - vi. The value addition being carried out by the applicant at an integrated level is high and should there be an obstacle in the value addition, the entire chain of production would come to a halt.
 - vii. The ability of the domestic industry to serve highly developed export markets demonstrates that its production quality meets the stringent standards set by these markets.
 - viii. To ensure high production standards and quality for both domestic and export markets, the domestic industry has consistently invested significant effort in research and development activities related to PTFE.
 - ix. The domestic industry has never faced accusations or complaints from its downstream sector or end-users regarding the misuse of these duties or the adoption of monopolistic pricing policies.
 - x. The domestic industry in the past has also supported downstream producers by facilitating the extension of anti-dumping measures to downstream products through anti-circumvention investigations.

L.3. Examination by the Authority

107. The Authority notes that the purpose of imposition of anti-dumping duty, in general, is to eliminate injury caused to the domestic industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country. The imposition of anti-dumping measures does not aim to restrict imports from the subject countries in any way. The trade remedial investigations are intended to restore equal competitive opportunities in the domestic market by ensuring a level playing field for

domestic producers by the imposition of appropriate duties against trade distorting imports. At the same time, the Authority is aware that the impact of such duties is not limited to only the domestic producers of the PUC but also affects the users and consumers of the PUC. Moreover, the imposition of duties may stimulate the emergence of new producers within the country.

108. The Authority issued initiation notification inviting views from all the interested parties, including importers, consumers and others. The Authority also prescribed a questionnaire for the users/consumers to provide relevant information about the present investigation including any possible effects of anti-dumping duty on their operations. Information was sought on, inter alia, interchangeability of the product supplied by various suppliers from different countries, ability of the domestic industry to switch sources, effect of anti-dumping duty on the consumers, factors that are likely to accelerate or delay the adjustment to the new situation caused by imposition of anti-dumping duty.
109. The interested parties have filed economic interest questionnaires. It is noted from the submissions that PTFE is widely used in components that serve as intermediaries in various industries, passing through multiple stages without significant standalone prices. Since these components integrate into larger products, any duties imposed on PTFE would have a minimal impact on the overall cost of the component industry. Therefore, levying duties on PTFE would not substantially affect the component industry's feasibility.

M. POST-DISCLOSURE COMMENTS

M.1 Submissions by other interested parties

110. The following comments to disclosure statement have been made by the other interested parties.
- i. With respect to the exclusion request for the A-PTFE grade, it is submitted that for applications in the food segment, the A-PTFE produced by the domestic industry does not adequately sustain the required temperature variations and hence cannot be used in specific circumstances.
 - ii. The consumption norms of the PUC supplied by GFL are significantly higher compared to the imported PUC for achieving the same level of downstream output. This is primarily attributable to the lower material absorption and weaker bonding strength of the grade produced by the domestic industry.
 - iii. With respect to the exclusion request for the C-PTFE grade, the Authority has noted that the information on record indicates that the domestic industry has produced and sold C-PTFE during the injury investigation period. In this regard it is submitted that the Authority has noted that the information on record indicates that the domestic industry has produced and sold C-PTFE during the injury investigation period. In this regard it is submitted that self-admission made by the domestic industry during the second oral hearing, wherein it was specifically acknowledged that neither the domestic industry produced the C-PTFE grade nor have there been any imports of such grades into the country may be noted by the Authority.

- iv. The Authority in its disclosure statement has merely indicated that the domestic industry produces various types of filled C-PTFE grade, however, there is no examination with respect to production and supply of specific grades for which the respondents has sought an exclusion viz. PEEK PTFE, Stainless Steel PTFE, Polyamide PTFE, Filled Alumina (Al₂O₃) PTFE, Calcium Fluoride PTFE, Filled Polymer in PTFE, Mica in PTFE, Boron Nitrate filled PTFE and Cobalt aluminate filled PTFE filled grade. No evidence has been provided with regards to the production or supply of these grades in the domestic market.
- v. The Authority while examining the exclusion request made by the respondents for Pre sinter Carbon filled PTFE and Free Flow Filled grades has noted that these grades are also not imported from the subject countries. In view of such an observation from the Authority the request for exclusion should be duly considered as these grades on account of no imports cannot be the factors injuring the domestic industry and therefore should be excluded from the scope of the PUC.
- vi. With respect to exclusion request of Fine Powder (D-PTFE) Resin Grade 640C not being accepted by the Authority on the ground that domestic industry's INOFLON 7500 is comparable to the imported grade, it is submitted that the Authority's analysis regarding the comparability is incorrect as both the grades are technically different because of their reduction ratios whereby the same is higher for the imported grade. The higher the reduction ratio, thinner is the tube and with high reduction ratio, the Fine Powder (D-PTFE) Resin Grade 640C is more compatible for use in small tube application for two-wheeler brake hoses as compared to the domestic grade INOFLON GN7500.
- vii. Further, it was requested that the Authority may verify whether the INOFLON GN7500 has been produced and sold in commercial volumes for the small tube application for two-wheeler brake hoses to acknowledge if the grade is approved largely by the customers. However, no observation has been made by the Authority in this regard.
- viii. The Authority is requested to examine the increase in import market share by conducting a comparative assessment of the quality performance of domestically produced PTFE vis-à-vis the imported PUC. Such a comprehensive evaluation would establish that the increased reliance on imports is a market-driven necessity to fulfil downstream demand.
- ix. The domestic industry has failed to provide any justification for non-disclosure of pending litigation before High Court at the time of initiation of investigation and the disclosure statement is also silent on this aspect.
- x. Withdrawal of W.P. 13928 of 2022 by the domestic industry on 12th March 2025 should not be considered sufficient to remedy the incorrect initiation of investigation.
- xi. It is the fundamental legal principle that a person cannot take advantage of his own wrong. If the anti-dumping investigation was initiated promptly to ensure that fresh recommendation for anti-dumping duty is made at the earliest by hiding the relevant information regarding pendency of proceedings before Delhi High Court, the domestic industry cannot take be allowed to achieve this intended outcome and obtain the advantage of its own wrong.
- xii. The Authority should discontinue the use of non-market economy methodology or the surrogate country approach with respect to producers/exporters from China PR.
- xiii. The Authority should not require satisfaction of Market Economy Treatment (MET) conditions under Paragraph 8 of Annexure I, as the legal basis for such requirement has ceased to exist post-11 December 2016.

- xiv. The normal value must be determined in accordance with Article 2 of the WTO Anti-Dumping Agreement, using the prices and costs in the ordinary course of trade of the Chinese producers/exporters, including the data provided by the participating company in this investigation.
- xv. Given that the Authority itself has determined that the imports from Chemours (Changshu) Fluoro Technology Company Limited ('Chemours') and Zhonghao Chenguang Research Institute of Chemical Industry Co., Ltd ('Zhonghao') are not dumped, the same must necessarily be considered under the category of "imports not sold at dumping prices". Consequently, any impact of such imports on the performance of the domestic industry falls squarely within the category of "other factors" referred to under para (v) of Annexure II. Therefore, undumped exports by Chemours and Zhonghao should be excluded from the analysis of material injury. The Authority's examination of injury to the domestic industry may change upon exclusion of such imports from the injury assessment.
- xvi. The dumping and injury margin determined in the disclosure statement in case of Russia is not only very excessive but also exceeds even the inflated claims of the applicant at the time of the application which needs reconsideration.
- xvii. Even though the basis of determination of normal value remained the same for application and the disclosure statement, there is a substantial jump in the dumping margin which shows the Authority determined a higher normal value apparently on the basis of a higher cost allowed for the applicant, even more than their claims, and it is also not clear what is the reasonable profits added while determining the normal value on constructed basis.
- xviii. The price difference between product grades imported from Russia and China PR needs some corroborations and the differences in price on certain grades were very doubtful. It is also not explained why the users were importing from China PR at a higher price if the material has been available from Russia at a much lower price which also shows the margins determined for Russia is not realistic and a higher number is proposed based on half facts.
- xix. A comparison between price undercutting and dumping margin/injury margin as disclosed shows the cause of injury claimed by the applicant is not imports from Russia, but the extremely higher cost of the applicant instead.
- xx. The price undercutting from Russia in the present case as per the disclosure statement is only 10-20% (total for PUC) which shows the imports reached at a price only 10-20% lower than the price of the domestic industry. However, the dumping margin/injury margin determined in case of Russia is 85-95% and 80-90% respectively evidencing very high cost/NIP of the applicant. The imports at comparable price ought not to have caused any injury to the domestic industry.
- xxi. The Authority must review and reassess the use of 22% ROCE in NIP computation. It must instead consider the actual return on capital employed by the domestic industry during periods free from alleged dumping, or at least adopt a contemporaneous rate that reflects current interest rates and tax regimes
- xxii. PTFE is an intermediate product with applications across multiple industries and sectors. In India, there are approximately 300 PTFE processors, the majority of whom belong to the MSME sector, with annual turnovers ranging between ₹50 lakhs to ₹5-10 crores.
- xxiii. PTFE constitutes a significant portion of the overall cost; any duties would have a material impact on the manufacturing cost of the final products. The cost increase in the final

products would result the manufacturing in India uncompetitive compared to the vertically integrated domestic manufacturers or imported product.

M.2 Submissions by domestic industry

111. The following comments to disclosure statement have been made by the domestic industry.

- i. The demand for the PUC in India increased till 2022-23 before slightly declining during the POI. Despite decline in demand, imports from subject countries surged, accounting for 83% of total imports in the POI.
- ii. The imports from subject countries rose in absolute terms by 101%, by 27% in relation to production, and by 44% in relation to consumption.
- iii. The sales of the domestic industry declined in the POI, indicating that the increased imports have adversely affected the domestic industry.
- iv. The import prices from the subject countries for various PTFE categories declined whereas prices from the rest of the world remained stable or declined, creating a significant price gap.
- v. The subject countries' imports consistently undercut domestic prices especially in categories such as A-PTFE, with undercutting being over 95%. All product categories showed positive undercutting, except for C-PTFE, showing that the imported goods were sold at materially lower prices than the domestic product.
- vi. The domestic industry's cost of sales and selling prices rose till 2022-23 and declined in the POI, with selling price declining more than the cost. Subject imports hence have led to price suppression and depression.
- vii. The production, capacity utilisation, and sales of the domestic industry declined significantly in the POI after the initial growth shown.
- viii. The market share of the domestic industry in demand declined significantly, while share of subject imports captured ***% of the demand in POI, rising from ***% in 2020-21.
- ix. The profitability parameters declined sharply, being at the lowest levels in the POI. Cash profits and ROI have also declined significantly and is at the lowest level.
- x. The level of inventories increased, while employment and productivity declined.
- xi. There has been negative growth across volume and price parameters in the POI.
- xii. If the domestic operations of the company cease, about 75-80% of the company's business will be stopped and even foreign operations of PTFE will become unviable.
- xiii. The primary raw material for PTFE, which is Tetrafluoroethylene (TFE) is captively produced by the domestic industry using R-22, which is also produced captively by the domestic industry. The NIP calculation claimed by the domestic industry reported cost of R-22 to TFE at its manufacturing cost along with a return on net fixed assets, in line with the standard accounting practices. However, Authority has determined cost for R-22 on the basis of cost +5%, considering a return of 5% and finance cost.
- xiv. The calculation as considered by the Authority is inappropriate as:
 - a. Annexure III is not required to be applied to captive inputs and is violative of Annexure III.

- b. The Authority normally applies Annexure III to immediate captive inputs, however the same has been extended to the chain of products which is not consistent with Annexure III and past practice.
 - c. Such treatment implies changing approach and methodologies of the Authority with no corresponding change in Annexure III, making such treatment inappropriate.
 - d. The Authority gave no direction to the domestic industry to provide format prescribed for PUC for captive inputs.
 - e. Such treatment is contrary to the trade notice issued specifying requirements for filing the application.
- xv. The Authority has further not considered administrative overheads while taking the value of R-22 which has artificially and unduly lowered the NIP.
- xvi. Subject goods are used in multiple industries and applications and encouraging the domestic industry would open the door for larger investments and job creation, boosting overall industrial activity and economic growth in the country.
- xvii. The anti-dumping duty should be imposed in terms of US dollars and for a period of five years. Domestic industry has requested in particular, the imposition of fixed quantum duty in order to prevent any misuse or abuse by importers.

M.3 Examination by the Authority

112. The Authority has examined the post disclosure comments made by the interested parties. It is noted that the comments which are reiterations and have already been suitably examined and adequately addressed in the relevant paragraphs of this final findings, are not being repeated in the post-disclosure examination by the Authority for the sake of brevity. The issues raised by the interested parties other than those examined in detail and which are considered relevant by the Authority have been examined hereunder.
113. As regards the contention concerning A-PTFE, the other interested party has submitted that the A-PTFE produced by the domestic industry does not adequately sustain the required temperature variations and hence cannot be used in specific circumstances, in the food segment. It has further contended that the consumption norms of the PUC supplied by the domestic industry are significantly higher compared to the imported PUC for achieving the same level of downstream output, which is attributable to the lower material absorption and weaker bonding strength of the grade produced by the domestic industry. On these grounds, the other interested party has requested exclusion of A-PTFE. The Authority notes that the request for exclusion of A-PTFE has been examined by the Authority in the disclosure statement issued and in these findings. The other interested party has not provided any evidence to substantiate the claim that the domestic industry's product does not meet quality standards. Further, the Authority has examined the invoices placed on record by the domestic industry evidencing sales of A-PTFE made to customers. It has also been noted by the Authority that the domestic industry's production of A-PTFE accounts for ****% of its total production. Regarding the temperature variations, as noted by the Authority above, the TDS of the domestic industry for A-PTFE indicates the specifications such as the service temperature ranging from -250 degrees Celsius to +250 degrees Celsius, showing that the product can sustain temperature variations. The domestic industry has also provided evidence to show that their product is FDA compliant. In view of the fact that there has

been no evidence provided by the other interested party to substantiate such claim, and taking into account the evidence placed on record of production and sales of A-PTFE by the domestic industry, the Authority holds that A-PTFE shall not be excluded from the scope of the product under consideration.

114. The other interested party has submitted that C-PTFE is not produced by the domestic industry. The Authority notes that C-PTFE has been produced and sold by the domestic industry, as is evident from the data placed on record by the domestic industry. Further, the domestic industry has also placed on record evidence of sales to customers by way of invoices showing sales of C-PTFE to various customers. The Authority has also found in the import data considered, that there have been imports of C-PTFE made into India from the subject countries. Thus, it is concluded by the Authority after due verification, that the domestic industry produces and sells C-PTFE to various customers.
115. It has been contended by one of the interested parties that the Authority has not examined the production and supply of grades such as PEEK PTFE, Stainless Steel PTFE, Polyamide PTFE, Filled Alumina (Al₂O₃) PTFE, Calcium Fluoride PTFE, Filled Polymer in PTFE, Mica in PTFE, Boron Nitrate filled PTFE, and Cobalt aluminate filled PTFE filled grade. However, it is to be noted that the Authority in its disclosure statement has stated that the above-mentioned grades are different types of filled C-PTFE. As has been stated, it is also noted that the domestic industry produces a range of standard filled grades, such as C-PTFE filled with glass, bronze, etc. The domestic industry has placed on record invoices showing the sale of such C-PTFE grades to customers. Further, the domestic industry has also submitted a declaration that states that such filled grade of C-PTFE as mentioned above can be produced, as the domestic industry has the production facility for these grades. The demand for the above-mentioned grades of C-PTFE is low, which is also corroborated by the miniscule volume of imports of these grades.
116. As regards the contention of the other interested party that pre-sinter carbon filled grades and free flow filled grades have not been imported from the subject countries and thus must be excluded from the scope of the product under consideration, it is noted that while there are no exports of these from the subject countries, the domestic industry does produce the equivalent of the pre sintered grade through its product INOLFON 510.
117. It has been contended by the other interested party that Fine Powder (D-PTFE) Resin Grade 640C is to be excluded from the scope of the product under consideration as both the 640C grade and the grade of the domestic industry, which is INOFLOX GN7500, are technically different because of their reduction ratios whereby the same is higher for the imported grade. As has been noted by the Authority in its examination of the scope of the product under consideration, the comparison of the typical properties of both grades show that the technical properties are comparable. Further, the domestic industry has submitted that the reduction ratio supported by INOFLOX GN7500 aligns with the requirements for tubing and hose processing. The domestic industry has also placed on record invoices, evidencing sales of INOLFON GN 7500 to customers in the business of tubing.
118. As regards the contention of the domestic industry regarding normation/optimization of captively produced raw material, the Authority notes that the non-injurious price is required to be

determined as per Annexure-III of Anti-Dumping Rules, 1995. For determining non-injurious price, the data relating to the elements of cost of production for the period of investigation are considered. The best utilization of raw materials, utilities over the past three years and the period of investigation, which are used directly or indirectly to manufacture the product under consideration are considered to determine the cost of raw material and utilities applying the rate at period of investigation. This process is adopted in order to nullify injury, if any, caused to the domestic industry by inefficient utilization of raw materials and utilities. For captively produced raw materials, similar procedure is followed if the domestic industry provides the detailed information as per Annexure-III of the Anti-dumping Rules. In the absence of detailed information, the Authority determines price of the captively produced raw material based on either market price or verified cost of production of such captively produced raw material and reasonable return as per consistent practice of the Authority. In the instant case, the said procedure has been adopted for the captively produced raw materials used to produce PUC.

119. With respect to the submission of the other interested parties regarding the use of the “surrogate country” methodology for China PR, arguing that its classification as a Non-Market Economy (NME) is inconsistent with WTO provisions, it is noted that none of the producers/exporters contested the non-market economy status of China PR in any of their questionnaire responses or filed any supplementary questionnaire. Consequently, the Authority considered it appropriate to treat China PR as a non-market economy country in the present investigation.
120. As regards the contentions made concerning higher margins with respect to Russia, the Authority notes that the concerned party has not submitted questionnaire response. The Authority thus, does not have exporter-specific information and has made its determination using the best facts available.
121. Other interested party has contended that the domestic industry did not disclose details of pending litigation at the time of initiation of the investigation, and that the withdrawal of a writ petition should not be considered as sufficient enough remedy to the incorrect initiation. As has been noted by the Authority in its disclosure statement, the domestic industry has withdrawn its rights in these proceedings and both petitions have been disposed of. Thus, it is noted that the petitions before the High Court have been disposed of, indicating that the domestic industry is not availing any other remedy from any other forum.
122. The interested parties have made various submissions on the calculation of non-injurious price. With regard to the submission for consideration of return of 22%, the Authority notes that it has consistently allowed 22% return on capital employed. There is no justification to deviate from this practice and thus the same has been adopted in the present investigation as well.

N. CONCLUSION

123. Based on the submissions made, information provided, and facts available before the Authority as recorded above and on the basis of the above analysis of dumping and consequent injury to the domestic industry, the Authority concludes the following:

- i) The scope of the product under consideration is “Polytetrafluoroethylene” (PTFE) originating in or exported from China PR & Russia.
- ii) The subject goods are classified under the customs sub-heading 39046100, however, the classification is indicative only and is not binding on the scope of the present investigation.
- iii) The application has been filed by M/s. Gujarat Fluorochemicals Ltd. The applicant constitutes domestic industry, under Rule 2(b) of the Rules and the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5(3).
- iv) The subject goods exported from China PR and Russia, and the article manufactured by the domestic industry are ‘like article’ to each other in terms of Rule 2(d) of the AD Rules, 1995.
- v) The product under consideration has been exported to India at a price below the normal value, resulting in dumping. The dumping margin is above de-minimis level and significant.
- vi) The volume of subject imports increased over the injury period, especially in the POI, in absolute and relative terms. Imports of subject countries constitute a majority of the total imports into India throughout the injury period.
- vii) The subject imports from subject countries are undercutting the prices of the domestic industry and have had a considerable suppressing impact on the prices of the domestic industry.
- viii) Production and capacity utilisation increased from the base year to 2021-22 after which there was a decline in the POI. Capacity is underutilised despite sufficient capacity to cater to Indian demand.
- ix) The sales of the domestic industry increased till 2022-23, and then declined in the POI.
- x) The market share of subject countries in Indian demand has increased whereas domestic industry declined over the injury period.
- xi) The profits and cash profits have declined from base year to 2021-22, after which it increased in 2022-23, and thereafter declined in the POI. ROI has also followed the same movement as the profits and cash profits and was at *** in the POI.
- xii) Number of employees increased from the base year to 2021-22 and then decreased till the POI. Wages paid increased from base year to 2021-22, thereafter declining in the 2022-23, and then seeing a marginal increase in the POI.
- xiii) Productivity per employee decreased marginally from the base year to 2021-22, while increasing in 2022-23 and declining thereafter in the POI.
- xiv) Imports have adversely impacted the growth of the domestic industry.
- xv) No other factor appears to have caused injury to the domestic industry. It is noted that domestic industry has suffered material injury as a result of the dumped imports.

O. RECOMMENDATIONS

124. The Authority notes that the investigation was initiated and notified to all the interested parties and adequate opportunity was given to them to provide information on the aspect of injury, causal link, and impact of measures.

125. Having initiated and conducted the investigation into dumping, injury and causal link in terms of the provisions laid down under the Anti-dumping Rules, the Authority is of the view that imposition of anti-dumping duty is required to offset dumping and injury. Therefore, the Authority considers it necessary and recommends imposition of anti-dumping duty on imports of subject goods from the subject countries.
126. Further, having regard to the conclusion reached with regard to imports of the product under consideration under the HS Code 39046100, the Authority recommends collection of anti-dumping duties on imports of the product under consideration, falling under this code.
127. Having regards to the lesser duty rule followed, the Authority recommends imposition of anti-dumping duty equal to the lesser of the margin of dumping and the margin of injury so as to remove the injury to the domestic industry. Accordingly, the Authority recommends imposition of definitive anti-dumping duty on the imports of subject goods originating in or exported from the subject countries, equal to the amount mentioned in Col. 7 of the duty table appended below, to be issued in this regard by the Central Government for a period of five years from the date of notification to be issued in this regard.

DUTY TABLE

S N	Heading/ sub- heading	Description of goods	Count ry of origin	Countr y of export	Producer	Amou nt	Unit of measur ement	Curren cy
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	3904610 0*	<i>Polytetrafluoroethy lene (PTFE)[#]</i>	China PR	Any country includi ng China PR	Shandon g Dongyue Polymer Material Co., Ltd.	2,884. 01	MT	USD
2.	-do-	-do-	China PR	Any country includi ng China PR	Shaowu Yonghe Jintang New Materials Co., Ltd.	5,206. 75	MT	USD
3.	-do-	-do-	China PR	Any country includi ng China PR	The Chemour s (Changsh u) Fluoro	NIL	MT	USD

					Techno logy Company Limited			
4.	-do-	-do-	China PR	Any country includi ng China PR	Zhongha o Chengua ng Research Institute of Chemical Industry Co., Ltd.	NIL	MT	USD
5.	-do-	-do-	China PR	Any country includi ng China PR	Any producer other than SN 1, 2, 3 & 4	5,933. 70	MT	USD
6.	-do-	-do-	Any countr y other than China PR and Russia	China PR	Any	5,933. 70	MT	USD
7.	-do-	-do-	Russia	Any country includi ng Russia	Any	4,578. 80	MT	USD
8.	-do-	-do-	Any countr y other than China PR and Russia	Russia	Any	4,578. 80	MT	USD

**Note-Customs classification is only indicative, and the determination of anti-dumping duty shall be made as per the description of the PUC.*

#The product under consideration in the present application is Polytetrafluoroethylene (PTFE). The PUC is primarily used in the electronic, mechanical, and chemical industries for its unique characteristics such as chemical inertness, electrical and thermal insulation, low coefficient of friction, nontoxic, non-flammable, resistance to radiation, low level of static and dynamic friction, and outstanding electrical properties over a wide frequency range.

128. The landed value of imports for the purpose of this notification shall be assessable value as determined by the Customs under the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and includes all duties of customs except duties under Sections 3, 8B, 9A of the said Act.

P. FURTHER PROCEDURE

129. An appeal against the order of the Authority arising out of this final finding shall lie before the Customs Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the relevant provisions of the Customs Tariff Act.

SIDDHARTH MAHAJAN, Designated Authority